

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मई 2026—वैशाख 16, शक 1948

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2026

क्र.-85-2026-E-16.- नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 156 एवं 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा,-

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी बीमा न्यायालय, नियम, 1963;
2. मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी बीमा (चिकित्सा सेवा प्रणाली नियम) नियम, 1959;
3. कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1981 की योजना के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश चिकित्सा संस्थान आपूर्ति;
4. मध्यप्रदेश कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1962;
5. मध्यप्रदेश कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) नियम, 1963;
6. मध्यप्रदेश मातृत्व हितलाभ नियम, 1965;
7. उपादान भुगतान (मध्यप्रदेश) नियम, 1973;
8. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2002,

को अतिष्ठित करते हुए, यथास्थिति, मातृत्व हित लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53), उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 48), असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 43) जो कि उक्त संहिता की धारा 164 द्वारा निरसित कर दिए गए हैं, ऐसे निरसन से पूर्व किए गए या किये जाने के लिए लोप किए के कार्यों को छोड़कर बनाना प्रस्तावित करती है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 154, 156 एवं 158 द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप, राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिवस की अवधि के अवसान पर विचार किया जाएगा।

कोई भी आपत्ति या सुझाव जो कि नियमों के उक्त प्रारूप पर ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर या उसके पूर्व किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्राप्त हो, सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल अथवा सक्षम प्राधिकारी, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड इंदौर 452007 या ई-मेल द्वारा dslabourmp@mp.gov.in या pslabour@mp.gov.in पर भेजा जा सकेगा। जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय - एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम, 2026 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "एजेंसी" से अभिप्रेत है, कोई निगम, निकाय या संस्था, जो राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी विशेष प्रयोजन साधन के रूप में स्थापित की गई हो;

(ख) "अपील" से अभिप्रेत है, धारा 37 की उप धारा (7) के खण्ड (ख) तथा 56 की उप-धारा (8) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील;

(ग) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,-

(एक) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा धारा 56 की उप धारा (8) के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से एक श्रेणी ऊपर के प्राधिकारी और;

(दो) धारा 37 की उप धारा 7 के खण्ड (ख) के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय एवं धारा 105 के प्रयोजन के लिये यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकन अधिकारी के पद पर नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी;

(घ) "मूल्यांकन अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य पद धारण करता हो जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा संहिता के अधीन उपकर के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया हो;

(ङ.) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार अथवा धारा 72 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(च) किसी कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय-चार के अधीन "अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से अभिप्रेत है, उस अवधि के दौरान उसे देय मजदूरी की औसत राशि जो दिनों की संख्या जिसके लिए ऐसी मजदूरी देय थी, से विभाजित की जाए;

(छ) संहिता के अध्याय-चार के अधीन "एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी" से अभिप्रेत है,-

(एक) किसी कर्मचारी के संबंध में जो समय-दर आधार पर नियुक्त किया जाता है, मजदूरी की वह राशि, जो उसे पूरी

मजदूरी अवधि के लिए देय होती, यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, यदि मासिक दर पर निर्धारित किया जाता है तो 26 से विभाजित किया जाएगा, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर निर्धारित की जाती है तो 13 से विभाजित किया जाएगा और यदि उसे साप्ताहिक आधार पर निर्धारित किया जाता है तो 6 से विभाजित किया जाएगा और यदि उसका दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित किया जाएगा;

- (दो) किसी अन्य आधार पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि जिसे पूर्ण या भाग में दिनों की संख्या से विभाजित किया गया है, जिसके लिए उसने उस मजदूरी अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है:

परन्तु, किसी कर्मचारी को ऐसी मजदूरी अवधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी मिलती है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिन के लिए काम करने के लिए माना जाएगा यदि मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो;

स्पष्टीकरण - जहां कोई भी रात्रि पारी आधी रात के बाद जारी रहती है, तो आधी रात के बाद की रात्रि पारी की अवधि को उस दिन की गणना के लिए गिना जाएगा, जो पहले के दिन के हिस्से के रूप में काम करता था,

- (ज) "लाभ की अवधि" से अभिप्रेत है, योगदान अवधि के अनुरूप लगातार छह महीने से अनाधिक अवधि, जैसा कि नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

- (झ) "मण्डल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण सामाजिक सुरक्षा मण्डल जो कि धारा 6 एवं धारा 7 के अधीन गठित मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के रूप में जाना जाएगा;
- (ञ) "कैरियर सेंटर" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के रोजगार विभाग का जिला रोजगार कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई केन्द्र;
- (ट) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश शहरी और ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल तथा स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति, के अध्यक्ष;
- (ठ) "उपकर संग्रहकर्ता" से अभिप्रेत है, संहिता के अधीन उपकर संग्रह के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;
- (ड) "चार्टर्ड इंजीनियर" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की कॉर्पोरेट सदस्यता है;
- (ढ) "संहिता" से अभिप्रेत है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36);
- (ण) "न्यायालय" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 50 के अधीन गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय;
- (त) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" से अभिप्रेत है, संहिता के प्रयोजन के लिए किसी भी मोड में ई-मेल द्वारा प्रस्तुत जानकारी या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने या डिजिटल भुगतान ;
- (थ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

- (द) "निधि" से अभिप्रेत है, यथास्थिति धारा 108 तथा धारा 141 में यथा विनिर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा निधि;
- (ध) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (न) "सरकारी प्रतिभूति" से अभिप्रेत है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) में यथा परिभाषित सरकार प्रतिभूतियां;
- (प) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (फ) "अचल सम्पत्ति" में सम्मिलित है भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप जुड़ा हुआ;
- (ब) "नाबालिग" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ;
- (भ) "चल सम्पत्ति" से अभिप्रेत है, अचल संपत्ति को छोड़कर हर ब्यौरे की संपत्ति;
- (म) "नोडल अधिकारी" से अभिप्रेत है, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित व्यक्ति, जो पंजीकरण, नवीकरण और अद्यतन करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्राइवेट सेक्टर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सार्वजनिक उपक्रम या निजी रूप से काम करने वाले भवन निर्माण श्रमिकों के किसी भी अन्य कार्य को करता है, नोडल अधिकारी राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यों की देखरेख और निगरानी भी करेगा;
- (य) "नामांकन" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा 55 के अधीन किया गया नामांकन;

- (यक) "श्रम सुविधा पोर्टल" से अभिप्रेत है, श्रम सेवा पोर्टल अथवा श्रम विभाग मध्यप्रदेश सरकार के किसी अन्य नाम से अधिकारिक वेब पोर्टल;
- (यख) "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्रेत है, एक चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम दवा के व्यवसायियों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन बनाए गए रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है;
- (यग) "महिला कर्मचारियों का रजिस्टर" से अभिप्रेत है, नियम 55 अधीन संधारित महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर;
- (यघ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, संहिता की अनुसूची;
- (यड.) "धारा" से अभिप्रेत है, संहिता की धारा;
- (यच) "विनिर्दिष्ट" से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट;
- (यछ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- (यज) "टर्नओवर" से अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अधीन उप-धारा (91) के अधीन यथा परिभाषित किसी एग्रीगेटर का टर्नओवर, जिसका अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कंपनी द्वारा माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण या प्रदान की गई सेवाओं, या दोनों से लाभ और हानि खाते में प्राप्त विधिमान्य राजस्व की सकल राशि;

(यज्ञ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष, जो कि एक अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के इकतीस मार्च को समाप्त होता है।

- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो कि इन नियमों में प्रयुक्त हैं पर परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु संहिता में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय - दो

सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

3. धारा 6 की उप-धारा (9) के अधीन मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार बोर्ड द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति, उप-धारा (12) के अधीन बोर्ड के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनके पद के निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन, में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और बोर्ड के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति और उप-धारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम.-

- (1) मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन - मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, धारा 6 की उप-धारा (9) के अधीन गठित मण्डल माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल में निम्नलिखित होंगे:-

- (क) श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पदेन अध्यक्ष के रूप में,;
 (ख) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग उपाध्यक्ष के रूप में;
 (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि करने वाला एक सदस्य;

- (घ) राज्य शासन द्वारा नामांकित इकतीस सदस्य जिनमें से-
- (एक) सात सदस्य जो कि असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों;
 - (दो) सात सदस्य जो कि असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों;
 - (तीन) दो सदस्य जो कि मध्यप्रदेश की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हों;
 - (चार) पांच सदस्य जो कि समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों; (सामाजिक कार्यकर्ता)
 - (पांच) दस सदस्य जो कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों:

परन्तु उपरोक्त सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यकों एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(ड.) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सभी सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

- (2) पदावधि.-नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (घ) तथा (ड.) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र

में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु, कोई बर्हिगामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित होने तक, पद धारण किए रहेगा।

(3) त्यागपत्र.-

(क) नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) तथा (ड.) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

(4) पद में रिक्ति.-

नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) तथा (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि-

(क) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकारकी राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(ग) वह अध्यक्षसे, अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना मंडल के लगातार तीन सम्मिलनोंसे अनुपस्थित रहा हो, या

(घ) वह ऐसे हितोंका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था।

(घ) वह राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया है।

(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.- किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(6) मंडल का सम्मिलन एवं गणपूर्ति.-

(क) मंडल का सम्मिलन सामान्यतः तीन मास में एक बार होगा:

परन्तु, अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका विशेष सम्मिलन बुला सकेगा।

(ख) मंडल के किसी सम्मिलन में कोई काम-काज तक तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 11 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम तीन उन सदस्यों में से होंगे जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख), (ग) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(7) सम्मिलन की सूचना और कामकाज की सूची.- प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, सम्मिलन में संपादित किए जाने वाले काम-काज की सूची के साथ, सम्मिलन से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, सम्मिलन बुलाते हैं तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(8) अध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेंगे.- अध्यक्ष, मंडल के समस्त सम्मिलनों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो उपाध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेंगे।

- (9) काम-काज का संपादन.- ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल के किसी सम्मिलन के समक्ष आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (10) सम्मिलन के कार्यवृत्त.- मंडल की प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगले सम्मिलन में पुष्टि के अध्यक्षीन रहते हुए, सम्मिलन के पश्चात् यथा संभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।
- (11) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते.- मंडल तथा उसकी उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा- भत्ता तथा दैनिक-भत्ता संदत्त किया जाएगा।
- (12) मंडल की उप- समितियां.-
- (क) मंडल ऐसी उप-समिति नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे;
- (ख) प्रत्येक उप-समिति की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें असंगठित कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी;
- (ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप-समिति के उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे;
- (घ) उप-समिति के सम्मिलन में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से

कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक अवश्य होगा तथा कम से कम एक असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अवश्य होगा।

(ड.) अल्प अवधि के प्रयोजन के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर किसी उप-समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा, किन्तु उप-समिति जब तक कि नई उप-समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी; लेकिन किसी दशा में कोई उप-समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए कार्य नहीं करेगी;

(च) प्रत्येक उप-समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएंगी।

(13) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.-

(क) मण्डल, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा के चयन ग्रेड के अधिकारी उप श्रमायुक्त स्तर के अधिकारी को मण्डल का सचिव नियुक्त करेगी;

(ख) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे:

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(14) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य.-

(क) संहिता की धारा 6 की उप-धारा(15)के अधीन मंडल अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएगा: मंडल विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसुविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्ररूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक स्कीम, जो अधिनियम तथा इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार को अनुशंसित करेगा जिसके अधीन निम्नलिखित होगा-

(एक) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगी;

(दो) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप;

(तीन) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(चार) संवितरण के लिए प्रक्रिया; और

(पांच) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।

(2) मंडल संहिता के प्रशासन संबंधी बिन्दुओं पर समय समय पर राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा।

(3) मंडल, अन्य ऐसे कार्य करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

(15) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तों.-

(क) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाएं;

(ख) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो

तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

ख. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

धारा 7 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के अधीन उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें, वेतन तथा अन्य भत्ते तथा ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की तरीका, नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें और सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते;

4. मण्डल का नाम.- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

(1) मण्डल का गठन.-

(एक) श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पदेन अध्यक्ष के रूप में,

(दो) एक सदस्य, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा:-

(तीन) राज्य शासन द्वारा नियुक्त पांच सदस्य, जो कि शासकीय विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से श्रम विभाग के दो तथा वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि होगा तथा दो सदस्य भवन या अन्य संनिर्माण कार्यसे संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि होंगे,

(चार) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो कि भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों; और

(पांच) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो कि भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों:

परंतु भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्या में सदस्य

सम्मिलित किए जाएंगे और बोर्ड की कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

- (2) पदावधि.- नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) एवं (ड.) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई बाहरी सदस्य, उसकी उत्तराधिकार की नियुक्ति राजपत्र में अनुसूचित होने तक, पद धारण किए रहेगा।

(3) त्यागपत्र.-

- (क) नियम 4 के उप- नियम (1) के खण्ड (घ) तथा (ड.) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकारको संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
- (ख) त्याग-पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

- (4) पद में रिक्ति.- नियम 4 के उप- नियम के खण्ड (घ) तथा (ड.) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि-

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

- (दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकारकी राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
- (तीन) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की स्वीकृति लिए बिना मंडल के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहा हो; या
- (चार) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था;
- (पांच) उसे राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया हो।

(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.-किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(6) प्रत्येक मंडल का सम्मिलन एवं गणपूर्ति.-

(क) मंडल का सम्मिलन सामान्यतः तीन मास में एक बार होगा:

परन्तु, अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यक्षता प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका विशेष सम्मिलन बुला सकेगा;

(ख) मंडल के किसी सम्मिलन में कोई काम-काज तक तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 6 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम एक उन सदस्यों में से होंगे जो नियम 4 के उप- नियम (4) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(7) **सम्मिलन की सूचना और कामकाज की सूची.**-प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, सम्मिलन में संपादित किए जाने वाले काम-काज की सूची के स्थान, सम्मिलन से, पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, सम्मिलन बुलाते हैं तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(8) **अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे.**-अध्यक्ष (चेयर पर्सन,) मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य तथा ऐसा नाम निर्देशन न होने पर सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करेंगे।

(9) **काम- काज का संपादन.**- ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल की किसी सम्मिलन के समक्ष आएँ, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(10) **सम्मिलन के कार्यवृत्त.**-मंडल की प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली सम्मिलन में पुष्टि के अध्यक्षीन रहते हुए, सम्मिलन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में

अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(11) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते.-मंडल तथा उसकी उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा- भत्ता तथा दैनिक-भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(12) मंडल की उप- समितियां.-

(क) मंडल ऐसी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे;

(ख) प्रत्येक उप-समितियों की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें भवन कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी;

(ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप-समिति के उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे;

(घ) उप-समिति की सम्मिलन में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक अवश्य होगा तथा कम से कम एक भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अवश्य होगा;

- (ड.) अल्प अवधि के प्रयोजन के लिए गठित उप-समिति को छोड़कर किसी उप-समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा। किन्तु उप-समिति जब तक कीनई उप-समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी। लेकिन किसी दशा में कोई उप-समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के परे कार्य नहीं करेगी;
- (च) प्रत्येक उप-समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएगी।
- (13) क्षेत्रीय कार्यालय खोलना.-मंडल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उतने क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकेगा, जितने वह संहिता के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- (14) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य.-
- (क) मंडल, संहिता की धारा 7 की उप धारा (6) के अधीन निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-
- (एक) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियां अभिकथित करना सम्मिलित है,
- (दो) संहिता के अधीन शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना,
- (तीन) संहिताके उपबंधों के अनुसार लेखाओं को समुचित अनुरक्षण तथा उनका वार्षिक संपरीक्षण,
- (चार) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,
- (पांच) मंडल समय समय पर, सरकार को ऐसी जानकारी देगा जैसी वह ठीक समझे,

(छह) संहिता में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीनकृत्यों का पालन करना।

(ख) मण्डल द्वारा सुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अन्य आनुषंगिक मामलों में योजनाओं की अधिसूचना.- मण्डल, संहिता और इन नियमों में उपबंधित है एक योजना तैयार करेगा जो कि जिसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, प्रवर्ग तथा अन्य आनुषंगिक मामले जैसे प्रत्येक प्रसुविधा या प्रसुविधाओं का समूह अधिकथित किया जाएगा तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसे अधिसूचित करेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा

(एक) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगी;

(दो) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप;

(तीन) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी;

(चार) संवितरण के लिए प्रक्रिया; और

(पांच) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।

(15) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति.-

(क) मंडल, सरकार की पूर्व सहमति से, भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा चयन ग्रेड/उप श्रम आयुक्त की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी से एक अधिकारी को मंडल के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा;

(ख) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे:

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(16) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें.-

(क) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी की राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदनसे, मंडल द्वारा अवधारित की जाएं;

(ख) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

5. धारा 7 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अधीन लाभार्थियों की समूह बीमा योजना, खंड (घ) के अधीन लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं और खंड (ङ) के अधीन लाभार्थी यज्ञ डस्क्वै टज़थ्रत्ज़ौ की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय के लिए प्रीमियम के संबंध में राशि.-

संहिता की धारा 7 की उप-धारा (6) में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के होते हुए, मण्डल, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी बनाएगी तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिसूचित कराएगी,-

- (1) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;
- (2) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना; तथा
- (3) किसी लाभार्थी या उनके आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए इस तरह के चिकित्सा व्यय को प्रदान करना।

अध्याय – तीन
कर्मचारी भविष्य निधि

अध्याय – चार
कर्मचारी बीमा निगम

6. रीति और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा धारा 37 की उप-धारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील दायर की जा सकती है.-

यथास्थिति, बीजित व्यक्ति या कॉर्पोरेशन को मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल के निर्णय की संसूचना की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर बीमित व्यक्ति या निगम एक आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकेगा:

परन्तु कर्मचारी बीमा न्यायालय नब्बे दिन की अवधि के पश्चात् किसी आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

7. धारा 50 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.-

(1) न्यायालय की संरचना तथा सम्मिलन का स्थान.-

(क) न्यायालय सामान्यतः एक न्यायाधीश से गठित होगा:

परंतु सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा किसी विशिष्ट कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, न्यायालय के लिए दो या अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा;

(ख) उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय की सम्मिलन ऐसे स्थान या स्थानों पर तथा ऐसे समय पर होगी, जैसा कि सरकार विनिर्दिष्ट करें।

(2) जहां एक से अधिक न्यायालय हों वहां कार्य का वितरण.- जहां एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिए एक से अधिक न्यायालय गठित किए गए हों, वहां शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कार्य का वितरण कर सकेगा।

(3) सम्मिलन आदि के लिए समय का नियत किया जाना.-

(क) जहां दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिए एक ही न्यायालय गठित किया गया हो, वहां न्यायालय, शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, वह समय नियत करेगा कौन सा न्यायालय प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में या संहिता के अधीन कार्यवाहियों के किसी वर्ग के संबंध में बैठेगा;

(ख) उप-नियम (1) के अधीन नियत किए गए समय की सूचना ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसी की शासन समय - समय पर निर्देशित करे।

(4) प्रक्रिया जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों.-

(क) जहां न्यायालय के लिए एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हों, वहां शासन उनकी पदस्थिति (रैंक) तथा पूर्वता (प्रिसीडेंस) विनिर्दिष्ट करेगा;

(दो) तत्समय वरिष्ठ न्यायाधीश समय-समय पर न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कार्य के वितरण के संबंध में ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि वह उचित समझें;

(तीन) जब दो या अधिक पीठासीन न्यायाधीशों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब ऐसे न्यायाधीशों का बहुमत अभिभावी होगा, जहां बहुमत न हो, वहां जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देशित न करे, वरिष्ठतम न्यायाधीश का मत अभिभावी होगा।

(5) न्यायालय की समाप्ति, आदि- सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा किसी भी न्यायालय की समाप्ति कर सकेगी या समान अधिसूचना द्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर सकेगी।

न्यायाधीशों आदि की सेवा शर्तें,

(6) नियुक्ति वेतन, भत्ते आदि .-

(क) शासन ऐसे व्यक्ति को जो धारा 48 के अधीन अर्हता रखता हो, न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है;

(ख) न्यायाधीश ऐसे वेतन व भत्ते प्राप्त करेगा जो कि राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करें;

(ग) न्यायाधीश मंहगाई भत्ता, प्रतिकात्मक नगर भत्ता, ग्रह भाटक तथा अन्य भत्ते ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त कर करेगा जो कि उसी स्थान पर नियुक्त किए गए शासन के उसी पदस्थिति (रैंक) के पदाधिकारियों को लागू होते हों;

- (घ) न्यायाधीश ऐसे अवकाश नियमों के अधीन जो कि समय-समय पर तत्समय स्थिति (स्टेटस) के तथा परिलब्धियां पाने वाले शासकीय सेवकों को लागू होते हैं अवकाश तथा अवकाश वेतन का हकदार होगा।
- (ङ.) न्यायाधीश शासकीय कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए ऐसे मान (स्केल) के अनुसार यात्रा भत्ता का हकदार होगा जो कि उस वर्ग के पदाधिकारियों को, जिससे कि शासन की राय में, ऐसा न्यायाधीश सम्बन्धित हो, लागू होता है;
- (च) न्यायाधीश ऐसी अन्य सेवा शर्तों के अधीन होगा जो कि राज्य सरकार अवधारित करे;
- (छ) उप-नियम (2) से (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश का यदि वह पहले से हो शासन की सेवा में हो वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जो कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित करें।
- (7) अन्य पदाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति .-
- (क) शासन ऐसे अनु सचिवीय पदाधिकारियों तथा अन्य अधिनस्थ कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति कर सकेगा जो कि संहिता द्वारा या उसके अधीन न्यायालय को प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रयोग तथा उस परअधिरोपित किए गए कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो;
- (ख) न्यायालय के अनुसचिवीय पदाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि न्यायाधीश या यदि एक से अधिक

न्यायाधीश हों तो वरिष्ठ न्यायाधीश शासन के किसी आदेश के अधीन रहते हुए समय-समय पर निर्देशित करें;

- (ग) न्यायालय के अनुसचिवीय पदाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द ऐसी सेवा के अधीन होंगे और ऐसे वेतन तथा अन्य उपलब्धियां तथा फायदे प्राप्त करेंगे जो शासन द्वारा निर्धारित किए जाए।

प्रशासनिक नियंत्रण और न्यायालय मुद्रा

- (8) उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण.- समस्त न्यायालय, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे; तथा,-

(क) ऐसे रजिस्टर, पुस्तकें तथा लेख रखेंगे जैसे कि उच्च न्यायालय समय - समय पर विहित करें;

(ख) ऐसी अध्यपेक्षाओं का पालन करेगा जैसा कि सेवा अभिलेख विवरणियां और कथन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जैसा कि प्राधिकारी, करते हुए निर्देशित करे की प्रस्तुति के लिए जैसा कि उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा की जाए।

- (9) मुद्रा.- न्यायालय ऐसे आकार, माप तथा रूपांकन की मुद्रा जैसा कि शासन द्वारा निर्देशित किया जाए, रखेगी।

प्रक्रिया तथा आदेशों का निष्पादन

- (10) आवेदनपत्र.-

(क) धारा 49 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही न्यायालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संस्थित की जाएगी;

(ख) प्रत्येक ऐसा आवेदन पत्र उस रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में सिविल न्यायालय में अभिकथन सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियाँ संलग्न की जाएगी;

(ग) आवेदन पत्र प्ररूप-एक यथा विहित में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे नियमों के अनुसार सम्यक् रूप से मुद्रांकित किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे.-

(एक) उस न्यायालय का नाम जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो;

(दो) आवेदक का पूरा नाम जिसमें पिता के नाम सम्मिलित है वर्णन आयु व्यवसाय तथा निवास स्थान;

(तीन) विरोधी पक्षकार का पूरा नाम, पिता के नाम सहित तथा वर्णन आयु, व्यवसाय तथा निवास स्थान सहित, जहां तक सुनिश्चित किया जा सकता है;

(चार) जहां आवेदकया विरोधी पक्षकार अवयस्क हो या विकृत चित्त का व्यक्ति हो वहां उस आशय का कथन तथा उसके वाद- मित्र या संरक्षक का पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा पता;

(पांच) वाद कारण (काज आफ एक्सन) की रचना करने वाले तथ्य तथा वह दिनांक जिसको वह उद्भूत हुआ हो;

(छह) यह दर्शाने वाला तथ्य कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार है;

(सात) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर यह दर्शाने वाली विशिष्टियां जिन पर कि सूचना या शमन आवेदन पर तामील किए जा सकेंगे; और

(आठ) अनुतोष जिसका कि आवेदक दावा करता हो ।

(चार) यदि आवेदनपत्र खण्ड (4) के अनुसार न हो तो उसे अस्वीकार नामंजूर किया जा सकेगा।

(11) दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण.-

(क) जब कोई आवेदन किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो वह दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा;

- (ख) कोई भी अन्य दस्तावेज, जो कि कोई पक्षकार साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हो प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा;
- (ग) कोई भी दस्तावेज जो यथास्थिति ऊपर खण्ड (क) या (ख) में उल्लिखित समय पर या उसके भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उस पक्षकार की ओर से, जिसे कि उसे प्रस्तुत करना चाहिये था, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना साक्ष्य में ग्राह नहीं होगा;
- (घ) ऐसे समस्त दस्तावेजों प्ररूप -2 में विहित रीति में उनकी सही सूची के साथ तैयार किए जाएंगे;
- (ड.) इस नियम में कि कोई भी बात ऐसे किसी भी दस्तावेज पर लागू नहीं होगी जो कि गवाही देने के लिए जिरह के लिए तैयार किया जाता है या उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए किसी गवाह को सौंप दिया जाता है।
- (12) कार्यवाहियों का रजिस्टर.-समस्त आवेदन पत्र "कार्यवाहियों का रजिस्टर" कहलाने वाले एक रजिस्टर में, जो प्ररूप-तीन में विहित किए गए अनुसार होगा, प्रविष्ट किए जाएंगे। ऐसी प्रविष्टियां प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए उस क्रम के अनुसार क्रमांकित की जाएंगी जिस क्रम में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए हों।
- (13) वाद प्रस्तुत करने का स्थान.- ऐसे मामलों में जो नियम 1 के उप नियम (2)के अधीन न आते हों किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही उस न्यायालय में संस्थित की जाएगी जिसके कि क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

(क) विपक्षी पक्षकार या जहां एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों वहां उनमें से प्रत्येक विपक्षी पक्षकार कार्यवाहियों के प्रारम्भ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करता हो, या कारबार करता हो या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करता हो; या

(ख) जहां एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों, वहां कोई भी विपक्षी पक्षकार कार्यवाहियों के प्रारंभ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करते हों या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य न करते हों ऐसे संस्थितिकरण के लिए मौन सम्मति देते हों; या विपरीत पक्षकार जो निवास नहीं करते हैं, या व्यवसाय पर चलते हो या व्यक्तिगत रूप से इस तरह के संस्थान में पूर्वोक्त के रूप में लाभ के लिए काम करते हो या,

(ग) वाद कारण पूर्णतः या अंशतः उद्भूत हुआ हो।

(14) गलत न्यायालय में आवेदन किया जाना प्रस्तुत किए गए पत्र.- (क) यदि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह किसी अन्य न्यायालयमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वह उस पर प्रस्तुत किए जाने तथा वापिस किए जाने के दिनांक, उसे वापिस करने का कारण तथा उस न्यायालय का, जिसको कि उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पदाभिधान पृष्ठांकित करने के पश्चात् (आवेदन पत्र के) आवेदक को वापस कर देगा;

(ख) यदि आवेदनपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, किसी भी प्रक्रम पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि आवेदन पत्र उसी राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तो वह आवेदन पत्र को ऐसे न्यायालय को, जो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, भेजेगा और आवेदक को (तथा विपक्षी पक्षकार

को, यदि उसे नियम 18 के अधीन आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त हो चुकी है) तदनुसार सूचना देगा;

(ग) वह न्यायालय जिसे खण्ड (ख) के अधीन आवेदन पत्र अंतरित किया हो, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि पक्षकारों के हितों पर इस कारण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्यवाही को इस प्रकार चालू रख सकेगा मानों की कार्यवाही या उसका कोई भाग उसके समक्ष ही हुआ था।

(15) समन का जारी किया जाना.- (क) न्यायालय, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यदि वह उसके प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर ही नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन नामंजूर न कर दिया गया हो, तो उस पक्षकार को जिससे कि आवेदक अनुतोष का दावा करता हो, (जो इसमें इसके पश्चात् "विपक्षीपक्षकार" के नाम से निर्दिष्ट है) ऐसे दिनांक को, जो ऐसे समन के जारी होने के दिनांक से पंद्रह दिन के पश्चात् का नहीं होगा, जो कि उसमें उल्लिखित किया जाएगा, उपसंजात होने तथा आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए यथास्थिति प्ररूप 4 या प्ररूप 5 में समन भिजवायेगा:

परंतु जब आवेदन पत्रके प्रस्तुत किए जाने पर विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ हो और उसके आवेदन का दावा स्वीकार कर लिया हो, तब ऐसे कोई भी समन जारी नहीं किए जाएंगे।

(ख) उप-नियम (1) के अधीन समन के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति भेजी जाएगी।

(16) समन या सूचना की तामील.-

(क) समन या सूचना, अपेक्षित फीस के भुगतान पर उस न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा वह जारी की गई हो, या तो रजिस्ट्रीकृत डाक

से या ऐसी अन्य रीति में, भेजी जा सकेगी जैसा कि न्यायालय द्वारा उचित समक्षा जाए।

(ख) जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि विपक्षी पक्षकार तामील की अवहेलना कर रहा है या यह किसी कारण से समन या सूचना साधारण ढंग से तामील नहीं की जा सकती, न्यायालय यह आदेश देगा कि समन या सूचना की तामील उसकी एक प्रति न्यायालय भवन के किसी सहज दृश्य स्थान पर, तथा उस गृह के, जिसमें कि विपक्षी पक्षकार का अन्ततः निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात हो, किसी सहज दृश्य भाग पर भी चिपकवाकर या ऐसी अन्य रीतिमें, जो कि न्यायालय उपयुक्त समझे, की जाए और वह तामील उसी प्रकार प्रभावशाली होगी मानो कि वह विपक्षी पक्षकार पर व्यक्तिशः की गई हो।

(ग) जहां समन या सूचना खण्ड (ख) के अधीन तामील हो चुकी हो, वहां न्यायालय विपक्षी पक्षकार की उपसंज्ञाति के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो कि मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो।

(17) समन में अतिरिक्त बातें.-न्यायालय समन जारी करते समय यह अवधारित करेगा कि क्या यह केवल वाद पदों के निपटारे के लिए होगा और/या आवेदन पत्र के अंतिम निराकरण के लिए होगा और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। न्यायालय उस दिनांक को पक्षकारों को कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी अपेक्षित कर सकेगा जो वे प्रस्तुत करना चाहते हों।

- (18) विकलांगता प्रश्न से जुड़ी कार्यवाही.- यदि नवीन न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में नियोग्यता का प्रश्न (जैसा कि संहिता की धारा 37 में परिभाषित किया गया है) उपस्थित हो और जिस पर मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल का निर्णय प्राप्त नहीं किया गया हो और जिस पर ऐसा निर्णय न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रश्न अथवा दावे के निराकरण हेतु आवश्यक हो तो न्यायालय निगम को निर्देशित करेगा कि वह संहिता की धारा 37 के अनुसार ऐसा निर्णय प्राप्त कर प्रस्तुत करे और तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा धारा 49 के अधीन विवेचना अधीन प्रश्न या दावे के निराकरण हेतु कार्यवाही की जाएगी।
- (19) लिखित कथन.- (क) विपक्षी पक्षकार प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व याएसे समय के भीतर, जो कि न्यायालय अनुज्ञात करे, ऐसे दस्तावेज, जिनका कि वह अवलम्बन लेता हो तथा प्ररूप -दो में यथा विहित उनकी सही सूची सहित अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाय तो प्रस्तुत करेगा।
- (ख) प्रत्येक ऐसा लिखित कथन उसी रीति में सत्यापित किया जायगा जिस रीति में कि सिविल न्यायालय में अभिवचन सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियाँ संलग्न की जाएंगी।
- (ग) खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी भी लिखित कथन में विपक्षी पक्षकार, आवेदन द्वारा अभिकथित तथ्य के प्रत्येक अभिकथन का, जिसकी कि सत्यता को वह स्वीकार करता हो, स्वीकार न करता हो, या जिससे वह इंकार करता हो, उल्लेख करेगा। लिखित कथन में ऐसी समस्त बातें, जो यह दर्शाती हो कि आवेदन पत्र विशिष्टरूप से संधारण योग्य नहीं है तथा प्रतिरक्षा के समस्त आधार जिनके प्रस्तुत न किए जाने से सम्भवतः आवेदक विस्मयमें पड़ जाएगा या तो ऐसे तथ्य संबंधी

वाद पद से उदाहरणार्थ कपट, असम्यक असर या दबाव, सम्मोचन, निष्पादन, या संव्यवहार की अवैधता दर्शाने वाले तथ्य, जो आवेदन पत्र से उद्भूत न होते हों, भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए।

(20) न्यायालय द्वारा मांगे गए लिखित कथन को प्रस्तुत करने में असफल होना.- जहां कोई पक्षकार जिससे कि लिखित कथन अपेक्षित किया गया हो, न्यायालय द्वारा विहित किए गए समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय उसके विरोध में निर्णय सुना सकेगा या कार्यवाही के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो कि वह उचित समझे।

(21) विवाद्यों की रचना.- (क) आवेदन की प्रथमसुनवाई पर, समन जारी कर दिए जाने के पश्चात्, न्यायालय आवेदन तथा लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् या पक्षकारों या किसी व्यक्ति या किसी दस्तावेज की ऐसा परीक्षण करने के पश्चात्, जो कि आवश्यक प्रतीत हो, यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य या विधि की किस सारवान प्रस्थापना (प्रपोजीशन) पर पक्षकारों में असामंजस्य है, और उस पर ऐसे विवाद्यों विरचित तथा अभिलिखित करेगा, जिन पर कि न्यायोचित निर्णय का निर्भर होना प्रतीत होता हो;

(ख) विवाद्यों अभिलिखित करने में न्यायालय उन विवाद्यों जो उसकी राय में तथ्य की बातों से संबंध रखते हों तथा उन विवाद्यों जो विधि की बातों से संबंध रखते हों, के बीच भेद करेगा।

(ग) न्यायालय, वैसी ही रीति में, अपना अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, किसी भी समय विवाद्यों में, ऐसे निबन्धनों पर, जैसे कि

वह उचित समझे, कुछ जोड़ सकेगा, उसमें से कुछ हटा सकेगा, या उन्हें किसी भी प्रकार संबोधित कर सकेगा।

(22) उस मामले में आदेश जहां पक्षकार विवादग्रस्त न हों.-जहां मामले की किसी भी सुनवाई में यह प्रतीत हो कि पक्षकार विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवादग्रस्त नहीं हैं, न्यायालय तत्काल अपना अंतिम आदेश सुना सकेगा।

(23) पक्षकारों का उपसंजात होना और उपसंजात न होने के परिणाम.-

(क) विरोधी पक्षकार को उपसंजात होना तथा उत्तर देने के लिए समन में नियत किए दिन को पक्षकार या तो व्यक्तिशः या अपने-अपने विधि व्यवसाइयों या धारा 51के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे और यदि न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित न कर दी जाय, तो आवेदन की सुनवाई की जाएगी;

(ख) आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाए जाने पर, जब कोई भी पक्षकार उपसंजात न हो, न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए;

(ग) जहां कि आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाए जाने पर, विरोधी पक्षकार उपसंजात हो और आवेदक उपसंजात न हो, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए, जब तक कि विरोधी पक्षकार दावा या उसके किसी भाग को स्वीकार न करता हो, जिस दशा में न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति पर विरोधी पक्षकार के विरोधी में आदेश करेगा, और जहां दावे का केवल कोई भाग स्वीकार किया गया हो, वहां वह मामले को, जहां तक कि वह शेष भाग संबंधित हो, खारिज कर देगा;

- (घ) जहां कि आवेदनपत्र की सुनवाई के लिए पुकार लगाए जाने पर, आवेदक उपसंजात हो और विरोधी पक्षकार समन प्राप्त हो जाने के पश्चात भी उपसंजात होने में असफल रहे, न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगा;
- (ड.) जहां आवेदन खण्ड (ख) या (ग) के अधीन पूर्णतः या अंशतः खारिज कर दिया गया हो, आवेदक ऐसे खारिज किए जाने (डिसमिसल) के तीस दिन के भीतर ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने के लिए प्ररूप - छह में यथा विहित आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि वह (आवेदक) कार्यवाही की सुनवाई के लिए पुकार लगाए जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह खर्च या अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर, जो कि वह उचित समझे, ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा या मामले में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा:

परंतु इस खण्ड के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में, जो खण्ड (ग) के अधीन खारिज कर दिया गया हो, कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन की सूचना प्ररूप-सात में विरोधी पक्षकार पर तामील न कर दी गई हो;

- (छह) किसी भी ऐसे आवेदन में, जिसमें कि विरोधी पक्षकार के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किया गया हो, वह ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उस न्यायालयको, जिसने कि वह आदेश दिया हो, उस आदेश को अपास्त करने के लिए प्ररूप - छह में आवेदन कर सकेगा और यदि न्यायालय का यह समाधान हो

जाए कि वह कार्यवाही या सुनवाई के लिए पुकार लगाए जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था तो वह उसकी सूचना प्ररूप सात में आवेदक पर तामील करने के पश्चात् खर्च तथा अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबंधनों पर, जो कि वह उचित समझे, आदेश को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और मामले में कार्यवाही कर सकेगा या उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा।

(24) साक्षियों को समन.- (क) विवादक विरचित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय, न्यायालय पक्षकारों को विवादकों के समर्थनमें अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुला सकेगा;

(ख) न्यायालय, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्ररूप-आठ में यथा विहित समन जारी कर सकेगा;

(तीन) न्यायालय, खण्ड (ख) के अधीन आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व; यह अपेक्षा कर सकेगा कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए होने वाले उसके (साक्षी के) युक्ति-युक्त व्यय उसके पास जमा कर दिए जाएं।

(25) समय का दिया जाना तथा सुनवाई का स्थगन.- (क) न्यायालय, यदि पर्याप्त कारण दर्शाए जाए, आवेदन के किसी भी प्रक्रम पर, पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकेगा और समय-समय पर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा;

(ख) ऐसे प्रत्येक स्थगन में, न्यायालय आवेदन की आगे की सुनवाई के लिए ऐसा दिन नियत करेगा जो उस दिनांक से, जिसको कि ऐसा स्थगन किया गया हो, पन्द्रहदिन से अधिक का नहीं होगा

तथा स्थगन द्वारा होने वाले खर्च के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे:

परंतु जब एक बार साक्ष्य की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी हो, आवेदन की सुनवाई, जब तक के न्यायालय को अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, सुनवाई को आगामी दिन के लिए स्थगित करना आवश्यक प्रतीत न हो, प्रतिदिन तक चालू रखी जाएगी जब तक कि समस्त उपस्थित साक्षियों की पृच्छा न हो जाए।

(26) कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार.- आवेदक को कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों को स्वीकार न करे और यह प्रतिवाद न करे कि या तो विधि के बिंदु पर या विरोधी पक्षकार द्वारा अभिकथित किन्हीं अतिरिक्त तथ्यों पर आवेदक उसके द्वारा चाहे गए अनुतोष का हकदार नहीं है, उस दशा में कि विरोधी पक्षकार को (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

(27) कथन तथा साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना.-

(क) आवेदन की सुनवाई के लिए नियत दिन को या किसी अन्य दिन को, जिस दिन के लिए कि सुनवाई स्थगित की गई हो, वह पक्षकार जिसको कि कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार हो, अपने मामले का कथन करेगा तथा अपने मामले को प्रस्तुत करेगा और उन विवाद को के, जिन्हें कि सिद्ध करने के लिए वह बाध्य हो, समर्थन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा;

(ख) तब दूसरा पक्षकार अपने मामले का कथन करेगा और अपनी साक्ष्य यदि कोई हो प्रस्तुत करेगा और तब न्यायालय को सामान्यतः सम्पूर्ण मामले के संबंध में निवेदन करेगा;

- (ग) कार्यवाही प्रारंभ करने वाला पक्षकार तब सामान्यतः सम्पूर्ण मामले पर उत्तर दे सकेगा;
- (घ) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण या न्यायालय को किया जाने वाला निवेदन किसी ऐसे क्रम में होगा, जो वह उचित समझे।
- (28) साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति.-प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा या जहां एक से अधिक न्यायाधीश हों, वहां कनिष्ठ न्यायाधीश द्वारा या किसी भी ऐसे न्यायाधीश के लिखवाने पर खुले न्यायालय में, न्यायालय की भाषा में, साधारणतः प्रश्नोत्तर के रूप में लेखबद्ध न की जाकर वर्णनात्मक रूप में अभिलिखित की जाएगी और पूरा हो जाने पर वह ऐसे न्यायाधीश की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाई जाएगी या जहां आवश्यक हो वहां उसका अनुवाद कर साक्षी को दिया जाएगा और ऐसा न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो, उसे सुधारेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (29) किसी साक्षी को वापस बुलाया जाना.-न्यायालय किसी कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी साक्षी को, जिसके परीक्षण किया जा चुका हो, वापस बुला सकेगा और (तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य विधि के अध्ययन रहते हुए) उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा, जोकि न्यायालय उचित समझे।
- (30) न्यायालय द्वारा निरीक्षण.-न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी ऐसी सम्पत्ति या वस्तु का, जिसके संबंधमें कोई प्रश्न उदभूत हो, निरीक्षण कर सकेगा।
- (31) आदेश का सुनाया जाना.-न्यायालय, आवेदन की सुनवाई के पश्चात् अपना अंतिम आदेश खुले न्यायालय में या तो तुरंत या किसी

आगामी दिन को सुनाएगा जिसकी कि सम्यक् सूचना पक्षकारों को दी जाएगी।

- (32) आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना.-अंतिम आदेश उसके सुनाए जाने के समय खुले न्यायालय में दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और एक बार हस्ताक्षरित हो जाने के तत्पश्चात् उसमें लोप या आकस्मिक चूक के कारण उदभूत होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल की दशा में के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।
- (33) प्रत्येक विवादक पर निर्णय का कथन किया जाना.-उन मामलों में, जिनमें विवादक विरचित किए गए हों, न्यायालय प्रत्येक पृथक विवादक पर अपना निष्कर्ष या निर्णय उसके कारणों सहित, अलग-अलग कथित करेगा, जब तक कि किसी एक या अधिक विवादक पर निष्कर्ष मामले के निर्णय के लिए पर्याप्त न हो।
- (34) वाद का समझौता.- जहां न्यायालय के समाधान पद रूप में यह सिद्ध हो जाए कि किसी विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा मामला पूर्णतः या अंशतः समायोजित किया जा चुका है या जहां विरोधी पक्षकार मामले की विषय-वस्तु के संबंध में आवेदक का पूर्ण या आंशिक समाधान कर दे, वहां न्यायालय ऐसे करार, समझौते या समाधान को अभिलिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुसार, जहां तक कि वह मामले से संबंधित है, अंतिम आदेश पारित करेगा।
- (35) आदेश की अन्तिमता.-धारा 52 में यथा उपबन्धित के सिवाय न्यायालय का आदेश अंतिम तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

खर्च, डिक्री आदि

(36) खर्च.-

(क) आवेदन के तथा उससे आनुषंगिक खर्च न्यायालय के विवेक पर होंगे और न्यायालय को यह अवधारित करने कि किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से तथा किस सीमा तक ऐसे खर्चों की भुगतान की जाएगी, तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए समस्त आवश्यक निर्देश देने की पूर्ण शक्ति होगी। यह तथ्यकि न्यायालय को वाद का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग को वर्जित करने वाला नहीं होगा।

(ख) जहां न्यायालय यह निर्देश देता है कि कोई खर्च परिणाम के अनुरूप नहीं होगा, वहां न्यायालय अपने कारण लिखित में कथित करेगा।

(37) डिक्री की अन्तर्वस्तु.- (क) प्ररूपनों में यथा विहित कोई डिक्री न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के अनुरूप तैयार की जाएगी, उसमें आवेदन पत्र का क्रमांक, पक्षकारों के नाम तथा वर्णन तथा दावे की विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और वह मंजूर किए गए अनुतोष या कार्यवाही के अन्य अवधारण स्पष्ट: करेगा।

(ख) डिक्री में कार्यवाही के संबंध में हुए खर्च की रकम तथा ऐसे खर्च किसके द्वारा किन अनुपातों में चुकाए जाएंगे भी वर्णित किया जाएगा;

(ग) न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि एक पक्षकार को अन्य पक्षकार द्वारा देय खर्च का, किसी ऐसी राशि के प्रति मुजरा किया जाएगा, जोकि पहले के द्वारा बाद वाले को शोधय होना स्वीकार किया जाए।

(38) आदेश, डिक्री आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदान किया जाना.

- (क) पक्षकारों को, अंतिम आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य आदेश या मामले की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय को आवेदन किए जाने पर उनके व्यय पर प्रदान की जाएंगी;
- (ख) यदि कोई पक्षकार यथास्थिति, न्यायालय द्वारा किए गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियां चाहता है तो वह न्यायालय को उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अड़तालीस घण्टे के भीतर, उसे प्रदान की जाएगी, प्रत्येक ऐसी प्रतिलिपि के लिए वह दो रूपए की अतिरिक्त फीस का भुगतान करेगा;
- (ग) यदि कोई पक्षकार यथा स्थिति न्यायालय द्वारा दिये गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियों के लिए यथास्थिति इस प्रकार दिए जाने या प्रस्तुत किए जाने के तारीख से बारह माह समाप्त होने के पश्चात् आवेदन करे तो वह दो रूपए की अतिरिक्त खोज (सर्चिंग) शुल्क का भुगतान करेगा।

(39) निष्पादन.- (क) कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में आदेश पारित किया गया हो, आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर, उस न्यायालय को, जिसने कि वह आदेश दिया हो, उसके निष्पादन के लिए प्ररूप-दस यथा विहित आवेदन देगा ;

(ख) ऐसे आवेदन पर, न्यायालय उसे आवश्यक अभिलेख सहित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को उसके निष्पादन हेतु भेजेगा और ऐसे सिविल न्यायालय को उस आदेश का निष्पादन

करने के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, मानो कि वह उसके द्वारा ही पारित किया गया था।

- (40) निष्पादन के तथ्य या अन्यथा की संसूचना.-वह सिविल न्यायालय, जिसे कोई डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई हो, ऐसे निष्पादन की वास्तविकता या जहां वह न्यायालय उसका निष्पादन करने में असफल रहा हो, वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियां उस न्यायालय से, जिसने कि उसे पारित किया हो, प्रमाणित करेगा।

फीस तथा खर्च

- (41) फीस (क) धारा 49 में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में किसी आवेदन पर देय फीस दस रूपए होगी;

(ख) इन नियमों के अधीन न्यायालय द्वारा तलब किए गए लिखित कथन के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदनके संबंध में देय फीस पाँच रूपए होगी:

परंतु अभिलेख पर किसी दस्तावेज या यथास्थिति न्यायालय को प्रस्तुत किए गए कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत डिक्री आदेश की प्रतिलिपि या उसका अनुवाद प्राप्त करने के लिए आवेदन की फीस दो रूपए होगी।

- (ग) अभिलेख पर किसी दस्तावेज या कथन या आदेश या डिक्री की प्रतिलिपियों के लिए फीस ऐसी होगी, जो कि शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए;

- (घ) किसी मामले में पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार की ओर से धारा 79 के अधीन किसी व्यक्ति की उपसंजाति हेतु किसी प्राधिकरण के लिए फीस दस रूपए होगी;

- (ड) किसी न्यायालय में किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां फाइल करने के लिए फीस पाँच रूपए होगी;
- (च) इस नियम में निर्दिष्ट समस्त फीस साधारण न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में संग्रहीत की जाएगी और कोई भी दस्तावेज, जिसे इन नियमों के अधीन मुद्रांकित होना चाहिये, तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक वह समुचित रूप से मुद्रांकित न किया गया हो:

परंतु जहां ऐसा कोई दस्तावेज भूल से या असावधानी से समुचित रूप से मुद्रांकित किए बिना ही न्यायालय में ले लिया हो, फाइल कर लिया गया हो, या उपयोग में लाया गया हो, वहां न्यायालय, यदि वह उचित समझे, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा दस्तावेज इस प्रकार मुद्रांकित किया जाए जैसा कि वह निदेशित करे और ऐसे दस्तावेज के तदनुसार मुद्रांकित किए जाने पर वह तथा उससे संबंधित प्रत्येक कार्यवाही उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानो वह, पहले से ही समुचित रूप से मुद्रांकित किया गया था;

- (छ) किसी भी ऐसे दस्तावेज पर, जो इस नियम के अधीन मुद्रांकित किए जाने के लिए अपेक्षित हो, किसी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि मुद्रांक को रद्द न कर दिया गया हो।

- (42) समन आदि की तामील के खर्च का भुगतान.- (क) किसी मामले में समन या सूचनाओं की तामील के खर्च या साक्षियों के व्यय या पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट न किए गए किसी भी विषय के संबंध में, देय फीस, ऐसी रकम होगी, जो कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी रकम या इन नियमों के अधीन देय

कोई अन्य धनराशि का भुगतान ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जो कि वह (न्यायालय) उसके लिए उल्लिखित करे।

(ख) ऐसी कोई रकम, जो उन व्ययों की पूर्ति करने के पश्चात्, जिनके कि लिए वह आशयित थी, यदि कोई हो, बची रहे, न्यायालय द्वारा उस पक्षकार को लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से रकम मूलतः न्यायालय में जमा की गई थी।

(ग) न्यायालय खण्ड (क) के अधीन प्राप्त तथा संवितरित की गई रकम के समुचित लेखे रखेगा।

(43) निर्धन व्यक्तियों की फीस तथा खर्च.—न्यायालय, जब कभी भी वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों से जो अकिंचन हों, इस संहिता के अधीन संस्थित की गई कार्यवाहियों तथा इन नियमों के अधीन दिए गए आवेदन प्राप्त कर सकेगा और उन्हें रजिस्टर कर सकेगा और फीस तथा खर्चों के भुगतान के बिना या आंशिक भुगतान पर ऐसे व्यक्तियों की ओर से समन या सूचना जारी कर सकेगा।

(44) प्रक्रिया अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित विषयों पर, जहां इन नियमों के अधीन कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के प्रावधान प्रभावशील होंगे।

(8) धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की रीति, उसकी फीस और प्रक्रिया.— (क) यथा स्थिति निगम, पीड़ित व्यक्ति या किसी स्थापना के नियोक्ता, द्वारा आवेदन के माध्यम से कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी।

- (2) संहिता के अध्याय चार के उपबंधों और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसमें बीमित व्यक्ति उस समय कार्य कर रहा था जब प्रश्न या विवाद उद्भूत हुआ था।
- (3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही से उत्पन्न कोई भी मामला उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा इस बाबत बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए इस तरह के मामले को निपटाने के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दे सकेगा और उस मामले से जुड़े अभिलेखों को तुरंत ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित करेगा।
- (4) राज्य सरकार राज्य में के किसी भी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य राज्य के ऐसे किसी न्यायालय में उस राज्य की सरकार की सहमति से अंतरित कर सकेगी।
- (5) ऐसा न्यायालय जिसको उप-नियम (3) या उप-नियम (4) के अधीन किसी भी मामले को अंतरित किया जाता है, वह इस प्रकार अपनी कार्यवाही जारी रखेगा जैसे कि वे मूल रूप से इसमें ही संस्थित किए गए थे।

अध्याय- पांच

उपदान

9. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसमें धारा 53की उप-धारा (1) के तृतीय परंतुक के अधीन अवयस्क के लाभ के लिए उपदान का निवेश किया जाएगा.- नामनिर्देशिती या उत्तराधिकारी के मामले में, जो

अवयस्क है, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवयस्क के लाभ के लिए उसके पास जमा की गई उपदान राशि का निवेश भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में करेगा।

स्पष्टीकरण.- "राष्ट्रीयकृत बैंक" से अभिप्रेत है बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970का5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980का40) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक।

10. धारा 55 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा नाम निर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उप-धारा (4) के अधीन नवीन नामनिर्देशन करने का समय, उप-धारा (5) के अधीन किसी नामनिर्देशन में उपांतरण का प्ररूप और रीति और उप-धारा (6) के अधीन नवीन नामनिर्देशन के लिए प्ररूप.-

(1) कोई नामांकन प्ररूप-ग्यारह में यथाविहित होगा और कर्मचारी द्वारा दो प्रतियों में या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा उचित रसीद लेने के पश्चात् किसी पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियोक्ता को प्रस्तुत किया जाएगा,-

(क) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर एक वर्ष या उससे अधिक से पहले से ही नियोजित है, परन्तु उसने ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, आमतौर पर, नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है; तथा

(ख) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के बाद सेवा का एक वर्ष पूर्ण किया है, सामान्यतया सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर है:

परंतु प्ररूप-ग्यारह में नामांकन किया गया है तो विनिर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, और इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई नामांकन अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दायर किया गया था।

(2) उप-नियम(1) के अधीन प्ररूप-ग्यारह में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता नामांकन के प्ररूप यथा लिखित कर्मचारी के सेवा ब्यौरे प्राप्त करेगा, स्थापना के अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित करेगा और उसकी रसीद प्राप्त करने के बाद, कर्मचारी को वापस करेगा प्ररूप-ग्यारह में उल्लिखित नामांकन की डुप्लिकेट कॉपी विधिवत रूप से नियोक्ता या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी जो कि नियोक्ता द्वारा नामांकन के अभिलेखन टोकन के रूप में रखा जाएगा और नामांकन की दूसरी प्रति अभिलिखित की जाएगी।

(3) कोई कर्मचारी जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है परिवार होने के नब्बे दिनों के भीतर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में एक नवीन नामांकन, जैसा कि धारा 55 की उप-धारा (4) के अधीन अपेक्षित है दो प्रतियों में प्ररूप ग्यारह में नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उप-नियम (2) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह उप-नियम (1) के अधीन किया गया था।

(4) किसी नामांकन के संशोधन की कोई सूचना, उन मामलों सहित जहां कोई नाम निर्देशिती किसी कर्मचारी के पहले मर जाता है, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में नियोक्ता को प्ररूप-ग्यारह में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके पश्चात् उप-नियम(2)के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(5) कोई नामांकन या कोई एक नया नामांकन या नामांकन के संशोधन की एक सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी या, यदि वह निरक्षर है, तो दो गवाहों के समक्ष एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र के साथ उसके अंगूठे का निशान कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत पोस्ट पावती के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) कोई नामांकन, नए नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

11. वह समय जिसमें भीतर और वह प्ररूप जिसमें उप-धारा (1) के अधीन कोई लिखित आवेदन किया जाएगा और धारा56 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन का प्ररूप.-

(1) उपदान के लिए आवेदन:-

(क) नियोक्ता को, कोई कर्मचारी जो संहिता के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र है, या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, सामान्यतः उपदान के देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप-बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा:

परंतु जहां किसी कर्मचारी की अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिन पूर्व नियोक्ता को आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह और कि नियतकालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी उपदान के लिए पात्र होगा ,यदि वह संविदा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और उसे पन्द्रह दिनों के वेतन की दर पर उपदान का भुगतान किया जाएगा जो उसके द्वारा सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष अथवा उसके भाग, जो छह माह से अधिक हो, के लिए उसके द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी की दर पर आधारित होगा;

- (ख) किसी कर्मचारी का कोई नाम निर्देशिती जोधारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतु के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि, सामान्यतः उस उपदान देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्ररूप-बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा:

परंतु सुसंगत ब्यौरों के साथ सादे कागज में कोई आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य ब्यौरें प्राप्त कर सकेगा जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

- (ग) किसी कर्मचारी का कोई विधिक उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतु के अधीन उपदान के भुगतान के लिए पात्र है, सामान्यतः उस उपदान देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, प्ररूप-बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा;
- (घ) जहां इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व संहिता के अधीन उपदान देय हो जाता है, वहां उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट समय सीमा की अवधि या ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावशील मानी जाएंगी;
- (ड.) इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपदान के भुगतान के लिए फाइल किया गया कोई आवेदन भी

नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि आवेदक अपने दावे को प्रस्तुत करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है, और संहिता के अधीन उपदान के लिए कोई दावा केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा, कि दावेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी भी विवाद को सक्षम प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) इस नियम के अधीन कोई आवेदन नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत सेवा द्वारा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपदान के भुगतान के लिए सूचना.-

(क) उप-नियम (1) के अधीन उपदान के भुगतान के लिए किसी आवेदन के प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता,-

(एक) यदि सत्यापन पर दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिनी या विधिक उत्तराधिकारी को देय उपदान की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए और उसके भुगतान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीसरे दिन के अपश्चात् की कोई तारीख तय करते हुए प्ररूप-तेरह में एक सूचना जारी करेगा; या

(दो) यदि उपदान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिनी या विधिक उत्तराधिकारी को यह कारण बताते हुए कि उपदान के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना गया, प्ररूप-तेरह में एक सूचना जारी करेगा। उपदान अस्वीकार किए जाने की

दशा में सूचना की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी;

(ख) यदि उपदान का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किए जाने योग्य है, तो उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप-खंड (एक) के अधीन प्ररूप-तेरह में सूचना में इस प्रयोजन के लिए तय की गई तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से तय की जाएगी अगर इस संबंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा बताते हुए किया गया है कि उसके लिए विनिर्दिष्ट तारीख पर व्यक्तिशः उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है;

(ग) यदि उपदान के लिए दावेदार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे गवाह या सबूत की मांग कर सकेगा जो यथास्थिति उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे के पोषण के लिए सुसंगत माना जा सके। उस दशा में, नियोक्ता को उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन सूचना जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा यथास्थिति नियोक्ता द्वारा बुलाए गए ऐसे साक्षी या साक्ष्य के नियोक्ता को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रभावशील होगी ;

(घ) प्ररूप-तेरह में यथाविहित कोई सूचना आवेदक को या तो रसीद लेने के बाद व्यक्तिगत सेवा या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाएगी ;

(ङ.) धारा 56 की उप-धारा (2) के अधीन कोई सूचना प्ररूप-तेरह में होगी।

(3) उपदान के भुगतान की रीति.- संहिता के अधीन देय उपदान का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या यथास्थिति पात्र कर्मचारी,

नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा:

परन्तु नियोक्ता द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को भुगतान के ब्यौरे के बारे में सूचना दी जाएगी।

(4) धारा 56 की उप-धारा (5) के खंड (ख) के अधीन निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन.-

(क) यदि कोई नियोक्ता,-

(एक) धारा 34 के अधीन नामांकन को स्वीकार करने या उप-नियम (1) के अधीन दायर किए गए आवेदन को लेने से स्वीकार करता है; या

(दो) उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन उपदान की कोई राशि, जो आवेदक द्वारा देय हो से कम समझी जाए विनिर्दिष्ट करते हुए या उपदान के भुगतान के लिए पात्रता को अस्वीकार करते हुए कोई सूचना जारी करता है; या

(तीन) उप-नियम (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त करते हुए उप-नियम (2) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना उसमें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जारी करने में विफल रहता है, तो यथा स्थिति, दावेदार, कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी आवेदन के लिए कारण उत्पन्न होने के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, धारा 56 की उप-धारा (5) के अधीन कोई दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-चौदह में

आवेदन कर सकेगा जिसके साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियां होंगी जितने कि विरोधी पक्षकार हैं;

परन्तु सक्षम प्राधिकारी इस उप-नियम के अधीन किसी भी आवेदन को निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर स्वीकार कर सकेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन आवेदन और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा।

(5) दिशानिर्देश के लिए आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया.-

(क) उप-नियम (4) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या व्यक्तिशः प्ररूप-पंद्रह में सूचना जारी करके, आवेदक के साथ-साथ नियोक्ता को भी या तो स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों के साथ, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर अपने समक्ष पर बुलाएगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, नियोक्ता या कर्मचारी, नामनिर्देशिनी या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने की इच्छा रखता है, सक्षम प्राधिकारी को यथास्थिति, नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसकी ओर से वह इस मामले में लिखित बयान

के साथ अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कार्रवाई करने की अनुमति चाहता है। सक्षम प्राधिकारी अपने अनुमोदन या अनुमति देने से इनकार करने के मामले में, इन्कार करने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश अभिलिखित कराएगा;

- (ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने वाला कोई पक्षकार प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध होगा;
- (घ) खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख पर सुनवाई पूरी होने के पश्चात् या ऐसी अन्य साक्ष्य दस्तावेजों, गवाहों, के परीक्षणों, सुनवाई और जांच, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को कोई राशि देय है। प्रत्येक पक्षकार को निष्कर्ष की एक प्रति दी जाएगी।
- (ड.) यदि संबंधित नियोक्ता सूचना की उचित तामीली के बाद पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई कर सकेगा और आवेदन को एक पक्षीय निर्धारित करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा। यदि आवेदक सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख पर पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परन्तु खंड (ड.) के अधीन किसी आदेश की उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर उचित कारण दर्शाए जाने पर समीक्षा की जाएगी और विरोधी पक्षकार को पुनः सुनवाई के लिए नियत

तारीख से चौदह दिनों से अनिम्न दिनों की सूचना देने के पश्चात् आवेदन की पुनः सुनवाई की जाएगी।

- (6) **सुनवाई का स्थान और समय.**-सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जैसा कि वह नियत करे और वह उसके पक्षकारों को ऐसी रीति में सूचित करेगा जैसी कि वह ठीक समझे।
- (7) **शपथ का दिलाया जाना.**- सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को शपथ पत्र बनाने के प्रयोजन से शपथ दिलाए जाने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
- (8) **गवाहों की समन और उनकी उपस्थिति.**- सक्षम प्राधिकारी, उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदक किए जाने पर या उसके बिना कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, ऐसे निबंधनों पर जो कि सक्षम प्राधिकारी को उचित प्रतीत हों किसी भी व्यक्ति को, प्ररूप-पंद्रह में, यथाविहित किसी निर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर, या तो सबूत देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनो प्रयोजनों हेतु समन जारी कर सकेगा।
- (9) **समन या सूचना की तामीली.**-
- (क) खण्ड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई सूचना, समन, आदेशिका या आदेश या तो व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक पावती द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन यथा विहित किसी अन्य रीति में तामील किया जा सकेगा;

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए (पक्षों के रूप में) कई व्यक्ति हों और ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यवसाय संघ या संगठन के सदस्य हों या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हों तो सचिव पर सूचना की तामीली, या जहां कोई सचिव नहीं है, व्यवसाय संघ या संगठन के प्रमुख अधिकारी पर, या किसी प्राधिकृत व्यक्ति पर सूचना की तामीली को ऐसे व्यक्तियों पर तामीली समझा जाएगा।

(10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव.- (क)

सक्षम अधिकारी धारा 56 के अधीन प्रत्येक मामले के ब्यौरे अभिलिखित करेगा और आदेशपारित करते समय इस प्रकार अभिलिखित विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुणों पर निष्कर्ष भी अभिलिखित करेगा और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ-साथ इसे अभिलिखित करेगा;

(ग) सी भी आदेश या निर्देश के अभिलेख से भिन्न कोई भी अभिलेख, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए इन नियमों द्वारा अपेक्षित है। सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में नियुक्त किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन के अधीन हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।

11) उपदान के भुगतान हेतु निर्देश.- यदि कोई निष्कर्ष उप-नियम (5) के

खंड (घ) के अधीन अभिलिखित किया जाता है कि आवेदक संहिता के अधीन उपदान के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या

नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचना के अधीन आवेदक को यथास्थिति देय राशि और उसके भुगतान का निर्देश निर्दिष्ट करता है। सूचना की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामित या विधिकउत्तराधिकारी को दी जाएगी

(12) अपील.-

(क) संहिता की धारा 56 की उप-धारा (8) के अधीन अपील का ज्ञापन, अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी एक प्रति और विरोधी पक्षकार और सक्षम प्राधिकारी को पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप के साथ भी दी जाएगी;

(ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी;

(ग) सक्षम प्राधिकारी के निषकर्षा और उपदान के भुगतान के लिए निर्देशों की प्रमाणित प्रति अपील के ज्ञापन के साथ संलग्न की जाएगी;

(घ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के अभिलेख को अग्रेषित करेगा;

(ङ.) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपरीत पक्षकार अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को, अतिरिक्त दलीलों के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अनुच्छेद की अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा;

(च) अपीली प्राधिकारी, पक्षकारों को अपील को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अपना निर्णय अभिलिखित करेगा। निर्णय की एक प्रति पक्षकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या व्यक्ति द्वारा अपील करने के लिए दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम अधिकारी को मामले के अपने अभिलेख को वापस भेज दी जाएगी;

(छ) सक्षम प्राधिकारी, अपीली प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा संधारित मामले के अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा;

(ज) अपीली प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के अधीन आवश्यक हो, तो उपदान के भुगतान के लिए उसके निर्देश में उपांतरण और प्ररूप - सोलह में संबंधित नियोक्ता को उपांतरित देयराशि विनिर्दिष्ट करते हुए और आवेदक को उसका भुगतान करने के निर्देश देते हुए एक सूचना जारी कर सकेगा। नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित सूचना की एक प्रति यथास्थिति, अपीली कर्मचारी, नामित या विधिक उत्तराधिकारी के साथ-साथ अपील प्राधिकारी को दी जा सकेगी।

(13) उपदान की वसूली के लिए आवेदन.-जहां एक नियोक्ता उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के अनुसार संहिता के अधीन शोधय का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा यथास्थिति संबंधित कर्मचारी,

उसका नामांकित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी, यथास्थिति जिस को उपदान देय हो, संहिता की धारा 129 के अधीन उसकी वसूली के लिए प्ररूप - सत्रह में डुप्लीकेट में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

12. सक्षम प्राधिकारी कि नियुक्ति.-सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जाएगी।

अध्याय - छह

प्रसूति प्रसुविधा

13. प्राधिकरण जिसे धारा 72 की उप-धारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी.-

(1) धारा 72 के अधीन शिकायत,- (क) धारा 72 की उप-धारा (1) के अधीन शिकायत, यथास्थिति, लिखित में या प्ररूप - अठाराह में विहित किये गए अनुसार की जाएगी;

(ख) जब निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा धारा 72 में निर्दिष्ट शिकायत प्राप्त की जाती है तो वह नियोक्ता द्वारा इस निमित्त संधारित सुसंगत अभिलेखों की जांच करेगा, स्थापना में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक बयान लेगा। यदि वह संतुष्ट है कि प्रसूति प्रसुविधा या राशि अनुचित रूप से रोक दी गई है, तो वह नियोक्ता को धारा 63 के अधीन भुगतान का दावा करने वाली यथास्थिति महिला या व्यक्ति को शीघ्रता पूर्व या विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश देगा।

(2) धारा 72 के अधीन अपील.-

- (क) धारा 72 की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय के विरुद्ध अपील सक्षम प्राधिकारी की जाएगी;
- (ख) व्यथित व्यक्ति प्ररूप- उन्नीस में विहित प्राधिकारी को लिखित में अपील करेगा और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेंगे;
- (ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो विहित प्राधिकारी निरीक्षण सुविधा प्रदाता से नियत तारीख से पहले बुलाकर मामले को अभिलिखित करेगा। यदि आवश्यक हो, तो विहित प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति और निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता के बयानों को दर्ज करेगा और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांग सकेगा;
- (घ) उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सबूत और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य या उसके द्वारा निश्चित किये गए दस्तवेजों को ध्यान में रखते हुए, विहित प्राधिकारी अपना निर्णय देगा।

अध्याय- सात

कर्मचारी प्रतिकर

14. धारा 76 की उप-धारा (7) के अधीन नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय हेतु रकम का जमा कराना.-
अंत्येष्टि हेतु रकम -यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता, उप-धारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी के अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहां कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है, या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था, वहां उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए राशि जो

15000 रूपए से कम न हो या ऐसी राशि जो राज्य सरकार द्वारा उसके भुगतान के लिए अधिसूचित की जाए, जमा करेगा:

परंतु केन्द्र सरकार संहिता की धारा 76 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट रकम में वृद्धि करती है तो उसका पालन राज्य सरकार द्वारा भी किया जाएगा।

15. धारा 79 की उप-धारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र सहित शर्तें, जब पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है .-

जब चिकित्सीय प्रमाण.- पत्र के बिना आवेदन किया जाए -संहिता की धारा 79 के अधीन अर्द्ध-मासिक संदाय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन चिकित्सीय प्रमाण-पत्र संलग्न किए बिना किया जाए,-

(क) नियोक्ता द्वारा, इस आधार पर कि जबसे प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है कर्मचारी की मजदूरी बढ़ गई है;

(ख) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि जबसे प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है उसकी मजदूरी कम हो गई है;

(ग) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि नियोजन ने प्रतिकर अदा करना प्रारम्भ करके प्रतिकर अदा करना रोक दिया है, यह तथ्य होते हुए भी कि कर्मचारी की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रकार रोक का उचित कारण बताना;

(घ) या तो नियोक्ता द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि तत्समय प्रवृत्त प्रतिकर की दर का निर्धारण कपट अथवा अनुचित प्रभाव अथवा अन्य अनुचित साधनों से किया गया था;

(ङ) नियोक्ता द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि प्रतिकर के निर्धारण में अभिलेख में प्रत्यक्षतः भूल अथवा गलती हुई है।

(2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर प्रक्रिया.-नियोक्ता द्वारा पुनर्विलोकन के लिए दिए गए आवेदन जिसमें उसने अर्द्ध मासिक संदाय के रोक या कटौती को चाहा है के परीक्षण करने पर अगर सक्षम प्राधिकारी को यह मालूम पड़े कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि नियोक्ता को ऐसी कटौती या रोक का अधिकार है तो वह आवेदन के निर्णय के लम्बित रहते अर्द्ध मासिक संदाय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकने का आदेश दे सकेगा।

(3) सारांशीकरण के लिए आवेदन पर प्रक्रिया.- (क) जहां एक मुश्त राशि के संदाय रूप में अर्द्ध मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार से छुटकारे के लिए धारा 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आवेदन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी निशक्तता की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और संपूर्ण अर्द्ध-मासिक संदाय के बराबर राशि अधिनिर्णीत नहीं करेगा जो उस कालावधि के लिए देय होगी जब तक उसके अनुमान से निःशक्तता जारी रहेगी, उस कालावधि के प्रत्येक महीने की कुल राशि की आधा प्रतिशत कम घटा कर होगी:

रंतु इस प्रकार संगणना में सम्मिलित रूप्यों की भिन्नो उपेक्षा की जाएगी।

(ख) किसी ऐसे मामले में जिस पर उप-नियम (1) लागू होता हो, जब सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की अधिसंभाव्य अवधि का अनुमान आंकलन करने में असमर्थ रहे तो वह समय-समय पर एक अवधि के लिए जो किसी एक समय पर दो महीने से अधिक नहीं हो आवेदन पर निर्णय टाल सकेगा ।

16. धारा 82 की उप-धारा (4) के अधीन कर्मचारियों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्ररूप.- समुचित सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोक्ता जैसा कि उस सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने परिसर में जहां कर्मचारी नियोजित है एक सूचना-पुस्तक रखेंगे, (प्ररूप क्रमांक बीस देखिए) जिसे उस सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में परिसर में नियोजित किसी भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सके।

17. धारा 84 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन चिकित्सा परीक्षण के लिए लगातार अंतराल.-

(1) नियमों के अनुसार के अलावा कर्मचारी चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं-कर्मचारी जो धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने को अपेक्षित है इस भाग में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार ही ऐसा करने को बाध्य होगा और अन्यथा नहीं।

(2) कर्मचारी और चिकित्सीय व्यवसायी दोनों के परिसर में होने पर परीक्षण.- जब ऐसा कर्मचारी नियोक्ता के परिसर में उपस्थित हो, और नियोक्ता, उसे प्रत्येक चिकित्सीय व्यवसायी जो उपस्थित है से उसकी निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहता है तो कर्मचारी तुरंत परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।

(3) अन्य मामलों में परीक्षण.-उन मामलों में जिनमें नियम 14 लागू नहीं होता है,नियोक्ता-

(क) उस स्थान पर चिकित्सा व्यवसायी को भेज सकेगा जहां कर्मचारी उस समय रह रहा हो और इस दशा में कर्मचारी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण के लिए आवेदन किए जाने पर अपने को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा; या

(ख) कर्मचारी के पास अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के लिए लिखित प्रस्ताव भेज सकेगा,इस दशा में कर्मचारी नियोक्ता के परिसर में अथवा उसके सामीप्य में ऐसे स्थान पर जैसा कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय पर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होगा:

परंतु:-

(एक) इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय कर्मचारी की लिखित सहमति के सिवाय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं होगा;और

(दो) उन मामलों में जिनमें कर्मचारी की दशा ऐसी हो जिसमें उसके स्थान जहां तत्समय वह रह रहा है,को छोड़ना असंभव हो या बुद्धिमाननी न समझा जाए तो वह

चिकित्सीय परीक्षणके लिए प्रस्तुत होने को ऐसे स्थान के सिवाय अपेक्षित नहीं होगा।

- (4) परीक्षणों की संख्या पर निर्बंधन.-यदि कर्मचारी अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त कर चुका है वह दुर्घटना के बादप्रथम महीने में दो बार से अधिक अथवा बाद के किसी महीने में एक से अधिक बार उस स्थान पर जहां वह तत्समय रह रहा है से भिन्न स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।
- (5) प्रतिकर के अधिकार के निलम्बन के बाद परीक्षण.- यदि कोई कर्मचारी जिसका प्रतिकर का अधिकार संहिता की धारा 84 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन निलम्बित कर दिया है बाद में चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वयं प्रस्तुत होता है तो उसकापरीक्षणनियोक्ता के परिसर में या सामीप्य में ऐसे स्थान पर जैसा नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए और कर्मचारी की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय ऐसे समय पर जो नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए पर कर्मचारी द्वारा अपने को प्रस्तुत करने के बाद बहत्तर घंटों से अधिक नहीं हो।
- (6) महिलाओं का परीक्षण.-
 (एक) किसी भी महिला की उसकी सहमति के बगैर अन्य महिला की उपस्थिति के सिवाय पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया जाएगा ।

(दो) किसी भी महिला को पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि वह इतनी राशि जमा कर देती है जो किसी महिला व्यवसायी द्वारा परीक्षण के खर्चों के लिए पर्याप्त हो।

18. धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया गया कथन.-

(1) संहिता की धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भेजी जाने वाली सूचना प्ररूप - इक्कीस में होगी और प्ररूप - बाईस की सादी प्रतिलिपि के साथ होगी।

(2) धारा 88 के अधीन नियोक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कथन प्ररूप - बाईस में होगा।

(3) धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन दुर्घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट उस प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी, जिसके पास ऐसी दुर्घटना की सूचना भेजी जानी आवश्यक है।

19. धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन संक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में जापन अभिलिखित करने की रीति.-

(1) जापन का प्ररूप.- धारा 89 की उप-धारा (1) के अधीन संक्षम प्राधिकारी को भेजा गया करार का जापन, यदि संक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, दो प्रतियों में होता और प्ररूप-तेरह अथवा प्ररूप-चौदह अथवा प्ररूप-पंद्रह के उतने अनुरूप होगा जितनी मामले की परिस्थितियां ग्रहण करें।

(2) प्रक्रिया जहां संक्षम प्राधिकारी यह नहीं मानता कि उसे जापन अभिलिखित करने से इन्कार करना चाहिए.-

(क) करार का जापन प्राप्त करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी यह नहीं मानता कि जापन को अभिलिखित करने से इन्कार करने के आधार है तो वह उन्हें अभिलिखित करने के लिए तारीख तय करेगा और सम्बन्धित पक्षकारों को प्ररूप - छब्बीस में लिखित में एक सूचना जारी करेगा कि आपत्ति के व्यतिक्रम पर वह इस प्रकार तय तारीख पर जापन को अभिलिखित करने का प्रस्ताव करता है :

परंतु सूचना किन्हीं भी पक्षकारों को मौखिक रूप से संसूचित की जा सकती है जो उस समय, जब सूचना लिखित रूप में अन्यथा जारी होती, उपस्थित हों।

(ख) इस प्रकार नियत तारीख पर, सक्षम प्राधिकारी जापन अभिलिखित करेगा यदि किन्हीं पक्षकारों को जो प्रस्तुत होकर सुने जाने की इच्छा प्रकट करे जब तक कि वह यह न समझे कि इसे अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए :

परंतु उप-नियम (1)के अधीन सूचना के विवाद्यक सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार तय तारीख पर जापन को अभिलिखित करने के लिए इन्कार करने से नहीं रोक सकेंगे चाहे किसी सम्बन्धित द्वारा आपत्ति न की गई हो।

(ग) यदि इस तारीख को सक्षम प्राधिकारी निर्णय करता है कि जापन अभिलिखित किया जाना चाहिए, वह अपने निर्णय व इसके कारणों की सूचना उपस्थित पक्षकारों को देगा और यदि जापन को अभिलिखित कराने की चाह

रखने वाला कोई पक्षकार उपस्थित नहीं है, तो वह प्ररूप-सत्ताईस में उस पक्षकार को सूचना देगा।

(3) प्रक्रिया जहां सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि उसे जापन अभिलिखित करने से इन्कार करना चाहिए.-

(क) करार के जापन को प्राप्त करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि जापन अभिलिखित करने से इन्कार करने के पर्याप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के लिए जो जापन को अभिलिखित कराने की इच्छा रखते हैं; तारीख नियत करेगा और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को और यदि वह उचित समझे, किसी अन्य सम्बन्धित पक्षकार को इस प्रकार नियत तारीख और आधार जिन पर वह यह समझता है कि जापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, की सूचना देगा;

(ख) यदि पक्षकार जिन्हे सूचना दी गई है उपस्थित नहीं हो तो यथास्थिति प्ररूप-अठ्ठाईस अथवा प्ररूप-उनतीस में, एक लिखित सूचना उन्हें दी जाएगी, और इस सूचना में नियत तारीख, सूचना जारी होने की तारीख के बाद से सात दिन से कम की नहीं होगी;

(ग) खण्ड (क) के अधीन तय तारीख पर यदि जापन को अभिलेखित कराने की चाह रखने वाला या वाले पक्षकार जापन को अभिलिखित करने के लिए कार्यवाही करने के लिए उचित कारण दर्शाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी यदि सम्बन्धित सभी पक्षकारों को पहले ही सूचना दी जा चुकी

है, करार अभिलिखित कर सकेगा । यदि इन सभी पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है तो वह नियम 20 (2) के अनुसार कार्यवाही करेगा;

(घ) इस प्रकार नियत तारीख पर, यदि सक्षम प्राधिकारी जापन अभिलिखित करने से इंकार करेगा, तो वह उस किसी भी पक्षकार को प्ररूप-सत्ताईस में सूचना भेजेगा जिसने खण्ड (क) के अधीन सूचना प्राप्त नहीं की थी।

(4) जापन अभिलिखित करने से इन्कार पर प्रक्रिया.-

(क) यदि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी करार के अभिलिखित करने से इन्कार करता है तो वह अपने इस इन्कार के कारणों का संक्षिप्त रूप से अभिलेखन करेगा;

(ख) यदि, सक्षम प्राधिकारी करार के जापन को अभिलिखित करने से इंकार करेगा तो वह करार में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी राशि या रकम या संदाय करने को निर्देशित करने वाला आदेश पारित नहीं करेगा, यदि राशि अदा करने के उत्तरदायी पक्षकार को यह कारण बताने का कि राशि अदा क्यों नहीं की जानी चाहिए अवसर न दे दिया गया हो;

(ग) जहां करार एक मुश्त राशि के संदाय द्वारा अर्द्ध मासिक संदायों के छुटकारे के लिए हो, और सक्षम प्राधिकारी यह माने कि करार का जापन करार में यथा नियत ऐसी राशि की रकम की अपर्याप्तता के कारण अभिलिखित नहीं किया

जाना चाहिए तो वह कर्मचारी की निःशक्तता की संभाव्य अवधि का अपना आंकलन अभिलिखित करेगा।

(5) अभिलेख के लिए स्वीकार किए गए ज्ञापन का रजिस्ट्रीकरण.- करार के ज्ञापन अभिलिखित करने में, सक्षम प्राधिकारी इसको प्ररूप-तीस में एक रजिस्टर में अभिलिखित कराएगा और ज्ञापन की एकप्रति पर अपने हस्ताक्षर द्वारा पृष्ठांकन करवाएगा जो निम्नलिखित निबंधनों में उसके द्वारा रखी जाएगी, यथा :-

"ज्ञापन का यह करार 20. को क्र. नं.
..... 20..... के
दिन..... को रजिस्टर में अभिलिखित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

20. धारा 91 की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसा अन्य अनुभव और अर्हताएं.-

सक्षम प्राधिकारी की अर्हता -

(क) राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य जो 5 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सेवा में हो; या

(ख) कम से कम पांच वर्ष की वकालत करने वाला अधिवक्ता; या

(ग) राजपत्रित अधिकारी जिसकी सेवा 5 वर्ष से अन्यून हो, शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो और कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक सम्बन्धों तथा विधिक मामलों में अनुभव रखता हो;

(घ) श्रम विभाग का अधिकारी जो सहायक श्रम आयुक्त/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का हो।

21. धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना की रीति और उप-धारा (3) के अधीन धन राशि पारेषित करने की रीति.-

(1) प्रतिवेदन के लिए अंतरण.-

(क) कोई सक्षम प्राधिकारी जो धारा 92 की उप-धारा(2) के अनुसार प्रतिवेदन के लिए किसी मामले को किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास अन्तरित कर रहा है, उस उप-धारा में निर्दिष्ट दस्तावेज के साथ उस अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसा संक्षिप्त कथन भेजेगा जो उस मामले के उत्तर के लिए जिस पर रिपोर्ट मांगी गई है के प्रश्नों के प्ररूप में हो;

(ख) सक्षम प्राधिकारी जिसके पास रिपोर्ट के लिए मामला इस प्रकार अन्तरित किया गया है किसी विधि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपेक्षित नहीं होगा;

(2) धन का पारेषण.- एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूसरे सक्षम प्राधिकारी के पास धारा 92 की उप-धारा (2) के अनुसार पारेषित धन या तो प्रेषण अन्तरण रसीद, या धनादेश या संदेश वाहक द्वारा, जैसा भी धन पारेषित करने वाला सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे, पारेषित किया जाएगा।

22. धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन दावे या समझौते के लिए आवेदन के लिए प्ररूप, रीति और फीस एवं उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे की समय-सीमा और कार्यवाही के लिए आनुषंगिक की लागत.-

प्रक्रिया

- (1) परिचय.- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संहिता अथवा इन नियमों के अधीन मामलों का निपटारा करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस भाग में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी।
- (2) आवेदन.- धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकेगा अथवा उसके पास प्रस्तुत किया जा सकेगा अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस प्रकार भेजा गया या प्रस्तुत किया गया आवेदन यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देशित नहीं करता है तो समुचित प्ररूप दो प्रतियों में बनाया जाएगा, यदि कोई हो, और आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के नियम 15 के आदेश छह द्वारा विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा। (प्ररूप इकत्तीस, बत्तीस तथा तैंतीस देखिए)।
- (3) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना.-
- (क) जब राहत के लिए आवेदन दस्तावेज पर आधारित हो तो आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न किया जाएगा;
- (ख) कोई अन्य दस्तावेज जो कोई पक्षकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहे पहली सुनवाई के दौरान अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) कोई दस्तावेज जिसे यथास्थिति खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समय पर या समय में पेश नहीं किया जाता तो वह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना आवेदक की ओर से साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा;

(घ) इस उप नियम में कुछ भी किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होता जो गवाह की प्रति-परीक्षण के प्रयोजन के लिए पेश किया गया हो या गवाह को उसकी याद दाश्त ताजा करने के लिए दे दिया गया हो।

(4) गलत सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन.-

(क) आवेदन प्राप्त करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि यह किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को पेश किया जाना चाहिए था तो वह उस समय पर पेश होने व वापस करने की तारीख, वापस करने का कारण और उस सक्षम प्राधिकारी का नाम जिसको यह भेजा जाना चाहिए, पृष्ठांकित कर आवेदक को वापस भेजेगा;

(ख) यदि बाद में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी को यह महसूस हो कि आवेदन किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए था तो वह उस सक्षम प्राधिकारी को यह आवेदन भेज देगा जो इसकी सुनवाई करने के लिए सशक्त है और आवेदक को (और विरोधी पक्षकार को) यदि उसने नियम 8 के अधीन आवेदन की एक प्रति प्राप्त कर ली है, तदनुसार सूचित करेगा;

(ग) वह सक्षम प्राधिकारी जिसको खण्ड (ख) के अधीन आवेदन अन्तरित किया गया है कार्यवाहियां उसी प्रकार जारी रखेगा मानो

पूर्व की कार्यवाहियां अथवा उनमें से कोई कार्यवाही उसके समक्ष की गई हो, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर एतद्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) आवेदक का परीक्षण.- (क) धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद सक्षम प्राधिकारी आवेदक की शपथ पर परीक्षण कर सकेगा, अथवा आवेदन को इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकेगा और ऐसे अधिकारी को आवेदक की व उसके गवाहों का परीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा और उसके अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन दिए गए किसी परीक्षण का सार उसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जैसा धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

(6) आवेदन का संक्षिप्त रूप में खारिज होना.- (एक) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर विचार करने के पश्चात् तथा उप-नियम (5) के अधीन आवेदक को किसी परीक्षण के परिणाम पर, आवेदन को, यदि वह उन कारणों की वजह से अभिलिखित किए जाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस पर कार्यवाही आगे करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं संक्षिप्त रूप में खारिज कर सकेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन आवेदन की खारिजी आवेदक को उसी मामले के निपटारे के लिए नवीन आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी।

- (7) आवेदन में प्रारम्भिक जांच.- यदि उप-नियम (6) के अधीन किसी आवेदन को खारिज नहीं किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी उन कारणों की वजह से जो अभिलिखित किए जायेंगे, किसी अन्य पक्षकार को बुलाने से पहले आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुला सकेगा और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि दावा की गई राहत के लिए मामला नहीं बनता तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ आवेदन को खारिज कर सकेगा।
- (8) विरोधी पक्षकार को सूचना.- यदि सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (6) या उप-नियम (7) के अधीन आवेदन खारिज नहीं करता है, तो वह आवेदन की एक प्रति उस तारीख को सूचना सहित जिस तारीख को वह आवेदन का निस्तारण करेगा उस पक्षकार (उसमें इसके पश्चात् विरोधी पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट है) के पास भेजेगा जिससे आवेदक राहत का दावा कर रहा है और पक्षकारों को इस तारीख पर किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जो वे प्रस्तुत करना चाहें।
- (9) विरोधी पक्षकार की पेशी व परीक्षण.- (क) विरोधी पक्षकार यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अपेक्षा की जाए, प्रथम सुनवाई के समय या उसके पूर्व जैसी कि सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे आवेदन में किए गए दावे से सम्बन्धित लिखित कथन दायर कर सकेगा, और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो लिखित कथन दायर करेगा और ऐसा कोई भी लिखित कथन अभिलेख का हिस्सा होगा;
- (ख) यदि विरोधी पक्षकार दावे का विरोध करता है, तो सक्षम प्राधिकारी दावे पर उसका परीक्षण लेने के लिए कार्यवाही कर

सकेगा, और यदि कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो दावे पर उसके परीक्षण की कार्यवाही करेगा और परीक्षण के परिणाम को लेखबद्ध करेगा।

(10) विवाद्यों की विरचना.- (क) किसी लिखित कथन और पक्षकारों की

किसी परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर पक्षकारों में मतभेद है और तदुपरान्त उन विवाद्यों को विरचित व अभिलिखित करेगा जिस पर मामले का सही निर्णय निर्भर करता है;

(ख) विवाद्यों अभिलिखित करने में, सक्षम प्राधिकारी उन विवाद्यों जो उसकी राय में तथ्यों से संबंधित हैं और उन विवाद्यों जो विधि बिन्दुओं से सम्बन्धित हैं में भेद करेगा।

(11) तथ्यों के विवाद्यों के विचारण के स्थगन की शक्ति जहां विधि

विवाद्यों पैदा होते हैं.- जहां एक ही मामले में तथ्य के विवाद्यों व विधि के विवाद्यों पैदा हैं और सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि मामले का निपटारा केवल विधि के विवाद्यों के आधार पर हो सकेगा तो वह उन विवाद्यों का पहले विचारण करेगा और उस उद्देश्य के लिए, अगर वह उचित समझे, तथ्य के विवाद्यों को तब तक स्थगित रख सकेगा जब तक कि विधि के विवाद्यों का निर्धारण नहीं हो जाता।

(12) डायरी.- सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर की गई कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त डायरी स्वयं बनाए रखेगा।

- (13) निर्णय.- (क) सक्षम प्राधिकारी आदेश पारित करने में संक्षिप्त रूप से निर्णय और विरचित विवाद्यों के प्रत्येक विवाद्यों पर अपने निष्कर्ष को और अपने निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा;
- (ख) हस्ताक्षर करते समय व निर्णय पर तारीख डालते समय सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय को सुनाएगा, और उसके पश्चात किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधारने से भिन्न निर्णय में कुछ भी जोड़ा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (14) गवाहों को बुलाना.- यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी विहित खर्चों व फीस अदा होने पर ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए सम्मन जारी करेगा। यदि वह यह विचार नहीं करें कि उनकी उपस्थिति मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है।
- (15) स्थानीय निरीक्षण के लिए प्रवेश करने का अधिकार.- सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष दुर्घटना द्वारा हुई क्षति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही लम्बित हो, स्थानीय निरीक्षण करने के लिए अथवा कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना देने वाले किसी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए उस स्थान में कभी भी प्रवेश कर सकेगा जहां कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अथवा जहां साधारण तौर पर कर्मचारी कार्य करता था :

परंतु सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता अथवा स्थापना के प्रबन्धन के लिए उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी व्यक्ति की

अनुमति के सिवाय उस स्थापना के सामान्य कार्य समय के दौरान को छोड़कर किसी औद्योगिक स्थापना के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(16) स्थानीय निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया.- (क) यदि सक्षम प्राधिकारी जिनमें दुर्घटना घटी, घटना-स्थल और परिस्थितियों की जांच करने की दृष्टि से स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव रखता है तो वह ऐसा निरीक्षण करने के अपने आशय की सूचना पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, यदि उसकी राय में मामले की आवश्यकता इस प्रकार की सूचना को असाध्य न बना दे;

(ख) ऐसी सूचना मौखिक या लिखित में दी जा सकेगी और नियोक्ता के मामले में, उसे किसी भी व्यक्ति को जिस पर धारा 88 की उप-धारा (2) के अधीन दावे की सूचना तामील की जा सके, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि को दी जा सकेगी;

(ग) स्थानीय निरीक्षण में कोई भी पक्षकार, अथवा किसी पक्षकार का प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी के साथ हो सकेगा;

(घ) स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी जापन में संक्षिप्त रूप से देखे गए तथ्यों को लिखेगा और उस किसी पक्षकार को दिखाएगा जो देखना चाहे, और विहित शुल्क के संदाय के बाद, उसकी प्रति किसी भी पक्षकार को देगा;

(पांच) जापन, अभिलेख का प्ररूप भाग होगा।

(17) संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति.- (क) सक्षम प्राधिकारी उसके समक्ष लम्बित किसी मामले की औपचारिक सुनवाई के समय के सिवाय स्थानीय निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त परीक्षण कर सकेगा, जो ऐसे मामले से सम्बन्धित सूचना देने में समर्थ जात होता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति मामले में गवाह के रूप में पुकारा गया अथवा जाय या नहीं और चाहे कोई पक्षकार या सभी पक्षकार उपस्थित हो या न हों;

(ख) खण्ड (क) के अधीन परीक्षण लिए जाने वाले व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जाएगी;

(ग) खण्ड (क) के अधीन जांच किए गए व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन, यदि लिखे गए हों, कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे, न ही यहां इसके पश्चात् जैसा उपबंधित किया गया हो के सिवाय उनको अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा अथवा मामले में निर्णय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा;

(घ) यदि कोई गवाह जिसकी खण्ड (क) के अधीन परीक्षण की गयी है साक्ष्य में कोई सारवान कथन करता है जो ऐसी परीक्षण में उसके द्वारा किए गए और लिखे गए कथन से विरोधात्मक हो तो सक्षम प्राधिकारी उसका ध्यान ऐसे कथन की ओर दिला सकेगा और उस स्थिति में निर्देश दे सकेगा कि गवाह का परीक्षण अथवा प्रति-परीक्षण लेने के प्रयोजन के लिए ऐसे कथन का सुसंगत भाग पक्षकारों को दे दिया जाएगा;

- (ड.) कोई कथन अथवा कथन का हिस्सा जो खण्ड (घ) के अधीन पक्षकारों को दिया गया है अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा;
- (च) जहां कोई मामला पक्षकारों के मध्य करार, द्वारा निपटा लिया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी खण्ड (क) के अधीन किए गए किसी भी कथन को अभिलेख में सम्मिलित कर सकेगा और किए गए करार को स्वीकार करने, अथवा इनकार करने, को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजन के लिए ऐसे कथन का प्रयोग कर सकेगा।
- (18) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने का करार.-** (क) यदि कोई पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने की अपनी इच्छा लिखित रूप में करता है, तो सक्षम प्राधिकारी इसकी जांच करेगा कि क्या पक्षकार निर्णय मानने का इच्छुक है;
- (ख) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए सहमत होता हो उसके करार का तथ्य लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा;
- (ग) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए सहमत होता है प्रथम पक्षकार भी निर्णय मानने के लिए बाध्यता के अधीन नहीं रहेगा।
- (19) प्रक्रिया जहां धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा किया गया हो.-**(क) जहां विरोधी पक्षकार यह दावा करता है कि उससे प्रतिकर वसूला गया तो वह धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, जो मामले का पक्षकार नहीं है तो आवेदन का प्रथम बार उत्तर देने के लिए बुलाए जाने पर वह विहित शुल्क के साथ ऐसी सूचना सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा

और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्ररूप-चौतीस के अधीन में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा;

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिसे खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील कराई गई है आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की इच्छा करता है, अथवा विरोधी पक्षकार के दावे की क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख पर जब तक के लिए मामले को स्थगित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि इस प्रकार वह प्रस्तुत होता है, तो कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार उसे प्राप्त होंगे, प्रस्तुत होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जाएगा कि विरोधी पक्षकार के विरोध में दिया गया कोई अधिनिर्णय उसे स्वीकार है और उससे वसूले गए किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है :

परंतु इस प्रकार सूचना तामील किया गया व्यक्ति वाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके प्रस्तुत न हो पाने का पर्याप्त कारण था तो उपर्युक्त विरोधी पक्षकार को सूचना देने के बाद सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और इन नियमों और ऐसे निबंधनों के अधीन जैसा कि न्याय संगत हो दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त कर सकेगा अथवा परिवर्तित कर सकेगा;

(ग) यदि कोई व्यक्ति, जिसे खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील कराई गई है, चाहे वह आवेदक का प्रतिकर के दावे का अथवा विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति किए जाने के दावे का विरोध करने

की इच्छा करे या न करे, दावा करता है कि ठेकेदार होते हुए वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार है जो उस ठेकेदार जिससे कर्मचारी प्रतिकर वसूली के सम्बन्ध में उसके विरोध में है तो वह उप-खण्ड (क) के अधीन दी गई सूचना में नियत दिनांक पर या उसके पूर्व विहित शुल्क के साथ सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावे की एक सूचना देगा और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्ररूप-पैंतीस में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा;

(घ) यदि कोई व्यक्ति जिसे खण्ड (ग) के अधीन सूचना तामील किया गया है आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की अथवा खण्ड (ग) के अधीन क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा प्रकट करता है तो वह प्ररूप-पैंतीसमें तय की गई दिनांक पर या उस दिनांक पर जिसको मामला स्थगित किया गया है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि वह इस प्रकार प्रस्तुत हो जाता है तो उसे कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और इस प्रकार प्रस्तुत होने के व्यक्तिक्रम में यह माना जाएगा कि मूल पक्षकार के विरोधी अथवा उस व्यक्ति के विरोधी जिसे खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील करायी गयी है दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार करता है और उस पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने को स्वयं का दायित्व स्वीकार करता है जिसके विरोध में उससे वसूल किए जाने वाले किसी प्रतिकर के लिए अधिनिर्णय दिया गया है :

परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार सूचना तामील करा दी गयी है, बाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसे प्रस्तुत होने से पर्याप्त कारण ने रोका था तो अभिलेख पर दिए गए सभी पक्षकारों को सूचना

देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायोचित हों इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरोध में दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा;

(ड.) ऐसी किसी प्रक्रिया में जिसमें खण्ड (क) अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना तामील करा दी गई है, तो सक्षम प्राधिकारी, अगर वह प्रतिकर का अधिनिर्णय देता है, प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में निष्कर्ष को अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा चाहे वह व्यक्ति किसी विरोधी पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी हो या नहीं और पक्षकार को यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी क्षतिपूर्ति का वह उत्तरदायी है।

(20) संसक्त मामलों में प्रक्रिया.- (क) जहां एक ही दुर्घटना से उत्पन्न दो या दो से अधिक मामले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हों और इसके अंतर्वलित कोई भी विवादक दो या अधिक ऐसे मामलों में समान हो तो, जहां तक ऐसे विवादकों में साक्ष्य का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों की सुनवाई साथ-साथ की जा सकती है;

(ख) जहां खण्ड (क) के अधीन कार्रवाई की जाती है तो उस समान विवादक या विवादकों के साक्ष्य का अभिलेखन एक मामले का अभिलेख अभिलिखित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी अन्य मामले के अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करेगा, उस विस्तार तक कि इस प्रकार अभिलेखित किया गया साक्ष्य ऐसे अन्य मामले में हो, और यह तथ्य कि ऐसे अन्य मामले के पक्षकारों को प्रस्तुत होने का अवसर मिला हो, और यदि वे उपस्थित रहे हों, तो गवाहों की प्रति-परीक्षण का अवसर मिला हो।

(21) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के कतिपय उपबंधों का लागू होना.- संहिता या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध यथा वे उपबंध जो आदेश पांच, नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश नौ, आदेश बारह, नियम 3 से 10, आदेश सोलह, नियम 2 से 21, आदेश सत्रह, और आदेश अठारह, नियम 1 व 2 में निहित हैं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में लागू होंगे, जहां तक वे उन पर लागू हों :

परंतु कि ---

(क) उक्त उपबंधों के लागू होने को सुकर बनाने के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी इन उपबंधों का कुछ ऐसे परिवर्तनों के साथ अर्थ लगा सकेगा जो इनके सार को प्रभावित किए बगैर उसके समक्ष मामले के प्रति अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हो ;

(ख) पर्याप्त कारणों की वजह से, सक्षम प्राधिकारी उक्त उपबंधों से अन्यथा भिन्न कार्यवाही कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है की पक्षकारों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(22) प्ररूपों पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उपबंध.- प्रतिकर की रसीद से भिन्न कोई अन्य प्ररूप जो इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है, उसके निर्देशानुसार व उसकी ओर से इस उद्देश्य के लिए लिखित रूप में उसके द्वारा नियुक्त उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

(23) आश्रितों में प्रतिकर का प्रभाजन करना.- नियम 08,09 व 21 में निहित उपबंधों के सिवाय, इस भाग के उपबंध, जहां तक हो सके, मृत कर्मचारियों के आश्रितों में प्रतिकर के प्रभाजन से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों के मामले में लागू होंगे ।

(24) स्थगन के कारण अभिलिखित होंगे.- यदि सक्षम प्राधिकारी किसी आवेदन का निस्तारण एक ही सुनवाई में पूर्ण करना संभव नहीं पाता तो वह उन कारणों को अभिलिखित करेगा जो स्थगन को आवश्यक कर रहे हैं।

(25) खर्चों के संदाय से छूट.- यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि गरीबी के कारण आवेदक विहित फीस अदा करने में असमर्थ है तो वह किसी फीस अथवा सभी फीसों से छुटकारा दे सकेगा। यदि मामले का निर्णय आवेदक के पक्ष में हो जाता तो विहित फीस को जिसे माफ नहीं किया गया होता तो अदा करने के लिए देय होती, मामले के खर्च में जोड़ा जा सकेगा और उस तरीके से वसूला जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी खर्च सम्बन्धी अपने आदेश में निर्देशित करें।

23. धारा 97 के अधीन ज्ञापन के अभिप्रमाणन की रीति.-

आवेदक का परीक्षण (1) धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आवेदक का शपथ पर परीक्षण कर सकेगा अथवा आवेदन को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकेगा और ऐसे अधिकारी को आवेदक का व उसके गवाहों का परीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा और अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का निर्देश दे सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए किसी परीक्षण का सार उसी तरीके से अभिलिखित किया जाएगा जैसा कि धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

अध्याय- आठ

भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

24. धारा 101 के अधीन उपकर के विलम्बित भुगतान के मामले में उपकर की राशि और ब्याज की दर का भुगतान करने की समय-सीमा – यदि कोई नियोक्ता संहिता की धारा 100 के अधीन देय उपकर की राशि को, ऐसे समय के भीतर जो कि निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या निर्धारण आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, भुगतान करेगा।
25. धारा 105 की उप-धारा (2) के अधीन अपील के लिए शुल्क.- ऐसी अपील अन्य बातों के साथ साथ, आधे प्रतिशत के समतुल्य एक गैर-वापसी योग्य फीस के साथ, किन्तु जो यथास्थिति, विवाद या जुर्माने या दोनों की राशि के पच्चीस हजार रूपय की राशि से अनधिक हो, ऐसी अपील के अधीन राज्य सरकार के साइबर कोषालय में श्रम विभाग के मुख्य शीर्ष खाता 0230-00-101-0555 में जमा की जाएगी।

अध्याय - नौ

असंगठित कर्मकारों, गिग(जी आई जी) कर्मकारों
तथा प्लेटफार्म कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

अध्याय - दस

वित्त तथा लेखे

26.धारा 120 की उप-धारा (1) के अधीन किसी चल या अचल संपत्ति को अर्जित करने, रखने, बेचने, या अन्यथा किसी अंतरण के लिए शर्तें,

उप-धारा (2) के अधीन पूंजी निवेश, पुनः निवेश या निवेश वसूल करने संबंधी शर्तें, उप-धारा (3) के अधीन ऋण प्राप्त करने एवं ऐसे ऋणों की अदायगी हेतु उपायों के निबंधन तथा उप-धारा (4) के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के लाभ हेतु भविष्य या अन्य निधियों हेतु निबंधन-

- 1) मंडल, यथाशक्यशीघ्र, इन नियमों के प्रवृत्तन में आने के पश्चात् एक निधि का गठन करेगा, जो संहिता और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश सुरक्षा निधि कहलाएगा। निधि मंडल में निहित होगी और मण्डल द्वारा प्रशासित होगी।
- (2) निधि से संबंधित समस्त धन राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882(1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूति में निवेशित किया जा सकेगा।
- (3) धारा 120 की उप-धारा (3) के अनुसार मण्डल राज्य सरकार से अग्रिम में ऋण/निधि प्राप्त कर सकेगा और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वापस कर सकेगा।
- (4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन समय-समय पर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ और ऐसे निबंधनों पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद या उनके किसी वर्ग के लाभ के लिए, ऐसी भविष्य

निधि या अन्य लाभ निधि जो वह ठीक समझे, का गठन कर सकेगा।

27. धारा 121 के अधीन अवसूलनीय शोध्य को बट्टे खाते में रखने की शर्तें और रीति.- जहां राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का विचार है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को देय अभिदाय, उपकर, ब्याज और नुकसानी की राशि अवसूलनीय है, वहां सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त राशि को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी दे सकेगी:-

(क) प्रतिष्ठान को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और समस्त संभावित प्रयासों के बावजूद नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकेगा है;

(ख) राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त फैसले को व्यतिक्रमी नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति की कमी के कारण सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं किया जा सका; या

(ग) निम्नलिखित द्वारा अंशदान का दावा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है -

(एक) दिवालियापन की स्थिति में कारखानों/ स्थापना के परिसमापन में जाने की दशा में परिसमापक अधिकारी द्वारा; या

(दो) इकाई का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा लिए जाने की दशा में भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

अध्याय- ग्यारह

प्राधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन तथा वसूली

28. धारा 122 की उप-धारा (6) के खंड (ड०) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता की अन्य शक्तियां.- निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

29. धारा 123 के खंड (क) के अधीन अभिलेखों और रजिस्ट्रों और अन्य विवरणों और ब्योरों के रखरखाव के लिए प्ररूप और तरीके, खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों के कार्य स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने के रीति और खंड (घ) के अधीन प्राधिकारी और अधिकारियों को विवरणियां दाखिल करने की रीति और कालावधि-

(1) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर.- (क) प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे प्ररूप - छत्तीस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में महिला कर्मचारियों के एक रजिस्टर को तैयार करेगा और संधारित करेगा और इसमें स्थापना की समस्त महिला कर्मचारियों की विशिष्टियां दर्ज होंगी।

इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अधिसूचित निरीक्षण योजना के अधीन निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ख) नियोक्ता महिला कर्मचारियों की ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रजिस्टर में दर्ज करेगा जैसी कि संहिता के किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(1) अभिलेख-संहिता के अध्याय-पांच और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अधीन रखे गए अभिलेख उनकी तैयारी की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए रक्षित किया जाएगा।

(2) संस्थान के प्रमुख स्थान पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

(4) वार्षिक विवरणियां.- (क) वह नियोक्ता जिसके लिए संहिता के अध्याय-पांचके उपबंध लागू होते हैं प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिन या इससे पूर्व राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्ररूप-सैंतीस में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में, विनिर्दिष्ट विशिष्टियां की जानकारी देते हुए, एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा:

परन्तु, निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप से संधारित किए गए पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

स्पष्टीकरण:-इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (द) में समनुदेशित है।

(ख) यदि वह नियोक्ता जिस पर संहिता लागू होती है, स्थापना को बंद करता है, त्याग देता है या काम करना बंद कर देता है, तब वह यथास्थिति, इस तरह की विक्रय या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह से बंद किए जाने की तारीख के चार महीने के भीतर, श्रम और रोजगार मंत्रालय में

केंद्र सरकार के वेब पोर्टल पर खंड (क) में संदर्भित प्ररूप-सैंतीस में एकीकृत विवरणी ऑनलाइन अपलोड करेगा जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तथा विक्रय, परित्याग या समाप्ति की तारीख के बीच की कालावधि के संबंध में होंगी।

अध्याय- बारह

अपराध एवं शास्तियाँ

30. धारा 138 की उप-धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन की रीति तथा उप-धारा (4) के अधीन किसी अपराध को शमन करने के लिए आवेदन करने की रीति.-

- (1) धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप-अइतीस में उन अपराधों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शमन सूचना जारी करेगा जो धारा 138 के अधीन शमनीय हैं।
- (2) वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार की सूचना दी गई है, प्ररूप-अइतीस के भाग तीन में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकेगा तथा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य रूप से समस्त शमनीय राशि को जमा करेगा।
- (3) शमन अधिकारी, शमन राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर प्ररूप-अइतीस के भाग चार में ऐसे व्यक्ति को शमन प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी राशि शमन सूचना की तुष्टि में प्राप्त हुई हो।
- (4) यदि वह व्यक्ति जिसे सूचना भेजी गयी है, विहित समय के भीतर शमन राशि जमा करने में असफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के

समक्ष या उस अपराध के संबंध में, जिस में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सूचना जारी किया गयी थी, अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

(5) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् समझौता- (क) न्यायालयसंहिता की धारा 138 के अधीन एक शिकायत दायर करने के पश्चात् किसी भी समय किसी शमनीय अपराध का शमन कर सकेगा;

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)की धारा 359 के प्रावधान ऐसे समझौतों पर लागू होंगे।”

अध्याय- तेरह

नियोजन सूचना और मॉनिटरिंग

31. धारा 139 की उप-धारा (2) के अधीन संबंधित कैरियर सेंटर को नियोक्ता द्वारा रिक्तियों को रिपोर्ट करने का रीति तथा प्ररूप एवं विवरणी फाईल करने का प्ररूप.- (1) कैरियर सेंटर को रिक्तियाँ प्रतिवेदित करना:-

(क) किसी भी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में यह संहिता लागू होने के पश्चात् उस राज्य या उस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापना में नियोक्ता, उस स्थापना में किसी नियोजन में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व कैरियर सेंटरको उस रिक्ति की रिपोर्ट करेगा या रिपोर्ट करने का कारण प्रेषित करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) निजी क्षेत्र के प्रत्येक स्थापना में या निजी क्षेत्र में स्थापना की किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित प्रत्येक स्थापना में नियोजन उस स्थापना में किसी भी नियोजन में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व, उस तारीख

से इस प्रकार के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को उस रिक्त की रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करने का कारण प्रेषित करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;

- (ग) राज्य सरकार नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति हेतु एक तंत्र (डिजिटल सहित) उपलब्ध करवाएगी। कैरियर सेंटर जिसमें ये रिक्तियाँ प्रेषित की गई हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या उपलब्ध करवाएंगे तथा इसे तुरंत लिखित में, मेल के माध्यम से या डिजिटल या अन्य किसी मीडिया के माध्यम से सूचित करेंगे किन्तु किसी भी दशा में रिक्तियों की रिपोर्टिंग प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवस से अधिक नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण: (1) "सार्वजनिक क्षेत्र" में स्थापना से अभिप्रेत है,

- (क) एक स्थापना जिसका स्वामित्व, हक, नियंत्रण तथा प्रबंधन सरकार या सरकार के विभाग द्वारा किया जाता है।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;
- (ग) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई निगम (जिसमें सहकारी संस्था सम्मिलित है) या कोई स्वायत्त संगठन या कोई प्राधिकारी या कोई निकाय जिसका स्वामित्व नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो; और
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकारी।

(2) "निजी क्षेत्र में स्थापना" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी स्थापना, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना नहीं है तथा जिसमें सामान्यतः 20 या इससे अधिक कर्मचारी या ऐसी संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(3) राज्य सरकार जिसके पास स्वयं का कोई कैरियर सेंटर या पोर्टल नहीं है, उस क्षेत्र के स्थापना की रिक्तियों की रिपोर्टिंग अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार के डिजिटल पोर्टल या कैरियर सेंटर को की जा सकेगी।

(2) रिक्तियों का प्रकार और रिक्तियों की रिपोर्ट करने हेतु संबंधित कैरियर सेंटर.-

(क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात् :-

(एक) तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों में उत्पन्न होने वाली न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या दोनों की, रिक्तियां जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए जिनके संबंध में संहिता के अधीन केन्द्र सरकार ही समुचित सरकार है; और

(दो) उन रिक्तियों को जिसमें नियोक्ता उसकी स्थापना जहां वह स्थित है, से राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के बाहर के कैरियर सेंटर को प्रचालित करने की अपेक्षा रखता है वह ऐसे कैरियर -

सेंटर (केन्द्र के) को रिपोर्ट करेगा जैसा कि केन्द्र सरकार

द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) उपर्युक्त उप नियम (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट रिक्तियों से भिन्न रिक्तियों को संबंधित कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट किया जाएगा;

(ग) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर(क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जा चुकी हैं और जिनके लिए भर्ती राज्य या अन्तर-राज्य या अखिल भारतीय आधार पर की जानी है, को भी कैरियर सेंटर(केन्द्र) को रिपोर्ट किया जाएगा या अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(3) रिक्तियों की रिपोर्टिंग का तरीका व प्ररूप.- (क) रिक्तियों को लिखित रूप में अथवा वैध-कार्यालयीन ई-मेल द्वारा अथवा डिजिटल रूप से, समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कैरियर सेंटरको रिपोर्ट किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के संबंध में जितने भी ब्यौरें व्यावहारिक रूप से संभव हो, पृथक रूप में देते हुए, रिक्तियों की रिपोर्ट प्ररूप उनतालीस में यथाविहित प्रपत्र में की जाएगी;

(ग) उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन कैरियर सेंटरको पहले ही प्रदान की जा चुकी विशिष्टियों में हुए बदलाव के बारे में, यथास्थिति, लिखित अथवा कार्यालयीन ई-मेल अथवा डिजिटल रूप से, विनिर्दिष्ट कैरियर सेंटरको रिपोर्ट किया जाएगा।

(4) रिक्तियों को रिपोर्ट करने की समय-सीमा.-

(क) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर(क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति अथवा साक्षात्कार लिए जाने अथवा परीक्षण किए जाने के प्रयोजन हेतु संभावित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए;

(ख) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर(केन्द्र), को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति अथवा साक्षात्कार लिए जाने अथवा परीक्षण किए जाने के प्रयोजन हेतु संभावित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तारीख से कम से कम चालीस दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(5) अभिलेखों का संधारण.- (क) किसी राज्य या उसके क्षेत्र में इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् उस राज्य अथवा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापना के नियोक्ता द्वारा मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित अभिलेख संधारित किए जाएंगे,-

(एक) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुलसंख्या (नियमित, संविदा या नियत अवधि रोजगार);

(दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति ;

(तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक ब्यौरे;

(चार) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे; और

(पांच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या;

(ख) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसी तारीख से अपेक्षा कर सकेगी कि निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापना अथवा निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के स्थापना से संबंधित प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता हाथ से या

इलैक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित रिकार्ड संधारित करेगा.-

- (एक) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुलसंख्या (नियमित, संविदा या नियत अवधि रोज़गार)
- (दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए व्यक्ति ;
- (तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक ब्यौरे;
- (चार) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे; और
- (पाँच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या;
- (6) विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना .- प्ररूप - चालीस में दिए गए अनुसार नियोक्ता प्ररूप - ई आई आर (रोज़गार सूचना रिटर्न) में वार्षिक विवरणियों को संबंधित कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को प्रेषित करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट नियत तारीख के तीस दिनों के भीतर अर्थात् वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक विवरणियों को यथा स्थिति, हाथ से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से, प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) कार्यकारी अधिकारी की घोषणा.- (क) निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्चश्रेणी का अधिकारी, जो संबंधित राज्य सरकार के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) का कार्य नियंत्रित कर रहा हो, संहिता के अध्याय-तेरह (रोज़गार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिले में कैरियर सेंटर(क्षेत्रीय) के कार्य की देख-

रेख के लिए एक अधिकारी को "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित में घोषित करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि संहिता की धारा 139 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा अथवा उन अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु लिखित में किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा;

(ख) निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्चश्रेणी का अधिकारी, जो रोज़गार महानिदेशालय, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, नई दिल्ली का कार्यनियंत्रित कर रहा हो, संहिता के अध्याय- तेरह (रोज़गार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु कैरियर सेंटर (केन्द्रीय) के कार्य की देख-रेख के लिए एक अधिकारी को "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित में घोषित करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि संहिता की धारा 139 में संदर्भित अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) संहिता के अध्याय-तेरह के अधीन शास्ति उदग्रहण .- निदेशक, रोज़गार या उसके समकक्ष अथवा उच्चश्रेणी का अधिकारी, जो कि संबंधित राज्य के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) के कार्य को नियंत्रित कर रहा हो, संस्थान को अनुमोदित या संहिता के अधीन धारा 133 में यथा उल्लिखित किसी अपराध हेतु संस्थान पर शास्ति के उदग्रहण की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(9) दिशा-निर्देशों को जारी करना.- संहिता, के अध्याय-तेरह से संबंधित उपबंधों तथा उसके नियमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी जिनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय-चौदह

प्रकीर्ण

32. धारा 141 की उप-धारा (5) के अधीन निधि के स्रोत और निधि का प्रशासन तथा व्यय करने की रीति.-

(1) असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी सामाजिक सुरक्षा निधि के निम्नलिखित स्रोत होंगे जिसमें प्राप्त हुई राशि को जमा किया जाएगा,-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः वित्तपोषित और भागतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित;

(ग) योजना के हिताधिकारियों या कर्मचारियों से संग्रहित अंशदाय, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अंशदान से भागतः वित्तपोषित;

(घ) किसी अन्य स्रोत वित्तपोषित जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थ के भीतर निगमीय सामाजिक दायित्व निधि या अन्य ऐसा स्रोत जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है;

(पांच) केन्द्र सरकार से प्राप्त कोई भी अनुदान या ऋण ;

(छह) राज्य सरकार द्वारा बजट से वित्तपोषित निधि;

(सात) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्रोत;

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से इसके द्वारा बनायी गयी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगी।

(2) योजना, हितग्राही के रूप में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकारों और उसके परिवार के लिए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से असंगठित सामाजिक सुरक्षा मण्डल, द्वारा तैयार की जाएगी और निधि का उपयोग अधिसूचित योजना के अधीन किया जाएगा।

33. धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन समय जिसके भीतर राज्य मण्डल, समुचित सरकार को अपना दृष्टिकोण अग्रेषित करेगा.-राज्य मण्डल संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार समुचित सरकार को छूट के लिए प्रस्ताव के प्राप्त होने के छह महीने के भीतर अग्रेषित करेगा। यदि राज्य मण्डल, उक्त कालावधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो समुचित सरकार समय-सीमा का विस्तार कर सकेगी या छूट के आवेदन पर जैसा भी ठीक समझे कार्रवाई, कर सकेगी।

34. धारा 143 की उप-धारा (2) के अधीन ऐसी छूट के पश्चात् वे शर्तें जिन्हें, यथास्थिति, छूट प्राप्त स्थापना या स्थापना का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग, अनुपालन करेगा;

(1) संहिता के अध्याय-चार के उपबंध से छूट प्राप्त स्थापना.- (क) छूट दिए गए कर्मचारियों के संबंध में ऐसे अभिलेख संधारित करेगा और निगम को ऐसी विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ख) विलय, डीमर्जर, अधिग्रहण, विक्रय, समामेलन, सहायता रूपांतरण, चाहे पूर्ण स्वामित्व हो या नहीं, आदि के कारण ऐसी किसी स्थापना जिसे संहिता की धारा 143 के अधीन छूट दी गई है, की विधिक स्थिति में हुए परिवर्तन के मामले में, छूट को रद्द

समझा जाएगा और छूट के लिए स्थापना को समुचित सरकार का नवीन आवेदन करना अपेक्षित होगा।

35 - संहिता की धारा 148 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा किसी लाभ के दुरुपयोग के निर्धारण की रीति;

(1) दुरुपयोग की पहचान के आधार.- किसी स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाभ के दुरुपयोग की अवधारण निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात्:-

(क) अपात्र व्यक्ति के नाम से लाभ का दावा या भुगतान;

(ख) झूठे या भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करना;

(ग) कर्मचारी, वेतन, कार्य अवधि या अंशदान से संबंधित तथ्यों का जानबूझकर गलत उल्लेख;

(घ) एक ही लाभ का दोहरा या बहुगुणित दावा;

(ङ) मृत, सेवानिवृत्त, त्यागपत्र दे चुके अथवा सेवा में न रहने वाले व्यक्ति के नाम पर लाभ प्राप्त करना;

(च) संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन।

(2) सूचना प्राप्ति के स्रोत.-

दुरुपयोग की अवधारण निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर की जा सकेगी;

(क) निरीक्षण या जांच प्रतिवेदन;

(ख) किसी कर्मचारी, कर्मकार, संगठन या आम नागरिक द्वारा की गई शिकायत;

(ग) विभागीय अभिलेखों, डिजिटल पोर्टल या डाटाबेस का विश्लेषण;

(घ) अन्य किसी शासकीय विभाग या एजेंसी से प्राप्त सूचना।

(3) प्राथमिक परीक्षण.-

(क) प्राप्त सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक परीक्षण किया जाएगा;

(ख) यदि प्राथमिक परीक्षण में दुरुपयोग की प्रथमदृष्टया संभावना पाई जाती है, तो आगे की जांच प्रारंभ की जाएगी।

(4) जांच की प्रक्रिया.-

(क) प्राधिकारी स्थापना या संबंधित व्यक्ति से आवश्यक अभिलेख, विवरण या स्पष्टीकरण मांग सकेगा;

(ख) संबंधित पक्ष को लिखित सूचना देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(ग) जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से की जाएगी।

(5) दुरुपयोग की अवधारण.-

(क) जांच के उपरांत यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि लाभ का दुरुपयोग हुआ है, तो वह लिखित आदेश द्वारा दुरुपयोग की अवधारण करेगा;

(ख) आदेश में दुरुपयोग का स्वरूप, अवधि, राशि तथा उत्तरदायी व्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(6) लाभ की वसूली.- दुरुपयोग की अवधारण होने पर प्राधिकारी द्वारा अनुचित रूप से प्राप्त लाभ की राशि की वसूली संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(7) अन्य कार्यवाही.- इन नियमों के अंतर्गत की गई अवधारण, संहिता या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत दंडात्मक या अभियोजन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(8) अपील.- दुरुपयोग की अवधारण के आदेश से व्यथित व्यक्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

(9) कठिनाई निवारण.- इन नियमों के उपबंधों क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे दिशा निर्देश जारी कर सकेगी जैसे की ऐसी कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

प्ररूप- एक
(नियम 7 (10) देखिए)

कर्मचारी बीमा न्यायालय अधिनियम में के
समक्ष
क, ख (वर्णन तथा निवास स्थान जोड़ें) आवेदक

विरुद्ध

ग, घ (वर्णन तथा निवास स्थान जोड़ें) विरोधीपक्षकार को
नियम 13 में विनिर्दिष्ट की गई आवेदन-पत्र की अन्य विशिष्टियां -

दिनांक

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

इस आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार

सत्य और सही हैं।

दिनांक

.....
हस्ताक्षर

प्ररूप- दो
(नियम 7 (11) देखिए)

आवेदक/विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजोंकी सूची उदाहरणार्थ, वर्णन,
विषय, न्यायालय का नाम, क्रमांक आदि.-

क्रमांक	दस्तावेज का वर्णन	दिनांक जो दस्तावेजों में अंकित हो	पक्षकार या अधिवक्ता या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप - तीन

(नियम 7 (12) देखिए)

कार्यवाहियों का रिजिस्टर

कर्मचारी बीमा न्यायालय कार्यवाहियों का रिजिस्टर

वर्ष.....20.....

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	कार्यवाहियों की संख्या	नाम	आवेदन वर्णन	निवास का स्थान	नाम	विरोधीपक्ष कारवर्णन	निवास का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8

ब्यौरे	मूल्य की दावा राशि यदि कोई है	वाद कारण कब उद्भूत हुआ	पक्षकारों के लिए उपसंजात होने के लिए दिनांक	उपसंजाति आवेदक	विरोधीपक्ष कार
9	10	11	12	13	14

			अपीली	
दिनांक	अंतिम आदेश किसके लिए	किस रकम के लिए	अपील के ब्यौरे की तारीख यदि कोई हो	अपील का निर्णय
15	16	17	18	19

		निष्पादन		अन्य	
आवेदन पत्र का दिनांक	किस के विरोध में	क्या और किस राशि के लिए	खर्च की रकम में अन्य सिविल न्यायालयको अंतरित करने के आदेश की तारीख	अन्य टिप्पणी यदि कोई हो
20	21	22	23	24	25

प्ररूप- चार

(नियम 7 (15) देखिए)

कार्यवाही के निपट के लिए समन (शीर्षक)

प्रति,

.....
(नाम ब्यौरे तथा निवास स्थान)

यतः ने आपके विरोधी..... के लिए कार्यवाहियां संस्थित की हैं, अतः आपको एतद्वारा तलब (समन) किया जाता है कि आप दिनांक के मध्याह्न में..... बजे या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक् रूप से अनुदेशित हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान् प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूंकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अतः आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तावेजों को, जिन पर की आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अवलंबित रहने का आशय रखते हैं, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिये। आप सूचित हों पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर विनिश्चित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक
माह..... सन् 20को जारी किया गया।

न्यायालय

सूचना- (1) यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थिति होने की अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हैं, प्रस्तुति बाध्य करने के लिए इस न्यायालय में समन न्यायालय को आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके जारी करवा सकते हैं।

(2) यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, तो आप डिक्री के, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरोधी पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्च सहित धन न्यायालय को चुका देना चाहिये।

प्ररूप- पांच

(नियम 7 (15) देखिए)

वाद पदों के व्यवस्थापन के लिए समन

प्रति,

.....

(नाम ब्यौरे तथा निवास स्थान)

यतः ने आपके विरोधी के लिए कार्यवाहियां संस्थित की हैं, अतः : आपको एतद्वारा तलब(समन) किया जाता है कि आप दिनांक सन् 20के मध्याह्नमें बजे या तो स्वयं या प्राधिकृतअभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक् रूप से अनुदेशित हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान् प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूँकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अतः आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तावेजों को, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अवलम्बित रहने का आशय रखते हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सूचित हों कि पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर विनिश्चित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आजदिनांक
माह.....सन्20को दिया गया।

न्यायालय

सूचना (1) यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थिति तथा ऐसे किसी दस्तावेज की जिसके प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी से अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हों, प्रस्तुति बाध्य करने के लिए इस न्यायालय में समन न्यायालय को आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके जारी करवा सकते हैं।

(2)यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, तो आप डिफ्री के, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरोधी पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्चे सहित धन न्यायालय को चुका देना चाहिये।

प्ररूप- छह

(नियम 7 (23) देखिए)

एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र

जिसका कि नाम ऊपर अंकित है, निम्नानुसार कथन करत:-

(आवेदन के आधार कथित किए जाने चाहिए)

दिनांक

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

आवेदन पत्र में अंतर्विष्ट तथ्य के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही हैं।

दिनांक

स्थान

.....
हस्ताक्षर

प्ररूप- सात

(नियम 7 (23) देखिए)

केन्द्रीय प्ररूप

(शीर्षक)

प्रति,

.....

.....

यतः, ऊपर उल्लिखित नामने इस न्यायालय को आवेदन-पत्र दिया है कि आपको एतद्वारा इस न्यायालय में या तो स्वयं या सन्यक् रूप से अनुदेशित अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन-पत्र के विरोधी कारण बतलाने के लिए दिनांकदोपहर.....बजे उपसंजात किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर उक्त आवेदन-पत्र एक पक्षीय सुना जाकर अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक दिन 20को दिया गया।

.....
न्यायालय

प्ररूप- आठ

(नियम 7 (24) देखिए)

साक्षी को समन

(शीर्षक)

प्रति,

.....
.....

यतः, ऊपर वर्णित कार्यवाहियों मेंकी ओर से के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, अतःआपसे एतद्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक सन् 20के पूर्वान्ह/अपरान्ह मेंसमय बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं उपसंजात हो और अपने साथ लाए या इस न्यायालय को भेजें।

आपके यात्रा तथा अन्य खर्चे एवं एक दिन के निर्वाह भत्ते के लिए रुपये की राशि इस न्यायालय में जमा की गई है, जिसका भुगतान आपको उस दिन किया जाएगा जिसको कि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आप विधि संगत हेतु के बिना इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 16 के नियम 12 में अधिकथित अनुपस्थिति के परिणामों के अधीन होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आजदिनांक माह सन् 20 को दिया गया।

न्यायालय

सूचना (1) - यदि आपको केवल दस्तावेज प्रस्तुत करनेके लिए ही समन किया हो, साक्ष्य देने के लिए नहीं, तो आप ऐसा दस्तावेज पूर्वोक्त दिन को तथा समय पर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दें, तो यह समझा जाएगा कि आपने समन का पालन किया है।

(2)यदि आप पूर्वोक्त दिन के परे रोके गए, तो आपको उल्लिखित किए गए दिनांक के परे प्रत्येक दिन उपस्थिति के लिएरुपये की राशि दी जाएगी।

प्ररूप- नौ
(नियम 7 (37) देखिए)
मामले की डिक्री

दावा वास्ते.....

यह मामला आज के समक्ष आवेदक की ओर से की तथा विरोधी पक्षकार की ओर से की उपस्थिति में अंतिम निपटारे के लिए प्रस्तुत होने पर, यह आदेश तथा डिक्री दी जाती है कि और यह कि इस वाद के खर्चके द्वारा को रुपये की राशि उस पर ब्याज..... प्रति सैंकड़ा प्रतिवर्ष की दर से आज के दिनांक से वसूली के दिनांक तक के ब्याज सहित चुकाई जाए।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक माह सन् 20 को दी गई।

वाद के खर्च

रूपए पैसे	रूपए पैसे
आवेदन पत्र के लिए मुद्रांक	मुख्तार नामा के लिए मुद्रांक
मुख्तार नामा के लिए मुद्रांक	लिखित कथन के लिए मुद्रांक
पदर्श के लिए मुद्रांक	अधिवक्ता की शुल्क
अधिवक्ता की शुल्क	साक्षियों का निर्वाह व्यय
साक्षियों का निर्वाह भत्ता	समन तथा सूचनाओं की तामील
सक्षम प्राधिकारी शुल्क.....	सक्षम प्राधिकारी शुल्क
समन तथा सूचनाओं की तामील	
योग	योग

प्ररूप- दस

(नियम 7 (39) देखिए)

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

.....के न्यायालय में डिक्रीधारीएतद्वारा इसके नीचे उपवर्णित की गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया है।

कार्यवाहियों का क्रमांक	पक्षकार/पक्षकारों के नाम	डिक्री का दिनांक	क्या डिक्री के विरोधी कोई अपील की गई है	समायोजन का किया गया भुगतान यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्ववर्ती आवेदन यदि कोई हो, दिनांक तथा परिणाम सहित	डिक्री पर ब्याज सहित देय रकम या उसके द्वारा दिया गया कोई अन्य अनुतोष, किसी प्रति (काउन्टर) डिक्री की विशिष्टियों सहित	खर्च की रकम यदि कोई हो जो प्रदान की गई हो	किसके विरोधी निष्पादन की जानी है
(6)	(7)	(8)	(9)
		कुल.....	

(तरीका जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित हो)

10

1. मैं प्रार्थना करता हूँ कि रूपए..... की कुलरकम (मूल धनराशि पर भुगतान के दिनांक तक ब्याज के साथ) तथा इस निष्पादन को करने के खर्च, विरोधीपक्षकार की, जंगम सम्पत्ति की, जो कि आवेदन में नीचे विनिर्दिष्ट की गई है कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल की जाकर मुझे चुकाई जाए।

(जब स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय चाहा जाए)

मैं घोषित करता हूँ कि इसमें वर्णित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक..... माह..... सन्..... 20

हस्ताक्षर.....

डिक्रीधारी

प्ररूप- ग्यारह

[[नियम 10 (1), (2), (3) और (4) देखिए]

नामांकन/नवीन नामांकन/ नामांकन में संशोधन

(जो शब्द लागू न हों काट दें)

सेवा में.....

(यहां स्थापनाका नाम या ब्यौरे पूरे पते के साथ लिखें)

में, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखें) जिसके ब्यौरे नीचे अभिव्यक्त किए गए हैं, एतद्वारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को.....(यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूं और इसलिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के पश्चात् देय उपदान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे क्रेडिट होने वाले उपदान की राशि जो मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त उपदान की राशि को नामिति/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूं।

या

में, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखें) जिसके ब्यौरे नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक.....को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक.....के सदर्थ संख्या.....के अधीन दर्ज किए गए को निम्नलिखित रीति में संशोधित किया जाए-

*अनावश्यक भाग को काट दें।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (यें) हैं।
3. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उक्त संहिता की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अंतर्गत नहीं है।
4. (क) मेरे पति /माता/माता-पिता/ मुझ पर निर्भर नहीं है।
(ख) मेरे पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं हैं
5. मैंने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांक.....को दिए सूचना के द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है।
6. यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन का अमान्य कर देगा।

नामिति

अनुक्रमांक	नामिति/यों का पूरा नाम पूरे पते के साथ	कर्मचारी से संबंध	नामिति की आयु	अनुपात जिस के द्वारा उपदान साझा किया जाएगा
1. 2. 3. इत्यादि				

“एक परिवार” को अपनाने का तरीका

(यहां इस बात का ब्यौरे दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

1. कर्मचारी का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या आप अविवाहित/विवाहित विधवा/विधुर हैं
5. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां नियोजित हैं:
6. पदनाम के साथ टिकट क्रमांक या अनुक्रमांक, यदि कोई हो:
8. नियुक्ति की तारीख:
9. स्थायी पता:

ग्राम..... थाना..... उप प्रभाग.....

डाकघर..... जिला..... राज्य.....

ईमेल आईडी..... मोबाइल नम्बर.....

स्थान:

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकन का ब्यौरे सत्यपित किया गया है और इसे संस्थान में दर्ज कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ क्रमांक यदि कोई हो,

नियोक्ता के हस्ताक्षर/प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम/

संस्थान का नाम एवं पता या उसका रबर मोहर

दिनांक.....:

कर्मचारी के द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए गए नामांकन प्रपत्र – रयारह की प्रतिलिपिप्राप्त की गई है।

दिनांक.....:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-बारह

(नियम 11 (1) देखिए)

कर्मचारी/ नामिति/ विधिकउत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

(जो शब्द लागू न हो उसे काट दें)

सेवा में,.....

(स्थापनानाम या ब्यौरे पूरे पते के साथ लिखे)

महोदय/ महोदया,

में,.....(कर्मचारी/नामिति/विधिकउत्तराधिकारी का

नाम)/स्वर्गीय.....(कर्मचारी का नाम)द्वारा नामित व्यक्ति का

नाम/स्वर्गीय.....(कर्मचारी का नाम)विधिकउत्तराधिकारीके रूप में,

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (1) के अधीन हकदार हूँ, उपदान के

भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ -

(क) मेरीअधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति/कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने बाद

त्यागपत्र/दुर्घटना के कारण कुल विकलांगता/बीमारी के कारण कुल विकलांगता/.....

तारीख से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति पर या;

(ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा में..... वर्ष की समाप्ति के पश्चात्

दिनांकको अर्धवर्षिता/ दिनांक.....से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी

के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल विकलांगता या;

(ग)आपकी स्थापना के सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/दिनांक.....को

अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना कोई नामांकन के..... वर्ष की सेवा

पूरी करने के पश्चात/(तारीख) से सेवा में रहते हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना

या बीमारी द्वारा कुल विकलांगता ;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक ब्यौरे निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)

ख. कर्मचारी का पूरा पता

या

2. नामिति/विधिकउत्तराधिकारी का नाम(यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

क. कर्मचारी का नाम

ख. नामिति/विधिकउत्तराधिकारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/ विवाहित/विधवा/ विधुर)

ग. नामिति/विधिकउत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ का संबंध

घ. नामिति/विधिकउत्तराधिकारी पूरा पता

ड. कर्मचारी की मृत्यु की तारीख और मृत्यु का प्रमाण

च. दर्ज किए गए नामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो

3. विभाग/शाखा/अनुभाग जहां अंतिम तैनाती थी -

4. कर्मचारी द्वारा धारित पद -

5. नियुक्ति की तारीख -

6. सेवा समाप्ति की तारीख तथा कारण -

7. मृत्यु की तारीख -

8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि -

9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन

10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/ नामिति/विधिकउत्तराधिकारी द्वारा दावा किए गए उपदान का अंश-

मेरे बैंक खाता क्रमांक..... में कृपया क्रास बैंक चेक/क्रेडिट द्वारा भुगतान किया जाए।

भवदीय/ भवदीया

आवेदक कर्मचारी/ नामिति/ विधिकउत्तराधिकारी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान।

स्थान:

तारीख:

प्ररूप- तेरह

[नियम 11 (2) देखिए]

उपदान के दावे का भुगतान/ खारिज किए जाने की सूचना
(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा

में,

(आवेदक कर्मचारी / नामितविधिकउत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ;

(क) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-धारा (दो) में अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, उक्त नियमों के अधीन प्ररूप- चार में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा नीचे कथित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या

(ख) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (2) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, रुपए..... (रुपए.....) की राशि का आपको उपदान के रूप में भुगतान किया जाए/ आपके द्वारापर.....की गई नामांकन की शर्तों में उपदान के भाग के रूप में और इस स्थापना के कर्मचारी.....के विधिकउत्तराधिकारी के रूप में किए गए नामांकन की शर्तों में आपके अंश के रूप मेंदिया गया तथादर्ज किया गया।

2. * आपके उपदान के भुगतान का क्रास चेक प्राप्त करने के लिए कृपया.....(स्थान उल्लिखित करें) को(तारीख) पर(समय) पर भेंट करें।

3. आपकी इच्छानुसार देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा भेजी जाएगी।

4. गणनाका संक्षेप ब्यौरे

(क) नियुक्ति की तारीख।

(ख) समाप्ति/अधिवार्षिकी / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु की तारीख।

(ग) संबंधित कर्मचारी की कुल सेवा अवधि:वर्ष..... माह.

(घ) अंतिम आहरित वेतन:

(ङ) नामांकन/विधिकउत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपात:

(च) देय राशि:

* पैरा जो लागू न हो काट दें

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थापना का नाम या ब्यौरे या उसकी रबर की मोहर

उपदान के अस्वीकार्य मामले में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिलिपि

प्ररूप- चौदह

[नियम 11 (4) देखिए]

सामाजिक सुरक्षा, 2020 के अधीन अध्याय पांचके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्देश के लिए

आवेदन

आवेदन संख्या.....

दिनांक.....

(आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता)

तथा

(संबंधित नियोक्ता का पूर्ण पते के साथ पूरा नाम)

के मध्य

आवेदक उपरोक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी, उपरोक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय.....के द्वारा नामांकित / उपरोक्त नियोक्ता का कर्मचारी और स्वर्गीय.....विधिकउतराधिकारी है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के अधीन उपदान के भुगतान के लिए स्वयं हकदार है/उक्त कर्मचारी.....(तारीख) को आधवार्षिकी आयु प्राप्त की / स्वयं की सेवानिवृत्ति /.....वर्ष की निरंतर सेवा..... (तारीख) पूरी होने पर उपर्युक्त कर्मचारी का त्यागपत्र / उसकी अपनी/ उपर्युक्त कर्मचारी की.....(तारीख) से दुर्घटना / बीमारी के कारण कुल विकलांगता / तारीखको उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु।

2.आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 के नियम के अधीन एक आवेदन.....को किया परंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे अस्वीकार्य कर दिया/..... नियम के उप नियम..... केखंड के अधीन दिनांक..... को मुझे देय उपदान की कम राशि का उल्लेख करता है/ नियम के उप नियम..... केखंड के अधीन मेरे उपदान के भुगतान की पात्रता को निरस्त करते हुए दिनांक..... को एक सूचना जारी किया है।

उक्त सूचना की एक प्रतिलिपिसंलग्न है।

3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करे)।

4. आवेदक यहां अनुलग्नक में आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय उपदान की राशि को निर्धारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

5. आवेदक की घोषणा करता है कि उपाबंध में प्रस्तुत ब्यौरे उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

उपाबंध

1. आवेदक का पूरा नाम सहित पूरा पता:-
2. दावे का आधार (मृत्यु/अधिवार्षिकी / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / कर्मचारी की विकलांगता / नियत अवधि रोजगार के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता
4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)
5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता
6. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)
7. टिकट या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)
8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)
9. तारीख तथा कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवार्षिकी/ सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु / नियत अवधि रोजगार के अधीन संविदा अवधि की समाप्ति)
10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि
11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन
12. यदि कर्मचारी मृत है, तो उसकी तारीख और कारण
13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य / गवाह
14. यदि नामिति है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और दर्ज किए जाने की तारीख
15. विधिकउत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य / गवाह, यदि उत्तराधिकारी है
16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)
17. आवेदक को नामिति / विधिकउत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिशत
18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की राशि

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

प्ररूप- पन्द्रह

[नियम 11 (6) तथा (8) देखिए]

**सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना / समन
(जो शब्द लागू न हो काट दें)**

सेवा में.....
(नियोक्ता / आवेदक का नाम और पता)

यतः, श्री आप के अधीन एक कर्मचारी / श्री उपरोक्त उल्लेखित नियोक्ता के अधीन एक कर्मचारी के नामित(र्यो) / विधिक उत्तराधिकारी(र्यो) हैं ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) संहिता, 2020 के नियम 35 के उप-नियम (4) के अधीन जो एक आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि- (उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न है, यदि, समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है)

अतएव, आपको, एतद्वारा बुलाया जाता है/ समन किया जाता है/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष.....(स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या उस आवेदन से संबंधित सभी सामग्री सबालों के जवाब देने के उद्देश्य से इस संबंध में सम्यक रूप से अधिकृत किए गए किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत होने के लिए दिन 20.....पर..... बजे पूर्वाह्न में /अपराह्न में/ समर्थन में/ आरोप के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है/समन किया दिया जाता है तथा जैसा की आपके उपस्थिति के लिए तय किए गए दिन को आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत किया गया है, आपको उस दिन सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए रहना चाहिए, जिनके साक्ष्य और उन दस्तावेजों पर जिन पर आप अपने आरोप / बचाव के समर्थन में आगे बढना चाहते हैं।

ध्यान दें कि पूर्व में उल्लिखित दिन को आपकी अनुपस्थिति पर, आवेदन आपकी अनुपस्थिति में खारिज/सुना और अवधारित किया जाएगा।

यतः,सबूत देने के लिए आपकी उपस्थिति अपेक्षितहै / आपसे नीचे दी गई सूची में दिए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, प्ररूप..... के द्वारा उपदान के लिए दावे से उत्पन्न मामले में..... के पक्षकार पर और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के अधीन आवेदन द्वारा इस प्राधिकारी को संदर्भित किया गया है, आपको एतद्वारा व्यक्तिगत रूप से इस प्राधिकारी के समक्ष दिन

20..... पर... बजे पूर्वाह्न में /अपराह्न में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है और उक्त दस्तावेज जो (इस प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजे जाने हैं) आपको अपने साथ लाने हैं।

दस्तावेजों की सूची-

- 1.
- 2.
3. आगे

20.....केइस दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा से जारी ।

संहिता, 2020 के अधीन सक्षम
प्राधिकारी

नोट: 1. लागू नहीं होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें.

2. जो भाग लागू न हो उसे हटा दें।

3. समन दो प्रतियों में जारी किया जाएगा। द्वितीय प्रति पर हस्ताक्षर किया जाना है और निर्धारित तारीख से पूर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।

4. यदि समन केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है और साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो यह समन का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि दस्तावेजों को इस प्रयोजन के लिए नियत दिन और समय पर सक्षम प्राधिकारी के सक्षम पेश किया जाता है

प्ररूप- सोलह

[नियम 11 (11) और (12) देखिए]

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित उपदान संदाय हेतु सूचना

(यदि शब्द लागू न हो उन्हें काट दें)

सेवा में,

(नियोक्ता का नाम और पता)

1. यतः, स्वर्गीय.....पता..... जो आप के अधीन एक कर्मचारी थे उनके नामित(तों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों) श्री/श्रीमती/कुमारीने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के अधीन मेरे समक्ष एक आवेदन दायर किया है; अथवा

यतः, आपको दिनांक को एक सूचना पत्र दिया गया था जिसमें आपसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन उपदान के रूप मेंरुपये का भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी।

2. और यतः आवेदन पर आपकी उपस्थिति में दिनांक की सुनवाई गई थी और सुनवाई के बाद पता चला कि उक्त श्री/ श्रीमती / कुमारी सामाजिक सुरक्षासंहिता, 2020 के अधीन उपदान के रूप में रूपए..... प्राप्त करने /की हकदार है; अथवा

यतः, आप / आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में गए थे, जिन्होंने विनिश्चित किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन रूपए..... की देय उपदान राशि का श्री / श्रीमती / कुमारीको भुगतान किया जाए।

अतएव, मैं एतद्वारा आपको निदेशित करता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री/श्रीमती/ कुमारीको उक्त राशि रूपए का भुगतान करें।

20कीतारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन प्रदान किया गया।

सक्षम प्राधिकारी
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन

प्रतिलिपि:

1. आवेदक को भुगतान प्राप्त करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

2. अपीलीय प्राधिकारी, यदि लागू हो।

नोट --- (यदि लागू न हों तो पैराग्राफों को काट दें)

प्ररूप- सत्रह

[नियम 11 (13) देखिए]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) के अधीन अध्याय - पांचके लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष

उपदान की वसूली के लिए आवेदन

आवेदन क्रमांक

दिनांक.....

.....(पूरे पते के साथ आवेदक का पुराना नाम).....

विरुद्ध

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

के बीच

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का कर्मचारी है/ ऊपर उल्लिखित नियोक्ता आपके कर्मचारी स्वर्गीय का नामित है/ विधिक उत्तराधिकारी है और आपनी अपने सूचना दिनांक में उक्त नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 के नियम 35 के उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अंतर्गत देय उपदान के रूप में रुपये..... की राशि का भुगतान किया जाए।
2. आवेदक, यह निवेदन करता है कि उक्त द्वारा यथा निर्देशित उपदान राशि का भुगतान करने में नियोक्ता विफल रहा है। यद्यपि मैंने भुगतान के लिए उनसे संपर्क किया था।
3. अतः आवेदक यह प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के अनुरूप उपदान के रूप में मुझे देय राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के अधीन एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

स्थान:

दिनांक:

नोट — लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

प्ररूप- अठारह

(नियम 13(1)(क) देखिए)

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत

सेवा में,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता
(सामाजिक सुरक्षा,संहिता 2020 के अधीन)

महोदय,

मैं (महिला का नाम)में (नाम और स्थापना का पूरा पता).....में कार्यरत हूं अथवा मैं (नाम) धारा 72 के अधीन नामांकित एक व्यक्ति या (नाम और स्थापना का पूरा पता) में नियुक्त कर्मचारी (महिला का नाम) की एक विधिक प्रतिनिधि के रूप में नामित हूं, मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उसके अंतर्गत नियमों में अधिकथित शर्तों को पूर्ण करते हुए मातृत्व लाभ ऊपर.....और/या चिकित्सीय अधिलाभ के रूप में रुपये और/अथवा धारा 65 के अधीन अवकाश अवधि के लिए वेतन के रूप में देय राशि..... की हकदार हूं नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय-छह के उपबंधों के अनुसार अनुचित रूप से रोक दिया गया है/या काम से उसकी अनुपस्थिति के कारण या उसके दौरान उसे हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियोक्ता को मुझे उक्त राशि का भुगतान करने नियोक्ता द्वारा कार्य से हटाने या बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए निर्देशित करें।

महिला कर्मचारी/नामित/विधिक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/विधिक प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम नहीं है तो सत्यापक के

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/ विधिकप्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप- उन्नीस

अपील

[नियम 13 (2) (ख) देखिए]

सेवा में,

प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020के अधीन नियुक्त)

..... (पता)

महोदय,

मैं.....अधोहस्ताक्षरी, (स्थापना का नाम और पूरा पता)की महिला कर्मचारी हूँ, मैं -

धारा 72 की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित हूँ जिसके कारण इसके साथ संलग्न हैं, धारा 68 की उप-धारा (2) के अधीन आपके समक्ष यह अपील प्रस्तुत करती हूँ और यह अनुरोध करती हूँ कि उक्त नियोक्ता को मुझे देय उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

श्रीनिरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को धारा 72 की उप-धारा (2) के अधीन मातृत्व लाभ या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है (राशि की प्रकृति) जिसे (महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय-पांच के उपबंधों के अनुसार हकदार होने/ कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या कार्य के अभाव में मेरे द्वारा की गई बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनावश्यक भाग काट दें)

मैं धारा 72 की उप-धारा (3) के अधीन अपील करती हूँ। इस के साथ संलग्न ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अन्य दस्तावेजों के साथ यह कहा जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार नहीं है और इसलिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की संलग्न प्रति को निरस्त किया जा सकता है।

* अनावश्यक भाग को काट दें।

महिला/व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

.....

महिला/यदि हस्ताक्षर तथा अंगूठे

का निशान लगाने में सक्षम नहीं है तो सत्यापक का

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/ विधिकप्रतिनिधि का पूरा पता

प्ररूप- बीस
(नियम 16 देखिए)
दुर्घटना की सूचना पुस्तिका
[कर्मकार के द्वारा अथवा उसकी ओर से भरा जाना है]

दुर्घटना की तारीख तथा
समय.....

सूचना की तारीख तथा समय
.....

क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम
.....

पता
.....

क्षति का
कारण.....

सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का

हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का

निशान

[नियोक्ता अथवा उसके अभिकर्ता के द्वारा भरा जाना है]

पारिश्रमिक की दर
.....

दुर्घटना का स्थान
.....

क्षतियों की प्रकृति
.....

चक्षुदर्शी साक्षियों का नाम
.....

परिस्थितियों का उल्लेख
.....

प्ररूप- इक्कीस

(नियम 18 (1) देखिए)

यतः मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि (1)आपके द्वारा नियोजित कर्मकार की मृत्यु नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है. मैं एतद्वारा आप से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 88 की उप-धारा (1) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर पैरा 1 एवं 2 में आवश्यक विवरण तथा या तो पैरा 3 या 4 में आवश्यक प्रविष्टियों के साथ सम्यक रूप से भरे हुए प्ररूप को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता हूं। यदि आप प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तब अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (2) के अधीन आवश्यक निक्षेप इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

वास्ते

सक्षम प्राधिकारी कर्मकार प्रतिकर

प्ररूप- बाईस

(नियम 18 का (2) देखिए)

1. दिनांक 20 की आपकी सूचना, जो मेरे द्वारा दिनांक वर्ष 20 को प्राप्त की गयी थी, के प्रत्युत्तर में यह तर्क किया जाता है कि में नियोजित किया था.....निवासी आयु 15 वर्ष से कम/अधिक और दिनांक वर्ष 20..... को दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दिनांक वर्ष 20..... को मृत्यु हो गयी। मृतक का मासिक पारिश्रमिक रुपये की धनराशि है।

2. वे परिस्थितियां, जिनमें मृतक की मृत्यु हुई थी, निम्न प्रकार से थीं: -

.....

.....

3. मैं मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर के रूप में रूपए भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, जिसे दिनांक 20.....के पूर्व आपके पास जमा कर दिया गया था/ कर दिया जाएगा।

4. मैं निम्नलिखित आधारों पर मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व को अस्वीकार करता हूं -

.....

.....

.....

(1) कर्मकार का नाम प्रविष्टकीजिए :

(2) प्रतिष्ठान का नाम प्रविष्ट कीजिए :

.....

नियोक्ता

प्ररूप- तेईस
(नियम 19 (1) देखिए)

करार का ज़ापन

एतद्वारा निवेदन किया जाता है कि नियोक्ता से उत्पन्न और नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना से के निवासी का दिनांक 20 के दिन को व्यक्तिगत क्षति पहुंची और उक्त कर्मचारी की अस्थाई निःशक्तता का कारण बनी जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि महीनों की अवधि के लिए उसकी पूर्व की/कोई किसी मजदूरी से अधिक नहीं अर्जित कर पाएगा। उक्त कर्मचारी अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है जो दिनांक 20 के दिन से दिनांक 20 कि दिन तक कुलरु. प्राप्त करता रहा।

उक्त कर्मचारी की अनुमानित मासिक मजदूरी रु. है। कर्मचारी को 15 वर्ष से अधिक आयु का है।को 15 वर्ष का हो जाएगा यह पुनः निवेदन है कि उक्त कर्मचारी का नियोक्ता, उक्त दुर्घटना से उत्पन्न अस्थायी प्रकृति की सभी निःशक्तता के बाबत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन सभी दावों के पूर्ण निपटारे में चाहे सभी या बाद में प्रकट किया जाए , रु. की राशि को उक्त कर्मचारी का नियोक्ता अदा करने व उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को राजी हो गए हैं। अतः निवेदन है कि ज़ापन सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक20.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

कर्मचारी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

गवाह

नोट - करार के पंजीकरण का आवेदन किसी एक पक्षकार के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु अन्य पक्षकार निबंधनों से सहमत हो, किन्तु जहां संभव हो दोनों के हस्ताक्षर संलग्न होने चाहिए जहां तक संभव हो (रसीद तभी भरी जानी चाहिए जब वास्तव में पैसों का भुगतान किया गया हो)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने आजको रूपए की राशि प्राप्त की हैं,

दिनांक20.....

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

साक्षी के हस्ताक्षर

**प्ररूप- चौबीस
(नियम 19 (1) देखिए)**

करार का ज़ापन

एतद्वारा निवेदन किया जाता है कि दिनांक 20 के दिन
..... को में अपने नियोजन से और के दौरान उत्पन्न दुर्घटना से
..... निवासी को व्यक्तिगत क्षति पहुंची।

उक्त क्षतियुक्त कर्मचारी की निम्नलिखित प्रकृति की स्थायी निःशक्तता का कारण बनी, यथा उक्त
कर्मचारी की मासिक मजदूरी रु. आंकी गई है।

उक्त कर्मचारी 15 वर्ष की आयु से अधिक है/दिनांक को 15 वर्ष की आयु का
होगा।

दिनांक को रु. दिनांक को
..... रु.

यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त निःशक्तता के संबंध में संहिता के अधीन सभी दावों के
पूर्ण निपटारे में रु. की राशि उक्त कर्मचारी को नियोक्ता अदा करने व
उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को सहमत हो गए हैं सभी निःशक्तताएं प्रकट हैं। अतः यह निवेदन है कि ज़ापन
सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक 20.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

गवाह

कर्मचारी के हस्ताक्षर

गवाह

नोट -करार को रजिस्टर कराने के लिए एकपक्षकार द्वारा आवेदन दिया जा सकता है बशर्ते अन्य
पक्षकार निबंधनों से सहमत हो। परंतु दोनों के हस्ताक्षर जब संभव हो संलग्न हों।

रसीद

(उस समय भरी जाए जब वास्तव में अदा किया जाए)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने दिनांक को रु. प्राप्त लिए हैं,
राजस्व स्टाम्प
दिनांक 20

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

गवाह

प्ररूप- पच्चीस
(नियम 19 (1) देखिए)

करार का ज्ञापन

एतद्वारा प्रस्तुत है कि और.....में नियोजन के दौरान नियोजन से दुर्घटना द्वारा दिनांक..... को..... रहने वाले..... को व्यक्तिगत क्षति पहुंची थी।

उक्तक्षति से उक्त कर्मकार की अस्थायी अशक्तता हुई है जो वर्तमान में प्रति मास रूपये..... वेतन के रूप में प्राप्त करता है/कोई वेतन प्राप्त नहीं करता है।

उक्त कर्मकार की दुर्घटना के पूर्व मासिक मजदूरी रूपए प्राक्कलित है। कर्मकार..... के कारण विधिक नियोग्यता के अध्यधीन है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि कर्मकार के नियोक्ता भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है तथा कर्मकार की ओर से उक्त अस्थायी दिव्यांगता की अवधि की दर से अर्द्ध मास भुगतान स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। यह करार इस शर्त के अध्यधीन है कि दिव्यांगता के दौरान उक्त कर्मकार की कमाई में परिवर्तन के कारण खाते पर उक्त संहिताके उपबंधों के अनुसार अर्द्ध मास भुगतान की राशि में, अन्तर हो सकता है यह और कहा गया है कि उक्त संहिता की धारा 93 की उप-धारा (3) के अधीन संदान के सभी अधिकार इस करार से अप्रभावित है। अतएव यह अनुरोध किया जाता है कि इस ज्ञापन को विधिवत् अभिलेखित किया जाए।

दिनांक20

नियोक्ताके हस्ताक्षर

गवाह

कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

गवाह

टीप:- करार को रजिस्टर करने के लिए आवेदन एक पक्षकार के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु अन्य पक्षकार निबंधों से सहमत है। किन्तु यदि संभव हो, तो दोनों के हस्ताक्षर संलग्न होना चाहिए।

रसीद

(जब वास्तव में धन का भुगतान कर दिया गया है तब भरा जाए)

उपरोक्त करार के अनुसार, मैंने राशि रूपएप्राप्त किया है।

दिनांक20.....

कर्मचारी

धन का भुगतान कर दिया गया है तथा इस रसीद में मैंने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

गवाह

प्ररूप- छब्बीस
(नियम 19 (2) (एक) देखिए)

यतः प्रतिकर अदा करने का करार

और..... हो गया है, यतः.....

ने संहिता की धारा 89 (1) के अधीन करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त करार को दिनांक..... को विचारण में लिया जाएगा और उक्त तारीख को उक्त करार के संबंध में कोई आपत्ति है प्रस्तुत की जानी चाहिए । वैध आपत्ति के अभाव में उक्त करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यवाही करने के लिए आशयित हूं।

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- सत्ताइस

[नियम 19 (2) (ग) देखिए]

सूचना की जाती है कि दिनांक20को आपकेव..... के मध्य प्रतिकर अदा करने के लिए हुए करार का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है :-

दिनांक 20

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- अठ्ठाईस

[नियम 19 (3) (ख) देखिए]

यत: और

के मध्य प्रतिकर अदा करने का एक करार हुआ है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि..... ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 89 (1) के अधीन करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है और तथा कि मुझे प्रतीत होता है कि उक्त करार निम्नलिखित कारणों से रजिस्ट्रीकृत नहीं होना चाहिए, अर्थात्:-

.....
 आपको यह कारण बताने के लिए अवसर दिया जाएगा कि उक्त करार रजिस्ट्रीकृत क्यों होना चाहिए। यदि उस तारीख को कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया गया तो करार का रजिस्ट्रीकरण को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

तारीख 20

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- उन्तीस

[नियम 19 (3) (ख) देखिए]

यत: और के मध्य प्रतिकर अदा करने के लिए एक करार हुआ है और यत: कि ने संहिता की धारा 89 (1) के अधीन करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, और यत: मुझे यह प्रतीत होता है कि उक्त करार निम्नलिखित कारणों से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, अर्थात्:-

.....
 को..... दिनांक को यह दर्शाने के लिए अवसर दिया जाएगा कि उक्त करार रजिस्टर क्यों किया जाना चाहिए। कोई अभ्यावेदन जो आपको उक्त करार के सम्बन्ध में करना चाहते हैं उसी तारीख को किया जाए। यदि उस समय उचित कारण दर्शाया गया हो, तो करार को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।
 दिनांक 19.....

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- तीस

[नियम 19 (5) देखिए]

वर्ष 19 के लिए करारों का रजिस्टर

अनुक्रमांक	करार की तारीख	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	नियोक्ता	कर्मकार	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	रजिस्टर परिशोधनकारी आदेशों का सदर्थ

प्ररूप - इक्तीस
[नियम 22 (2) देखिए]
कर्मकार द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मकार प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी,
.....
.....

.....निवास स्थान

.....आवेदक,

बनाम

.....निवास स्थानविरोधी

पक्षकार,

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) दिनांक20.....केके दिन विरोधी पक्षकार

(के ठेकेदार) द्वारा नियोजित कर्मकार को रोजगार से तथा रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई। क्षति का कारण यह था (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....

(2) आवेदक को निम्नलिखित क्षतियां कारित हुई हों, अर्थात् :-

(3) आवेदककी मासिक (3) मजदूरीरूपये थी। आवेदक

की आयु के समय 15 वर्ष से अधिक/कम है।

(4) (क) दुर्घटना की सूचना दिनांक20के दिन को

तामील कराया गया था।

(ख) सूचना जहां तक हो सका उतना शीघ्र तामील कराई गई.....

(ग) दुर्घटना की सूचनाकी कारण से (सही समय पर) तामील नहीं

कराई गई थी।

(5) आवेदक तदनुसार प्रप्ति का हकदार है--

(क) दिनांक 20 से तक
रूपए का अर्ध मासिक भुगतान।

(ख) रूपये की एक मुश्त राशि भुगतान।

(6) आवेदक ने करार द्वारा निपटान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए परन्तु यह

विवादित प्रश्नों का निपटान करने में असफल साबित हुआ

क्योंकि अतः आपसे निवेदन है कि निम्न विवादित प्रश्न का

निपटारा करें; अर्थात्:-

(क) क्या आवेदक संहिता के अर्थ के अधीन एक कर्मकार है।

(ख) क्या दुर्घटना नियोजन के दौरान अनुक्रम में घटित हुई

(ग) क्या क्षतिपूर्ति की राशि, या राशि का कोई भाग बकाया है

(घ) क्या विपक्षी पक्षकार क्षतिपूर्ति जैसा बकाया के भुगतान हेतु

उत्तरदायी है:

(ड.) आदि, (अपेक्षानुसार)

दिनांक 20

.....
आवेदक

- जो खण्ड लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप- बत्तीस

[नियम 22 (2) देखिए]

जमा प्रतिकर हेतु आदेश के लिए आवेदन

प्रति,

कर्मकार प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी

.....

.....निवास

स्थान.....आवेदक,

बनाम

.....निवास स्थान.....विरोधी पक्षकार

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) दिनांक20.....केदिन विरोधी पक्षकार (के ठेकेदार) द्वारा नियोजित कर्मकार.....को रोजगार से तथा रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक20.....को उसकी मृत्यु हो गई। क्षति का कारण यह था (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....

(2) उसकेनाते आवेदक मूल कर्मकार का /के आश्रित है/हैं।

(3) मृतक की मासिक मजदूरीरुपए थी।

मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष की आयु से अधिक/कम था।

(4) (क) दुर्घटना की सूचना दिनांक20.....को तामील की गयी थी।

(ख) सूचना जहां तक हो सके उतना शीघ्र तामील की गई थी।

(ग) दुर्घटना की सूचनाके कारण से (सही समय पर) तामील नहीं की गई थी।

(5) अपनी मृत्यु से पूर्व मृतक ने कुल राशिरुपए प्रतिकर के रूप में प्राप्त किए।

(6) प्रार्थी तदनुसाररुपए भुगतान की एक मुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार है।

इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आवेदक को उक्त प्रतिकर अथवा कोई अन्य प्रतिकर जिसका कि वह हकदार है, प्रदान करना प्रार्थित।

दिनांक20.....

.....
आवेदक

- जो खण्ड लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप- तैतीस
[नियम 22 (2) देखिए]
सारांशीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मकार प्रतिकर के लिए सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

.....निवास

स्थान.....आवेदक,

बनाम

..... निवास स्थान

विरोधी पक्षकार एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि :-

(1) आवेदक/विरोधी पक्षकार नियोजन तथा नियोजन के दौरान से उत्पन्न दुर्घटना द्वारा अस्थायी निःशक्तता के संबंध में दिनांक से तक अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है।

(2) आवेदक इच्छुक है कि अर्द्ध-मासिक संदायों के प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर दिया जाए।

(3) (क) विरोधी पक्षकार अर्द्ध मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार के मोचन से सहमत नहीं है।

(ख) पक्षकार उस राशि के सम्बन्ध में जिसके लिए अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर सहमत होने से असमर्थ रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि-

(क) यह निर्देश के अर्द्ध मासिक संदाय प्राप्त करने का अधिकार मोचित कर दिया

जाए ;

(ख) अर्द्ध मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार के मोचन के लिए राशि तय करने के लिए आदेश पारित करें।

दिनांक20.....

.....
आवेदक

प्ररूप- चौतीस
[नियम 22 (19) देखिए]

सूचना

यतः आवेदक के द्वारा के विरुद्ध प्रतिकर के लिए दावा किया गया है और उक्त ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 (3), (4) के अधीन किसी प्रतिकर के विरुद्ध उसको क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं, जो वह उपर्युक्त दावे को अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं, आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20 को मेरे समक्ष प्रस्तुत सकते हैं और उक्त आवेदक द्वारा प्रतिकर के दावे अथवा विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति के दावे का विरोध करें। आपके उपस्थित न होने के व्यतिक्रम में ऐसा माना जाएगा कि आप विरोधी पक्षकार के विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को और उससे वसूले गए किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए आप अपना दायित्व स्वीकार करते हैं।

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- पैंतीस
[नियम 22 (2) देखिए]

सूचना

यतः जबकि के विरुद्ध आवेदक के द्वारा प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93 की उपधारा (3) और (4) के अधीन किसी प्रतिकर के विरुद्ध उसको क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी हैं जो वह उपर्युक्त दावे के संबंध में अदा करने का उत्तरदायी होगा, और जबकि उक्त ने सूचना तामील हो जाने पर यह दावा किया है कि आप ठेकेदार के सम्बन्ध में उसके विरोधी हैं जिसमें आवेदक प्रतिकर वसूल लेता है तो आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 20..... को मेरे समक्ष प्रस्तुत हों और उक्त आवेदक के द्वारा किए गए दावे अथवा विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति के दावे का विरोध करें। आपको प्रस्तुत होने के व्यतिक्रम में यह माना जाएगा, कि आप विरोधी पक्षकार से वसूले गए किसी प्रतिकर के लिए उसके विरुद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय की विधिमान्यता को स्वीकार करते हैं।

दिनांक 20.....

.....
सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप- छत्तीस
[नियम 29 (1) देखिए]
महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

स्थापना का नाम

1. अनुक्रमांक:
2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम
3. नियुक्ति की तारीख:
4. कार्य की प्रकृति:
5. महीने और वर्ष के साथ तारीख जबसे वह नियोजित हैं, कामबंदी और नियोजित नहीं हैं:

महिना	नियोजित दिनों की संख्या	कामबंदी के दिनों की संख्या	नियोजित नहीं होने के दिनों की संख्या	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. महिला द्वारा धारा 62 के अधीन सूचना दिए जाने की तारीख:
7. सेवा मुक्त/ बर्खास्तगी, की तारीख यदि कोई हो:
8. धारा 62 के अधीन प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख:
9. शिशु के जन्म की तारीख:
10. प्रसव/ गर्भपात/ गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/ बच्चे की मृत्यु/ गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख:
11. धारा 65 में संदर्भित अस्वस्थता का प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख:
12. संभावित प्रसव के अग्रिम भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित तारीख।
13. प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि सहित तारीख।
14. धारा 64 के अधीन तारीख सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो।
15. धारा 65(1) और 65(3) के अधीन तारीख सहित अवकाश खाते पर भुगतान की गई मजदूरी की राशि सहित तारीख।
16. धारा 65(2) के अधीन तारीख सहित अवकाश खाते पर भुगतान की गई मजदूरी की राशि सहित तारीख और स्वीकृत किए गए अवकाश की अवधि।
17. धारा 62 के अधीन महिला द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम।
18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/ या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख।
19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है, तो उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।
20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए स्थापना के नियोक्ता के हस्ताक्षर।
21. निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के उपयोग के लिए अभ्युक्ति कॉलम।

प्ररूप- सैंतीस
[नियम 29 (3) देखिए]
एकीकृत वार्षिक विवरणी

क. सामान्य भाग:

(क) स्थापना का नाम

स्थापना का पता:

मकान नं./ फ्लैट नं..... गली नं./ प्लॉट नं.....

शहर जिला राज्य पिन कोड.....

(ख) नियोक्ता का नाम

नियोक्ता का पता:

मकान नं./फ्लैट नं./..... गली नं./प्लॉट नं.....

शहर जिला राज्य पिन कोड

संहिता.....

ई-मेल आईडी दूरभाष नं..... मोबाईल नं.....

(ग) स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक या व्यक्ति का नाम :

..... पता:

मकान नं./फ्लैट नं..... गली नं./ प्लॉट नं.. ..

शहर जिला राज्य पिन कोड

ई-मेल आईडी दूरभाष नं..... मोबाईल नं.....

ख. नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संहिता के अधीन नियोक्ता का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति नम्बर:

अनुक्रमांक	नाम	पंजीकरण	यदि हां (रजिस्ट्रीकरण नं.)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (वर्किंग कंशिन संहिता, 2020)। (2020 का 37)		
02.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। (2020 का 36)		
03.	तत्समय प्रवृत्त होने कोई अन्य विधि।		

ग. नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रम के ब्यौरे:

छ. (क) भुगतान के ब्यौरे:

भुगतान की गई सकल मजदूरी			कटौतियां		भुगतान की गई शुद्ध मजदूरी	
नकद	अन्य प्रकार से	जुमाने	नुकसान अथवा क्षति के लिए कटौतियां	अन्य	नकद	अन्य प्रकार से

(ख) वर्ष के दौरान मजदूरी सहित अवकाश अनुमोदित किए गए कामगारों की संख्या :

अनुक्रमांक	वर्ष के दौरान	कामगारों की संख्या	मजदूरी सहित अवकाश अनुमोदित
------------	---------------	--------------------	----------------------------

ज. सांविधिक स्कीमों के अधीन उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण योजनाओं के ब्यौरे:

अनुक्रमांक	उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति	सांविधिक (संविधि विनिर्दिष्ट करें)
------------	---	------------------------------------

झ. संहिता के अंतर्गत प्रसूति लाभ :

(क) स्थापना, चिकित्सा एवं पैरा-चिकित्सा स्टाफ का ब्यौरे:

01. स्थापना के खुलने की तारीख
02. बंद होने की तारीख, यदि बंद हो तो
03. चिकित्सा अधिकारी का नाम
- (एक) चिकित्सा अधिकारी की योग्यता
- (दो) क्या चिकित्सा अधिकारी (खान अथवा सर्कस) में है?
- (तीन) क्या वह अंशकालिक है, तो कितनी बार स्थापना का दौरा करता/करती है?
- (चार) क्या वहां कोई अस्तपाल है?
- (पांच) यदि हां, तो कितने बिस्तर उपलब्ध है?
- (छह) क्या वहां कोई महिला चिकित्सक है?
- (सात) यदि हां, तो उसकी योग्यता क्या है?
- (आठ) क्या वहां कोई योग्य दाई है?
- (नौ) क्या शिशुगृह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

(ख) संहिता के अंतर्गत अनुमोदित अवकाश

01. स्थापना में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या
02. अनुमोदित अवकाश के दिनों की कुल संख्या
03. कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें प्रसूति अवकाश दिया गया / ईएसआई द्वारा लाभान्वित हुए

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य एवं सही है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मेरे स्थापना पर लागू होने वाले श्रम कानूनों के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें

प्ररूप- अड़तीस

[नियम 30 (1), (2), (3) देखिए]

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 की उप-धारा (1) के अधीन अपराध के प्रशमन के लिए पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को सूचना

सूचना क्रमांक.....

तारीख :

मेरे समक्ष रखे गए रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने के लिए कारण हैं, कि आपने,स्थापना (पंजीकरण संख्या..... के नियोक्ता होने के कारण संहिता के उपबंधों अथवा स्कीमों अथवा नियमों अथवा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार अपराध किया है :-

भाग- एक

1. व्यक्ति का नाम:
2. स्थापना का नाम एवं पता:
3. स्थापना की पंजीकरण संख्या :
4. अपराध के ब्यौरे :
5. संहिता/स्कीम/नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अधीन अपराध कारित किया गया है:
6. अपराध के संयोजनके लिए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित प्रशमन राशि :
7. कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम एवं ब्यौरे:

भाग- दो

उपरोक्त के दृष्टिगत ऊपर उल्लिखित राशि को भुगतान करने के लिए इस सूचना के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान करने तथा इस सूचना के भाग-तीन में सम्यक रूप से भरकर आवेदन को लौटाने का विकल्प है।

उक्त राशि के प्रकरण में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में बिना कोई अवसर दिए अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग- तीन**अपराध की प्रशमन के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अधीन आवेदन**

संदर्भ : सूचना क्रमांक.....

तारीख:

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-एक के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी गई है तथा भाग-एक में उल्लिखित अपराधों के प्रशमन करने के अनुरोध के साथ भुगतान का ब्यौरे नीचे दिया गया है।

1. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जारी रसीद की प्रति संलग्न की जानी है);
2. अभियोजन, के ब्यौरे, यदि ऊपर लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया हो, के ब्यौरे;
3. क्या यह अपराध प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था तो उस अपराध का पूर्ण ब्यौरे दें;
4. अन्य कोई जानकारी जो आवेदक देना चाहता हो।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

तारीख:

स्थान:

भाग- चार**संघटन प्रमाण-पत्र**

संदर्भ : सूचना क्रमांक.....

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है, कि संहिता की धारा 133 की उप-धारा के अधीन अपराध, जिसके संबंध में श्री (आवेदक), (स्थापना का नाम एवं पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता को दिनांक: का सूचना क्रमांक..... जारी किया गया था, उक्त सूचना के अनुपालन में अपराधों के प्रशमन के लिए (रुपए.....) की पूर्ण राशि का भुगतान करने के कारण प्रशमन कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

तारीख:

स्थान:

प्ररूप- उनतालीस

[नियम 31(3)(ख)देखिए]

कैरियर केन्द्रों को रिक्तियां रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रथक प्ररूप)

1	<p>नियोक्ता का ब्यौरे :</p> <p>नाम:</p> <p>पिन कोड सहित पता:</p> <p>दूरभाष नं. :</p> <p>मोबाइल नं. :</p> <p>ई-मेल पता:</p> <p>स्थापना का नाम एवं प्रकार (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्वशासी, निजी, इत्यादि)</p> <p>संहिता के अधीन स्थापना की पंजीकरण संख्या :</p> <p>आर्थिक क्रियाकलापों के ब्यौरे</p>		
2.	<p>मांगपत्र अधिकारी का ब्यौरा:</p> <p>नाम:</p> <p>पदनाम:</p> <p>दूरभाष नं. :</p> <p>मोबाइल नं.:</p> <p>ई-मेल पता :</p>		
3.	<p>रिक्ति (रिक्तियों) के ब्यौरे:</p> <p>(क)भरी जाने वाली रिक्ति(रिक्तियों) का पदनाम/ नामावली</p> <p>(ख) पद के कर्तव्यों का वर्णन (रोजगार भूमिका/कार्यप्रणाली भूमिका)</p> <p>(ग) अपेक्षित योग्यताएं/कौशल (शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव)</p> <p>(एक) शैक्षणिक योग्यता (दो) तकनीकी योग्यता (तीन) कौशल (चार) अनुभव</p> <p>(घ) आयु सीमा, यदि कोई हो</p>	अनिवार्य	वांछनीय/प्राथमिकता योग्य

	(आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु)	
	(ड) प्राथमिकताएं (जैसेकि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं इत्यादि) यदि कोई हों।	
	(च) नियोजन की कालावधि (एक) 3-6 माह (दो) 6-12 माह (तीन) 12 माह तथा अधिक	पदों की संख्या,
4.	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), इत्यादि जैसे व्यक्तियों की किसी श्रेणी को आरक्षण /प्राथमिकता देने की व्यवस्था करने का कोई दायित्व है: हाँ/नहीं (यदि हां, तो नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताई जाए)	
5	श्रेणी	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या
	(क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ड) भूतपूर्व सैनिक (च) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) (छ) महिलाएं (ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	कुल *प्राथमिकता अभ्यर्थियों द्वारा (केन्द्र सरकार की रिक्तियों के लिए लागू)
6.	वेतन एवं भत्ते: सरकारी रिक्तियों के लिए :अन्य ब्यौरे के साथ मूल वेतन/प्रतिमाह वेतन सहित पद के वेतन स्तर/वेतन मान, यदि कोई हो, का उल्लेख करें। अन्य के लिए: अन्य ब्यौरे के साथ प्रतिमाह न्यूनतम कुल वेतन, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	
7.	कार्य स्थल(कस्बे/गांव तथा जिला का नाम, पिन कोड इत्यादि के साथ, जिसमें यह अवस्थित है)	
8.	आवेदन का तरीका (ई-मेल, ऑन लाइन, लिखित)	

	में, इत्यादि) और आवेदन की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	
9.	उस अधिकारी का ब्यौरा जिसको आवेदन भेजे जाएं/ अभ्यर्थी सम्पर्क करें: (नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी, पता, दूरभाष नं., ऑन लाइन की दशा में वेबसाइट के पते का उल्लेख करें)	
10.	भर्ती का तरीका {कैरियर केन्द्र, प्लेसमेंट एजेंसी, स्व प्रबंधन के माध्यम से, अन्य कोई तरीका (विनिर्दिष्ट करें) }	
11.	क्या कैरियर केन्द्र में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची सौंपने को वरीयता देंगे।	हां/नहीं
12.	अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी	

स्थापना/नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम
(कार्यालयीय उपयोग के लिए-कैरियर केन्द्र द्वारा भरा जाए)

13.	कैरियर केन्द्र का नाम, पता, ई-मेल आईडी	
14.	रिक्तियां प्राप्त होने की तारीख	
15.	स्थापना का एनआईसी कोड	
16.	पद का एनसीओ कोड	
17.	विशिष्ट रिक्ति आईडी (नम्बर)	

कैरियर केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर /नाम एवं पदनाम
टिप्पणी:

1. कैरियर केन्द्र जिसको रिक्तियां रिपोर्ट की जाती हैं, वह रिपोर्ट की गई रिक्ति को एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा तथा इसे लिखित में ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से अथवा अन्य किसी मीडिया के माध्यम से तत्काल नियोक्ता को सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में यह रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवस के पश्चात नहीं करेगा।
2. कोई नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन देता है अथवा किसी अभिकरण अथवा किसी अन्य तरीके से भर्ती करता है, तो वह उस विज्ञापन अथवा भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को हमेशा उल्लिखित करे।
3. कैरियर केन्द्र को पहले से दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना लिखित में अथवा विधिमान्य आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल ढंगसे (पोर्टल के माध्यम सहित) जैसा भी मामला हो, समुचित कैरियर केन्द्र को दी जाएगी।

प्ररूप- चालीस

[नियम 31(6)देखिए]

ईआईआरका प्ररूप (रोजगार सूचना विवरणी)

..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी

संहिता (अध्याय-आठ - रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली निम्नलिखित जानकारी अपेक्षित है

नियोक्ता का नाम एवं पता		
क्या मुख्यालय है		
शाखा कार्यालय है		
स्थापना का प्रकार (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र)		
व्यवसाय का प्रकार / मुख्य क्रियाकलाप		
संहिता के अधीन स्थापना की पंजीकरण संख्या		
<p>1. (क) रोजगार</p> <p>अंशकालिक कामगारों तथा प्रशिक्षुओं को छोड़कर कार्यरत प्रोपराइटर्स/पार्टनर्स/आकस्मिक भुगतान एवं संविदा कामगारों, आउटसोर्स कामगारों सहित स्थापना की जनशक्ति की कुल संख्या (इन आंकड़ों में वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए, जिसे मजदूरी अथवा वेतन का भुगतान किया जाता है)।</p>		
श्रेणी	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को	रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को
पुरुष		
महिला		
अन्य (ट्रांसजेंडर)		
कुल :		

उपरोक्त कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)

(ईआईआर- नियमित)

2. वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों * तथा कैरियर केन्द्र को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या

हुई रिक्ति	रिपोर्ट की गई		भरी गई	स्रोत (कैरियर केन्द्र/एनसीएस पोर्टल/ सरकारी भर्ती अभिकरण/ निजी प्लेसमेंट संगठन/अन्य)
	कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय)	कैरियर केन्द्र (केन्द्रीय)		
1	2	3	4	5

संहिता (अध्याय आठ) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार।

3. जनशक्ति की कमी:

समुचित आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद रिक्त रह गए।

व्यवसाय का नाम अथवा पद का पदनाम	रिक्त रिक्तियों /पदों की संख्या		
	कौशल/योग्यता (शैक्षणिक /तकनीकी /निर्धारित अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया कोई अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें, जिनके लिए मैं स्थापना को समुचित आवेदक प्राप्त करने में मुश्किल हुई थी।)

4. अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण द्वारा अपेक्षित अनुमानित जनशक्ति (कृपया नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या पृथक पृथक दी जाए)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या				
	पुरुष	महिला	अन्य (ट्रांसजेंडर)	कुल	कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)
व्योरे	2	3	4	5	6

कृपया जहां तक संभव हो सेवानिवृत्ति/ विस्तार अथवा पुनर्संगठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की अनुमानित संख्या दें।

कुल:					

- * कॉलम में (ब्यौरे) - अभियंता (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (मेटलर्जिस्ट), अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री), पर्यवेक्षक (टेलरिंग), इंस्पेक्टर (सेनेटरी), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (सेल्स), प्रबंधक (अकाउंट्स), कार्यपालक (मार्केटिंग), डाटा एंट्री ऑपरेटरजैसे वास्तविक शब्दों का प्रयोग करें।

स्थापना के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /नियोक्ता के मुहर एवं तारीख
सहित हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

टीप:- 1. यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर संबंधित स्थापनाओं/नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को संहिता (अध्याय-आठ - रोजगार सूचना एवं मोनिटरिंग) के अंतर्गत अपने दायित्व का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2. नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य

(एक) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों;

(दो) कार्मिकों का प्रकार जिनका अभाव है और

(तीन) नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए भविष्य के जॉब अवसरों का पता लगाना तथा उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ना है।

यह कौशल आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित अभ्यर्थी लेने के लिए कैरियर केन्द्रों पर कॉल करने में समर्थ होंगे।

No. 85-2026-A-XVI.- The following draft of rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 154, 156 and 158 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the,—

1. Madhya Pradesh Employees' Insurance Court Rules, 1963;
2. Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit Services System) Rules, 1959;
3. Madhya Pradesh Supplies to the Hospitals Established under the Scheme of Employees' State Insurance Rules, 1981;
4. Madhya Pradesh Workmen's Compensation Rules, 1962;
5. Madhya Pradesh Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Rules, 1963;
6. Madhya Pradesh Maternity Benefit Rules, 1965;
7. Payment of Gratuity (Madhya Pradesh) Rules, 1973; and
8. Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002.

Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), The Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (48 of 1996), the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008 (43 of 2008), as the case may be, which are repealed by section 164 of the said Code, except things done or omitted to be done before such

supersession, is, hereby, published, as required by section 154, 156 and 158 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), for the information of all persons likely to affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objections or suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above, may be addressed to Secretary, Government of Madhya Pradesh, Labour Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal or Labour Competent Authority, Government of Madhya Pradesh, 518, New Moti Banglow, MG Road, Indore, 452007, or may be sent through email to- dslabourmp@mp.gov.in. or pslabour@mp.gov.in, which may be considered by the State Government, namely:-

DRAFT OF RULES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and extent.-

- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Social Security Rules, 2026.
- (2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) “Agency” means any corporation, body or institution, established under an act of the State legislature or State Government undertaking or special purpose vehicle, as notified by the State Government;
 - (b) “Appeal” means an appeal preferred under clause (b) of sub-section (7) of section 37 and sub-section (8) of section 56;
 - (c) “Appellate Authority” means,—
 - (i) the State Government or an authority one rank above the Competent Authority specified by the State Government for the purpose of sub-section (8) of section 56 and;
 - (ii) ESI Court constituted by the State Government for the purpose of clause (b) of sub-section (7) of Section 37 and a senior officer appointed by the State Government on the post of assessing officer for the purpose of section 105, as the case may be;
 - (d) “Assessing Officer” means a Gazetted Officer of the State Government or an officer of a local authority holding an equivalent post to a Gazetted Officer of the State Government, appointed by State Government for assessment of cess under the Code;

- (e) "Authority" means the State Government or an authority specified by the State Government under sub-section (3) of section 72;
- (f) "Average daily wages during a contribution period" under Chapter-IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days, for which such wages were payable;
- (g) "Average daily wages during a wage period" under Chapter-IV of the Code means,—
- (i) in respect of an employee, who is employed on time-rate basis, the amount of wage, which would have been payable to him for the complete wage period, had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26, if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;
 - (ii) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the contribution period divided by the number of days in full or part, for which he has worked for wages in that wage period :

Provided that, where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked

for 26, 13, 6 or 1 days or day if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation.— Where, any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

- (h) “Benefit period” means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in these rules;
- (i) “Board” means the Madhya Pradesh Unorganised Workers Welfare Social Security Board known as the Madhya Pradesh Urban and Rural Unorganized Workers Welfare Board and the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, constituted under section 6 and section 7;
- (j) “Career center” means District Employment Exchanges of Employment Department of the State Government or any other centers notified by the State Government;
- (k) “Chairperson” means the Chairperson of the Madhya Pradesh Building and Other Constructions Workers' Welfare Board, the Madhya Pradesh Urban and Rural Unorganized Workers Welfare Board, the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;

- (l) "Cess collector" means an officer appointed by the State Government for collection of cess under the Code;
- (m) "Chartered engineer" means a person having an Engineering Degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;
- (n) "Code" means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);
- (o) "Court" means the Employees' Insurance Court constituted under section 50 of the Code;
- (p) "Electronically" means any information submitted through email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code;
- (q) "Form" means Form appended to these rules;
- (r) "Fund" means Social Security Fund, as specified in section 108 and section 141, as the case may be;
- (s) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (t) "Government securities" means Government securities, as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006);
- (u) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (v) "Immovable property" includes land, benefits to and arise out of land, things attached to the Earth, or permanently fastened to anything attached to the Earth;

- (w) "minor" means a person, who has not attained the age of eighteen years;
- (x) "Movable property" means property of every description except immovable property;
- (y) "Nodal Officer" means a person designated by Building and Other Construction Workers' Welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation, electronically or otherwise or any such other function of building workers working in the private sector, State Government, Central Government and Public Sector Undertakings of the Central and the State Governments or local authority. The Nodal officer, shall also supervise and monitor functions of the Beneficiary Registering Officers designated by the State Government;
- (z) "Nomination" means nomination made under section 55 of the Code;
- (aa) "Portal" means Shram Seva Portal or official web portal of Labour Department, Government of Madhya Pradesh with any other name;
- (ab) "Registered Medical Practitioner" means a medical practitioner, whose name has been enrolled in a register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;

- (ac) "Register of women employees" means a register of women employees maintained under rule 55;
- (ad) "Schedule" means Schedule of the Code;
- (ae) "Section" means a section of the Code;
- (af) "Specified" means specified by an order of the Central Government or State Government or any officer so authorised by the Government;
- (ag) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (ah) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (ai) "Turnover" of an aggregator as defined under subsection (91) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), means the gross amount of revenue recognised in the profit and loss account from the sale, supply or distribution of goods or on account of services rendered or both, by a company during a financial year;
- (aj) "Year" means the financial year, beginning from the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the year following.
- (2) The words and expressions used in these rules, which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have the same meaning respectively, as assigned to them in the Code.

CHAPTER-II
SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

**A. MADHYA PRADESH UNORGANISED WORKERS SOCIAL
SECURITY BOARD**

3. Manner of exercising the powers and performing the functions by the Madhya Pradesh Unorganised Workers' Social Security Board under sub-section (9), the manner of nomination of members of the Board, their term of office and other conditions of service, procedure to be followed in the discharge of their functions and manner of filling vacancies among the members of the Board under sub-section (12) and time, place and rules of procedure relating to the transaction of business at its meetings under sub-section (14) of section 6.-

(1) Constitution of the Madhya Pradesh Unorganised Workers' Social Security Board.- The Madhya Pradesh Unorganized Workers' Social Security Board shall be deemed as Board constituted under sub- section (9) of section 6, which shall consists of,-

- (a) the Minister in-charge of Labour Department, Madhya Pradesh as the ex-officio Chairperson;
- (b) Principal Secretary, Labour Department as Vice-Chairperson;
- (c) one member representing the Central Government in the Ministry of Labour and Employment;

- (d) thirty-one members to be nominated by the State Government out of whom,—
- (i) seven representing the employees of unorganized workers;
 - (ii) seven representing the employers of unorganized workers;
 - (iii) two members representing the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh;
 - (iv) five members representing eminent persons from civil society;
 - (v) ten members representing the concerned State Government Departments:

Provided that adequate representation shall be given to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities and women.

- (e) Member-Secretary, as notified by the State Government;

All members except the Chairperson of the Madhya Pradesh Unorganized Workers' Social Security Board, shall be nominated by the State Government, who shall be eminent persons in the fields of labour welfare, management, finance, law and administration.

- (2) **Terms of Office.**— A member appointed under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall, unless he resigns his office or dies or otherwise vacates his office at an earlier

date, hold office for a period of three years from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette appointing him as a member of the Board and shall be eligible for reappointment:

Provided that an outgoing member shall continue in office, until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(3) Resignation.-

- (a) A member appointed under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 3 may resign by writing under his hand addressed to the State Government;
- (b) the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

(4) Vacation of office.- A member appointed under clauses (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall be deemed to have vacated his office, if,—

- (a) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a competent Court; or
- (b) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (c) he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson; or
- (d) he ceases to represent the interest for representing of which he was appointed;
- (e) he is removed by the State Government.

- (5) **Filling up of casual vacancies.**- A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member, in whose place he is appointed.
- (6) **Meeting of Board and Quorum.**-
- (a) The Board shall ordinarily meet once in three months:
Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one-third of the members of the Board, call a special meeting thereof;
- (b) no business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 11 members are present, of whom at least one shall be from among those appointed under clause (a), (b) and (c) of sub-rule(1) of rule 3.
- (7) **Notice of meeting and list of business.**- Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days prior to the meeting of Board separately:
Provided that, when the Chairperson, calls a meeting for considering any matter, which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

- (8) **Chairperson to preside over the meetings.**- The Chairperson shall preside over all the meetings of the Board and if the Chairperson is unable for any reason to be present in the Board meeting, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting.
- (9) **Transaction of Business.**- All questions, which come up before any meeting of Board, shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.
- (10) **Minutes of meeting.** - The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members, after approval by the Chairperson, as soon as possible after the meeting, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a minute book, which shall be kept for permanent record.
- (11) **Allowances payable to Non-official members.**- Travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates permissible to the first class officers of the State Government, to each Government member, to attend the meetings of the board and its sub-committees.
- (12) **Sub-committees of the Board.**-
- (a) The Board may appoint such sub-committees, as it may deem fit, for the proper discharge of its duties;

- (b) each sub-committee shall be headed by the Chairperson of the Board and shall have an equal number of unorganized workers, employers and members of the Board representing the State Government;
 - (c) in the absence of the Chairperson, the members of the sub-committee present shall elect one of their own representative to preside over the meeting;
 - (d) no work shall be performed at a meeting of the sub-committee, unless at least one-third of its members are present, of which there shall be one representing the members and at least one unorganized worker;
 - (e) the term of any sub-committee except the sub-committee constituted for the short-term purpose shall be one year from the date of its constitution, but the sub-committee shall continue to function until a new sub-committee is formed, but in any case, no sub-committee shall function beyond the period of two years from the date of its original formation;
 - (f) the recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.
- (13) **Appointment of Secretary, other officers and Staff.-**
- (a) Board shall, with prior concurrence of the State Government, appoint an officer of Indian Administrative Service/State Administrative Service of selection grade/an officer not below the rank of a

Deputy Labour Commissioner, as Secretary of the Board;

- (b) Board may appoint such other officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up in the Board, unless its creation, has first been approved by the State Government.

(14) Duties and functions of Board.-

- (a) Under sub-section (15) of section 6 of the Code, the Board shall adopt the following procedure for the performance of its duties, a scheme stipulating the procedures, formats and all other residual matters regarding each facility or group of facilities specified by the Board and the Code, not expressly provided in these rules, Board shall prepare and recommend to the State Government, under which the following shall be mentioned,-
- (i) rates, at which various facilities shall be payable;
 - (ii) application procedure and format;
 - (iii) procedure for sanctioning and Competent Authority to grant approval;
 - (iv) procedure for disbursement; and
 - (v) any other incidental matters;
- (b) Board may advise the State Government, from time to time, on the points related to the administration of Code;

(c) undertake, such other functions, as are assigned to it by the State Government, from time to time.

(15) Recruitment procedure and service conditions of officers and staff of the Board.-

- (a) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, shall be such, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government;
- (b) if in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of a provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

B. MADHYA PRADESH BUILDING WORKERS' WELFARE BOARD

The terms and conditions of appointment and the salaries and other allowances payable to the Chairperson and the other members of the Building Workers' Welfare Board and the manner of filling of casual vacancies of such members, the terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the Secretary and the other officers and employees of the said Board under clause (c) of sub-section (5) of section 7.

4. Name of the Board.— There shall be a Board called the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board.

- (1) **Constitution of the Board.**—The Board shall consist of,—
- (a) The Minister in-charge of Labour Department, Madhya Pradesh as the ex-officio Chairperson;
 - (b) a member, to be nominated by the Central Government;
 - (c) five members, to be appointed by the State Government, representing Government Departments, of whom two shall be representatives of Labour and one shall be representative of Finance Department and two shall be representatives of Departments engaged in building or other construction workers;
 - (d) five members, to be appointed by the State Government, representing building workers; and
 - (e) five members, to be appointed by the State Government representing employers of building workers:

Provided that the Building Workers' Welfare Board shall include an equal number of members representing the State Government, the employers and the building workers and at least one member of the Board shall be a woman.

- (2) **Term of Office.** — A member appointed under clause (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 4 shall, unless he resigns his office or dies or otherwise vacates his office at an earlier

date, hold office for a period for three years from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette, appointing him as a member of the Board and shall be eligible for reappointment:

Provided that an outgoing member shall continue in office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(3) Resignation.—

- (a) A member appointed under clause (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 4 may resign by writing under his hand addressed to the State Government;
- (b) the resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

(4) Vacation of office .- A member appointed under clause (d) and (e) of sub-rule (1) of rule 4 shall be deemed to have vacated his office, if,—

- (i) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a competent Court; or
- (ii) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (iii) he is absent from three consecutive meetings of the Board, without leave of absence from the Chairperson; or
- (iv) he ceases to represent the interest for representing of which he was appointed; or
- (v) he is removed by the State Government.

- (5) **Filling up of casual vacancies.** - A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member, in whose place he is appointed.
- (6) **Meeting of Board and Quorum.-**
- (a) The Board shall ordinarily meet once in three months:
Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one-third of the members of the Board, call a special meeting thereof.
- (b) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 6 members are present, of whom, at least one shall be from among those appointed under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 4.
- (7) **Notice of meeting and list of business.-** Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days prior to the meeting of each Board separately:
Provided that when the Chairperson, calls a meeting for considering any matter, which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

- (8) **Chairperson to preside over the meetings.-** The Chairperson shall preside over all the meetings of the Board and if the Chairperson is unable for any reason to be present in the Board meeting, the Vice-Chairperson shall preside over the meetings.
- (9) **Transaction of Business .-** All questions which come up before any meeting of Board, shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and in the event of equality of votes, the Chairperson or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.
- (10) **Minutes of meeting.-** The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson, as soon as possible after the meeting, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a minute book, which shall be kept for permanent record.
- (11) **Allowances payable to non-official members.—** Travelling allowance and daily allowance shall be paid at the rates permissible to the first class officers of the State Government, to each Government member, to attend the meetings of the Board and its sub-committees.
- (12) **Sub-committees of the Board.—**
- (a) The Board may appoint such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties;

- (b) each sub-committee shall be headed by the Chairperson of the Board and shall have an equal number of unorganized workers, employers and members of the Board representing the State Government;
- (c) in the absence of the Chairperson, the members present of the sub-committee shall elect one of their own representative to preside over the meeting;
- (d) no work shall be performed at a meeting of the sub-committee, unless at least one-third of its members are present, of which there shall be one representing the members and at least one unorganized worker must be among the members representing;
- (e) the term of any sub-committee, except the sub-committee constituted for the short-term purpose, shall be one year from the date of its constitution, but the sub-committee shall continue to function, until a new sub-committee is formed, but in any case, no sub-committee shall function beyond the period of two years from the date of its original formation;
- (f) the recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.

(13) Opening of Regional Offices.— With the approval of the State Government, the Board may open as many regional offices, as it deems necessary, for efficient discharge of its functions under the Code.

(14) Duties and functions of the Board.—

- (a) Under sub-section (6) of section 7 of the Code, the Board shall be responsible for,-
- (i) all matters related to the administration of the fund, including setting policies for the allocation of funds in it;
 - (ii) submission of annual budget, annual report and audited accounts to the Government under the Code;
 - (iii) proper maintenance of accounts, as per the provisions of the Code and its annual audit;
 - (iv) collection of contribution and other charges in the fund;
 - (v) performing the functions specified in and under the Code;
 - (vi) the Board shall, from time to time, give such information to the Government as it deems necessary;
- (b) **notification of schemes by the Board stipulating procedural and other residual matters related to the facilities.—** The Board shall formulate a scheme, which is provided in the Code and these rules, laying down the procedure formats and all other residual matters regarding each facility or group of facilities specified and notification of the scheme with prior approval of the State Government under which following shall be mentioned,-

- (i) rates, at which various facilities shall be payable;
- (ii) application procedure and format;
- (iii) procedure for sanctioning and Competent Authority for grant of approval;
- (iv) procedure for disbursement; and
- (v) any other incidental matters.

(15) Appointment of Secretary, other officers and staff.—

- (a) Board shall, with prior concurrence of the State Government, appoint an officer of Indian Administrative Service/State Administrative Service of selection grade/an officer not below the rank of a Deputy Labour Commissioner as Secretary of the Board;
- (b) Board may appoint such other officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up in the Board, unless its creation has first been approved by the State Government.

(16) Recruitment procedure and service conditions of officers and staff of the Board.—

- (a) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, may be determined by the Board with the prior approval of the State Government;

(b) if in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of a provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

5. Amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries under clause (c), the educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries under clause (d) and the medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or such dependent under clause (e) of sub-section (6) of section 7.-

Notwithstanding the welfare schemes mentioned in the sub-section (6) of the section 7 of the Code, the Board shall also formulate following scheme(s) for the Building workers and notify the same with prior approval of the State Government,-

- (a) pay such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;
- (b) frame educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries; and
- (c) meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or such dependent.

CHAPTER-III
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

CHAPTER-IV
EMPLOYEES' INSURANCE COURT

- 6. Manner and time, within which second appeal may be filed to the Employees' Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section (7) of section 37.-** The Insured Person or the Corporation may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or of the Medical Appeal Tribunal to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

- 7. Procedure to be followed by the Employees' Insurance Court under sub-section (2) and sub-section (3) of section 50.-**

(1) Composition of the Court and place of sitting.-

- (a) a Court shall ordinarily consist of one judge:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette appoint two or more Judges to a Court for any particular proceedings or class of proceedings, for such period, as may be specified in the notification;

- (b) subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 7, a Court shall sit at such place or places and at such time, as the Government may specify.

- (2) **Distribution of business, where there are more Courts than one.**- Where more than one Courts are constituted for the same local area, the Government may, by a general or special order, distribute business among them.
- (3) **Fixing of time of sitting etc.**- Where, there is one Court for two or more local areas,-
- (a) where, one Court is constituted for two or more local areas, the Court shall, subject to the approval of the Government, appoint the time, at which the Court shall sit in respect of each local area or in respect of any class of proceedings under the Code;
- (b) a notice of the time appointed under sub-rule (1) shall be published in such manner, as the Government may, from time to time, direct.
- (4) **Procedure, where there are more than one Judge,-**
- (a) where, more than one Judge has been appointed to a Court, the Government shall specify their rank and precedence;
- (b) the senior Judge for the time being shall, from time to time, make such arrangements, as he thinks fit, for the distribution of business of the Court among the Judges thereof;
- (c) when two or more Judges sitting together, differ on any question, the opinion of the majority of such Judges shall prevail, where there is no majority, the opinion of the senior most Judge shall, unless the Government otherwise directs, prevail.

- (5) **Abolition etc. of a Court.**— The Government may, by notification in the Official Gazette, abolish any Court or by a like notification alter the jurisdiction of any Court.

CONDITIONS OF SERVICE OF JUDGES etc.

(6) **Appointment, salaries, allowances etc.-**

- (a) The Government may appoint a person qualified under section 48 of the Code to be Judge of the Court.
- (b) a Judge shall receive such salary and allowances as the Government may, from time to time, determine;
- (c) a Judge shall receive dearness allowance, compensatory city allowance, house rent allowance and other allowances, at such rate and conditions, as are applicable to officer of the Government of a corresponding rank, station at the same place;
- (d) a Judge shall be entitled to leave and leave salary under the leave rules, which may, from time to time, be applicable to other Government servants of similar status and drawing similar emoluments;
- (e) a Judge shall be entitled to travelling allowances for journeys performed on official business in accordance with the scale applicable to the class of officers, to which in the opinion of the Government, such Judge belongs;
- (f) a Judge shall be subject to such other conditions of service, as the Government may determine;

(g) notwithstanding anything contained in sub-rule (2) to (5) above, the pay, allowances and other conditions of service of a Judge, if he is a person already in the service of the Government shall be such, as the Government may by a general or special order, from time to time, determine.

(7) Appointment of other officers and sub-ordinate staff. -

(a) The Government may appoint such ministerial officers and other sub-ordinate staff, as may be necessary for the exercise and performance of the powers and duties conferred and imposed on a Court by or under the Code;

(b) the ministerial officers and the sub-ordinate staff of a Court shall exercise such powers and discharge such duties as the Judge or if there are more judges, than that of the senior judge, may direct, subject to any order of the Government, from time to time;

(c) the ministerial officers and the sub-ordinate staff of a Court shall be subject to such conditions of service and draw such salaries and other emoluments and receive such benefits, as may be fixed by the Government.

ADMINISTRATIVE CONTROL AND COURT SEAL

- (8) **Administrative control of the High Court.** - All Courts shall be subject to the administrative control and superintendence of the High Court and shall,-
- (a) keep such registers, books and accounts, as the High court may, from time to time, prescribe; and
 - (b) comply with such requisitions, as may be made by the High Court or the Government for submission of service records, returns and statements in such forms and in such manner, as the authority making the requisition directs.
- (9) **Seal.**- A Court shall keep a seal of such size, dimensions and design, as the Government may direct.

PROCEDURE AND EXECUTION OF ORDERS**(10) Application.-**

- (a) Every proceeding under section 49 shall be instituted by presenting an application to the Court;
- (b) every such application shall be verified in the same manner, as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof;
- (c) an application shall be presented, as prescribed in Form-I. It shall be duly stamped in accordance with these rules and shall contain the following particulars,-

- (i) the name of the Court, in which the application is brought;
 - (ii) the full name, including the father's name, description, including age, occupation and place of residence of the applicant;
 - (iii) the full name, including the father's name, description, including age, occupation and place of residence of the opposite party, so far as they may be ascertained;
 - (iv) where, the applicant or the opposite party is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect and the full name, age, occupation and address of his or her next friend or guardian;
 - (v) the facts constituting the cause of action and the date, when it arose;
 - (vi) the facts showing that the Court has jurisdiction;
 - (vii) particulars, giving the address within the jurisdiction of the Court, at which notice or summons may be served on the applicant; and
 - (viii) the relief, which the applicant claims;
- (d) the application may be rejected, if it is not in accordance with the provisions of clause (c) of sub-rule (10) of rule 7.

Production of documents.-

- (a) When any application is based upon any documents, the documents must be appended to the application;

- (b) any other document, which any party desires to tender in evidence, shall be produced at or before the first hearing;
 - (c) any document, which is not produced at or within the time specified in sub-clause (a) or (b) above, as the case may be, shall not, without the permission of the Court, be admissible in evidence on behalf of the party, who should have produced it;
 - (d) all such documents shall be accompanied by an accurate list thereof prepared in the manner, as prescribed in Form-II;
 - (e) nothing in this rule shall apply to any documents, which is produced for the purpose of cross-examining witness or is handed to a witness to refresh his memory.
- (12) **Register of proceedings.**- All applications shall be entered in a Register, as prescribed in Form-III, called the register of proceedings. Such entries shall be serially numbered for every calendar year, according to the order, in which the applications are presented.
- (13) **Place of suing.** - In cases not falling under sub-rule (2) of rule 1, a proceeding against any person shall be instituted in the Court, within the local limits of whose jurisdiction,-
- (a) the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of commencement of the proceedings, actually and

voluntarily resides or carries on business or personally works for gain; or

- (b) any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the commencement of the proceeding, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain:

Provided that in such case either the leave of the Court is given or the opposite parties, who do not reside or carry on business or personally work for gain as aforesaid, acquiesce in such institution; or

- (c) the cause of action, wholly or in part, arose.

(14) Application presented to wrong Court. -

- (a) If on receiving an application it appears to the Court that it should be presented to another Court, it shall return it to the applicant after endorsing upon it the dates of the presentation and return with the reasons for returning it and the designation of the Court, to whom it should be presented;
- (b) if it appears to the Court at any stage subsequent to the presentation of an application, that the application should have been presented to another Court, in the same State, it shall send the application to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant (and the opposite party, if he has received a copy the application), accordingly;
- (c) the Court, to whom an application is transferred under sub-rule (2) may continue the proceeding, as if

the previous proceeding or any part of it had been taken before it, if it is satisfied that the interests of the parties shall not thereby be prejudiced.

(15) Issue of summons. -

- (a) On receiving an application the Court shall, if the same has not been rejected under sub-rule (4) of rule 11, within three days thereof, cause to be sent to the party, from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the 'opposite party'), summons, as prescribed in Form-IV or Form-V, as the case may be, to appear and answer the application in a day, not later than fifteen days from the day of issue of such summons, to be specified therein:

Provided that no such summons shall be issued, when the opposite party has appeared at the presentation of the application and admitted the applicant's claim;

- (b) a copy of the application shall also be sent along with the summons under clause (a) of sub-rule (15) of rule 7.

(16) Service of summons or notice.-

- (a) summons or notice may, on payment of the required fee, be sent by the Court, by which it is issued, either by registered post or in such other manner as the Court thinks fit;
- (b) where, the Court is satisfied that there is reason to believe that the opposite party is avoiding service or

that for any reason the summons or the notice cannot be served in the ordinary way, the Court shall order the summons or the notice to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the Court-house and also upon some conspicuous part of the house in which the opposite party is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the Court thinks fit and it shall be effectual, as if it had been made on the opposite party personally;

- (c) where, a summons or notice is served under sub-rule (2), the Court shall fix such time for the appearance of the opposite party, as the circumstances of the case may require.

(17) Additional matters in the summons. - The Court shall determine at the time of issuing the summons, whether it shall be for the settlement of the issues only and /or for the final disposal of the application and the summons shall contain a direction accordingly.

The Court may also call upon the parties to produce upon that date any evidence, which they wish to render.

(18) Proceedings involving disablement question.- If in any proceeding before the Court, disablement questions (as defined in the section 37 of the Code) arises and the decisions of a Medical Board or a Medical Appeal Tribunal has not been obtained on the same and the decision of such questions is necessary for determination of the claim

or question before the Court, that Court shall direct the Corporation to have the question decided as laid down in section 37 and shall thereafter proceed with the determination of the claim or question before it in accordance with section 49.

(19) Written statement. -

- (a) The opposite party may and if so required by the Court, shall, at or before the first hearing or within such time, as the Court may permit, present a written statement of his defence along with the documents on which he relies and an accurate list thereof, as prescribed in Form-II;
- (b) every such written statement shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof;
- (c) in any written statement submitted under clause (a) of sub-rule (19) of rule 7, the opposite party shall deal specifically with each allegation of fact alleged by the applicant, of which he admits or does not admit or denied the truth. The written statement must also contain all matters, which show that the application is not maintainable and all such grounds of defence as, if not raised, would be likely to take the application as for instance, fraud, undue influence or coercion release, payment, performance of facts showing illegality of the transaction.

(20) **Failure to present written statement called for by the Court.-** Where any party, from whom a written statement is required, fails to present the same within the time prescribed, the Court may, pronounce judgment against him or make such order in relation to the proceeding, as it thinks fit.

(21) **Framing of issues.-**

- (a) At the first hearing of the application, after the summons have been issued, the Court shall, after considering the application and the written statement, if any or after such examination of the parties or any person or any document, as may appear necessary, ascertain upon what material proposition of fact or of law the parties are at variance and shall thereupon proceed to frame and record the issues, upon which the right decision appears to depend;
- (b) in recording the issues, the Court shall distinguish between those issues, which in its opinion concern points of fact and those, which concern points of law;
- (c) the Court may, in like manner, at any time before passing its final order, add to, strike out from or in any way amend, the issues, on such terms, as it may think fit.

(22) **Order where parties are not at issue.-** Where, at any hearing of the case, it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce its final order.

(23) Appearance of parties and consequences of non-appearance.-

- (a) On the day fixed in the summons for the opposite party to appear and answer, the parties shall be in attendance at the Court in person or by their respective legal practitioners or any other person authorised under section 51 and the application shall then be heard, unless the hearing is adjourned by the Court;
- (b) when, neither party appears, when the application is called on for hearing, the Court may make an order that the application be dismissed;
- (c) where, the opposite party appears and the applicant does not appear, when the application is called on for hearing, the Court shall make an order that the application be dismissed, unless the opposite party admits the claim or part thereof, in such case the Court shall make an order against the opposite party upon such admission and where, a part only of the claim has been admitted, it shall dismiss the case so far as it relates to the remainder;
- (d) where, the applicant appears and the opposite party after receiving the summons fails to appear, when the application is called on for hearing the Court may proceed ex-parte;
- (e) where the application is wholly or partly dismissed under clause (b) or (c) of sub-rule (23) of rule 7, the

applicant may, within thirty days of such dismissal, apply, as prescribed in Form-VI, for an order to set the dismissal aside and the Court shall, if it is satisfied that he was prevented from appearing, when the proceeding was called on for hearing, due to any sufficient cause, make an order setting aside the dismissal upon such terms, as to costs or otherwise, as it thinks fit and may proceed with the case or appoint a day for proceeding with the same:

Provided that no order under this sub-rule, shall be made in respect of an application, which is dismissed under clause (c), unless notice of the application has been served, as prescribed in Form-VII, on the opposite party;

- (f) in any application, in which an ex-parte order has been passed against the opposite party, he may within thirty days from the date of such order, apply, as prescribed in Form-VI, to the Court which passed the order, to set it aside and if the Court is satisfied that he was prevented from appearing, when the proceedings were called on for hearing, due to any sufficient cause, it may after serving notice thereof to the applicant, as prescribed in Form-VII, make an order setting aside the order upon such terms, as to costs or otherwise, as it thinks fit and may proceed with the hearing of the case or appoint a day for proceeding with the same.

(24) Summoning of witness.-

- (a) At any time after framing of the issues, the Court may call upon the parties to produce their evidence in support of the issues;
- (b) the Court may, on the application of either party, issue summons, as prescribed in Form-VIII, to any witness directing him to attend or to produce any document;
- (c) the Court may, before summoning any witness on application under clause (b), require that his reasonable expenses to be incurred in attending the Court, be deposit with it.

(25) Grant of time and adjournment of hearing. -

- (a) The Court may, if sufficient cause is shown, at any stage of the application, grant time to the parties or to any of them and may, from time to time, adjourn the hearing of the application;
- (b) In every such adjournment, the Court shall fix a day not exceeding fifteen days from the date, on which such adjournment is made, for further hearing of the application and may make such order, as it thinks fit, with respect to the costs occasioned by the adjournment:

Provided that, when the hearing of the evidence has once begun, the hearing of the application shall be continued from day to day, until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court

finds the adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(26) Right to begin proceeding.- The applicant has the right to begin, unless the opposite party not admits the facts alleged by the applicant and contends that either on point of law or on some additional facts alleged by the opposite party, the applicant is not entitled to the relief, which he seeks, in the cases, in which, the opposite party has the right to begin.

(27) Statement and production of evidence.-

- (a) On the day fixed for the hearing of the application or on any other day, to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his case and his evidence in support of the issues, which he is bound to prove;
- (b) the other party shall, then state his case and produce his evidence (if any) and may then address the Court generally on the whole case;
- (c) the party beginning may, then reply generally on the whole case;
- (d) notwithstanding anything contained in this rule, the Court may order that the production of evidence or the address to the Court may be in any order, which it may deems fit.

(28) Method of recording evidence.- The evidence of each witness shall be taken down in writing by the Judge or

where, there is more than one Judge, by the junior Judge or at the dictation of any such Judge in the open Court in the language of the Court, not ordinarily in the form of question and answer, but in that of a narrative and when completed, shall be read over or translated, where necessary, in the presence of such Judge, to the witness, and such Judge shall, if necessary, correct the same and shall sign it.

- (29) **Recall of a witness.**- The Court may, at any stage of a proceeding, recall any witness, who has been examined and may (subject to the law of evidence for the time being in force) put such question to him, as the Court thinks fit.
- (30) **Inspection by Court.**- The Court may, at any stage of a proceeding, inspect any property or thing concerning which any question may arise.
- (31) **Pronouncement of order.**- The Court, after the application being heard, shall pronounce its final order in open Court, either at once or on some future day, of which, due notice shall be given to the parties.
- (32) **Signing of order.**- The final order shall be dated and signed in open Court at the time of pronouncing it and when once signed, shall not afterwards be altered or added to, save in the case of clerical or arithmetical mistake arising from accidental slip or omission.
- (33) **Statement of decision on each issue.** - In cases, in which issues have been framed, the Court shall state its finding or decision, with the reason therefor, upon each

separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the case.

(34) **Compromise of suit.**— Where it is proved to the satisfaction of the Court, that a case had been adjusted wholly or in partly by any lawful agreement or compromise or where, the opposite party satisfies the applicant in respect of the whole or any part of the subject matter of the case, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded and shall pass final order in accordance therewith, so far as it relates to the case.

(35) **Finality of Order.**— Save as provided in section 52 of the Code, the order of a Court shall be final and binding upon the parties.

COSTS, DECREE etc.

(36) **Costs.**—

- (a) The costs and incidental to the application shall be at the discretion of the Court and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary direction(s) for the aforesaid purposes. The fact that the Court has no jurisdiction to try the case shall have no bar to exercise of such powers;
- (b) where, the Court directs that any cost shall not follow the event, the Court shall state its reasons in writing.

(37) Contents of the decree.-

- (a) A decree, as prescribed in Form-IX shall be prepared in conformity with the order made by the Court, which shall contain the number of the application, the names and descriptions of the parties and particulars of the claim and shall specify clearly the relief granted or other determination of the proceeding;
- (b) the decree shall also state the amount of costs incurred in the proceeding and by whom and in what proportion such costs are to be paid;
- (c) the Court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum, which is admitted or found to be due from the former to the latter.

(38) Certified copies of order, decree etc. to be furnished.-

- (a) Certified copies of the final order, decree or any other order or matter on record, shall be furnished to the parties on application to the Court and at their expenses;
- (b) if, any party requires copies of any order, decree or any other matter on record, made by or furnished to the Court, as the case may be, to be supplied to him within forty-eight hours of the submission of an application thereof to the Court, he shall pay an additional fee of two rupees for each such copy;
- (c) if, any party applies for copies of any order, decree or any other matter on record, made by or furnished to

the Court, as the case may be, after the expiry of twelve months from the date of such making or furnishing, as the case may be, he shall pay an additional searching fee of two rupees.

EXECUTION

(39) Execution.-

- (a) Any person, in whose favour, an order has been passed shall, within one year from the date of the order, apply, as prescribed in Form-X, to the Court which made the order for its execution;
- (b) on such, application being made, the Court shall send the same together with the necessary record to a Civil Court of competent jurisdiction, for its execution and such Civil Court shall have the same power in executing such order, as if it had been passed by it.

(40) Communication of fact of execution or otherwise.- The Civil Court, to which a decree is sent for execution, shall certify to the Court, which passed it, the fact of such execution or where that Court fails to execute the same, the circumstances attending such failure.

FEEES AND COSTS

(41) Fees.-

- (a) The fee payable on an application in respect of any matter referred to in section 49 of the Code shall be Ten Rupees;

- (b) the fee payable in respect of any other application, except a written statement called for by the Court under these rules, shall be Five Rupees:

Provided that the fee for an application for obtaining a copy or translation of any document on record or statement, order or decree presented to or made before or by the Court, as the case may be, shall be Two Rupees;

- (c) the fee for copies of any document on record or statement or order or decree shall be such, as may, from time to time, be determined by the Government;
- (d) the fee for any authorisation for the appearance of any person under section 79 on behalf of any of the parties in a case, shall be Ten Rupees;
- (e) the fee for filing certified copies of any document in a Court shall be Five Rupees;
- (f) all fees referred to in this rule shall be collected by means of Court-fee stamps used in ordinary Courts and no document, which ought to bear stamps under these rules shall be of any validity, unless and until it is properly stamped:

Provided that, where any such document is through mistake or inadvertence received, filed or used in a Court, without being properly stamped, the Court may, if it thinks fit, order that such document be stamped as it may direct and on such document being stamped, accordingly the same and every

proceeding relating thereto, shall be as valid as it had been properly stamped in the first instance;

- (g) no document requiring a stamp under this rule shall be acted upon in any proceeding in a Court, until the stamp has been cancelled.

(42) Payment of Costs of services of summons etc. -

- (a) The cost of service of summons or notices or the expenses of the witnesses, in any case or the fee payable in respect of any matter not referred to in the preceding rule, shall be such amount, as may be specified in each case by the Court and such amount or any other sum of money payable under these rules shall be paid in such manner and within such time, as it may specify;
- (b) any amount, which is left over after meeting the expenses, if any, for which it was intended, shall be returned by the Court to the party, by whom or on whose behalf the amount was originally paid into the Court;
- (c) the Court shall maintain proper accounts of the amount received and disbursed under clause (a).

(43) Fees and costs of poor persons.- The Court may, whenever it thinks fit, receive and register proceedings instituted under the Code and applications made under these rules, by persons, who are paupers and may issue summons or notice on behalf of such persons, without payment or on a part payment of the fees and costs.

(44) In respect of matters relating to procedure or admission of evidence, for which no specific provision is made in these rules, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023), shall so far apply.

8. Manner of commencement of proceedings before the Employees' Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of section 51.-

- (1) The proceeding before an Employees' Insurance Court shall be commenced through an application by the Corporation, aggrieved person or the employer of an establishment, as the case may be.
- (2) Subject to the provisions of Chapter-IV of the Code and rules made by the Government, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area, in which the insured person was working at the time the question or dispute arose.
- (3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it may be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court alongwith the records connected with that matter.

- (4) The State Government may, transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State, to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.
- (5) The Court, to which any matter is transferred under sub-rule (3) or sub-rule (4) shall continue the proceedings, as if they had been originally instituted in it.

CHAPTER-V

GRATUITY

9. **Bank or other financial institution, in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of section 53.-** In the case of nominee or an heir, who is minor, the Competent Authority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or Nationalised Bank.

Explanation.- "Nationalised Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

10. **Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of**

modification of a nomination under sub-section (5) and the form for fresh nomination under sub-section (6) of section 55.-

- (1) A nomination shall be, as prescribed in Form-XI and submitted in duplicate by the employee, either by personal service, after taking proper receipt or by registered post acknowledgement due or electronically to the employer,-
- (a) in case of an employee, who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but has not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and
- (b) in case of an employee, who has completed one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination, as prescribed in Form-XI, shall be accepted by the employer after the specified period, if filed and no nomination so accepted, shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

- (2) Within thirty days of the receipt of nomination, as prescribed in Form-XI, under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination, as mentioned in

Form-XI, duly attested either by the employer or an officer authorised by him in this behalf, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

- (3) An employee, who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family, submit in the manner specified in sub-rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate, as prescribed in Form-XI to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis*, as if it was made under sub-rule (1).
- (4) A notice of modification of a nomination, including cases, where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate, as prescribed in Form-XI, to the employer in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply *mutatis mutandis*.
- (5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or if illiterate, shall bear his thumb impression in the presence of two witnesses, who shall also sign a declaration to that effect and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgment due.
- (6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

11. Time, within which and the form, in which a written application shall be made under sub-section (1) and the form of application to the Competent Authority under clause (b) of sub-section (5) of section 56.-

(1) Application for Gratuity.-

(a) An employee, who is eligible for payment of gratuity under the Code or any person, authorised in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, as prescribed in Form-XII, to the employer:

Provided that, where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof, in excess of six months;

(b) a nominee of an employee, who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable to him, as prescribed in Form-XII, to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars, as may be deemed necessary by him;

- (c) a legal heir of an employee, who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53, shall apply, ordinarily within one year from the date the gratuity became payable to him, as prescribed in Form-XII, to the employer.
- (d) where gratuity becomes payable under the Code, before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement;
- (e) an application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule, shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the Competent Authority for its decision;
- (f) an application under this rule shall be presented to the employer, either electronically or through personal service or by registered post acknowledgement due.

(2) Notice for payment of gratuity.-

(a) Within fifteen days of the receipt of an application under sub-rule (1) for payment of gratuity, the employer shall,-

(i) if the claim is found admissible on verification, issue a notice, as prescribed in Form-XIII, to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or

(ii) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice, as prescribed in Form-XIII, to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible.

In case of denial of gratuity, a copy of the notice shall be endorsed to the Competent Authority;

(b) in case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice, as prescribed in Form-XIII under sub-clause (i) of clause (a) sub-rule (2) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified;

- (c) if the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence, as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (a) of sub-rule (2) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer, is furnished to the employer;
- (d) a notice, as prescribed in Form-XIII, shall be served on the applicant, either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically;
- (e) a notice under sub-section (2) of section 56 shall be in Form-XIII.
- (3) **Mode of payment of gratuity.-** The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the Bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:
- Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the Competent Authority of the area.
- (4) **Application to Competent Authority for direction under clause (b) of sub-section (5) of section 56.-**
- (a) If an employer,-

- (i) refuses to accept a nomination under rule 34 or to entertain an application sought to be filed under sub-rule (1); or
- (ii) issues a notice under clause (a) of sub-rule (2), either specifying an amount of gratuity, which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity; or
- (iii) having received an application under sub-rule (1) fails to issue notice as required under sub-rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in the form of Form-XIV, to the Competent Authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56, with as many extra copies as are the opposite party:

Provided that the Competent Authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period;

- (b) application under clause (a) of sub-rule (4) and other documents relevant to such an application, shall be presented in person to the Competent Authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.

(5) Procedure for dealing with application for direction.-

- (a) On receipt of an application under sub-rule (4), the Competent Authority shall, by issuing a notice, as prescribed in Form-XV, electronically or through registered post acknowledgment due or in person, call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative, together with all relevant documents and witnesses, if any;
- (b) any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the Competent Authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act, together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order, either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal;
- (c) a party appearing by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative;
- (d) after completion of hearing on the date fixed under clause (a) or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the Competent Authority shall

record its finding, as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties;

- (e) if the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing, after due service of notice without sufficient cause, the Competent Authority may proceed to hear and determine the application ex-parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing, without sufficient cause, the Competent Authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (e) of sub-rule (5) may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application re-heard, after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party, of the date fixed for rehearing of the application.

- (6) **Place and time of hearing.**- The sittings of the Competent Authority shall be held at such times and at such places as it may fix and it shall inform the parties of the same, in such manner, as it thinks fit.
- (7) **Administration of oath.**- The Competent Authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.
- (8) **Summoning and attendance of witnesses.**- The Competent Authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him and

on such terms, as may appear to the Competent Authority just, issue summons to any person, as prescribed in Form-XV, either to give evidence or to produce documents or for both purposes, on a specified date, time and place.

(9) Service of summons or notice.-

(a) Subject to the provisions of clause (b) any notice, summons, process or order issued by the Competent Authority, may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner, as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);

(b) where there are numerous persons as parties to any proceeding before the Competent Authority and such persons are members of any Trade Union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary or where, there is no Secretary, on the principal officer of the Trade Union or association or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the Competent Authority.-

(a) The Competent Authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders, shall sign and date the particulars so recorded;

(b) the Competent Authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of

the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet;

- (c) any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the Competent Authority, may be signed on behalf of and under the direction of the Competent Authority, by any sub-ordinate officer, appointed in writing for this purpose by the Competent Authority.

(11) Direction for payment of gratuity.- If a finding is recorded under clause (d) of sub-rule (5), that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the Competent Authority shall issue a notice to the employer concerned, as prescribed in Form-XVI, electronically or through registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the Competent Authority, within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) Appeal.-

- (a) The memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code, shall be submitted to the Appellate Authority, with a copy thereof to the opposite party and the Competent Authority, either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically;

- (b) the memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the Competent Authority, the grounds of appeal and the relief sought;
- (c) there shall be appended to the Memorandum of appeal, a certified copy of the finding of the Competent Authority and direction for payment of gratuity;
- (d) on receipt of the copy of memorandum of appeal, the Competent Authority shall forward records of the case to the Appellate Authority;
- (e) within fourteen days of the receipt of the copy of the memorandum of appeal, the opposite party shall submit its comments of each paragraph of the memorandum, with additional pleas, if any, to the Appellate Authority with a copy to the appellant;
- (f) the Appellate Authority shall record its decision, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal, electronically or through registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the Competent Authority returning its records of the case;
- (g) the Competent Authority shall, on receipt of the decision of the Appellate Authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him;
- (h) on receipt of the decision of the Appellate Authority, the Competent Authority shall, if required under that decision, modify its direction for payment of gratuity

and issue a notice to the employer concerned, as prescribed in Form-XVI, specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the Competent Authority, within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice must be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be and to the Appellate Authority.

(13) Application for recovery of gratuity.- Where, an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the Competent Authority under sub-rule (11) or sub-rule (12) above, as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable, may apply to the Competent Authority, in duplicate, as prescribed in Form-XVII for recovery thereof, under section 129 of the Code.

12. Appointment of Competent Authority.- The Competent Authority shall be appointed by the State Government, by notification.

CHAPTER-VI
MATERNITY BENEFIT

13. Authority, to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of section 72.-

(1) Complaint under section 72.—

- (a) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing, as prescribed in Form-XVIII, as the case may be;
- (b) when a complaint referred to in section 72 is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if, he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under section 63, as the case may be, immediately or within a specified period.

(2) Appeal under section 72.—

- (a) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72, shall lie to the Competent Authority;
- (b) the aggrieved person shall prefer an appeal, in writing, to the prescribed Authority, as prescribed in Form-XIX and file other supporting documents;
- (c) when an appeal is received, the prescribed Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator, before a fixed date, the record of the case. The prescribed Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person and of the

Inspector-cum-Facilitator and seek clarification, if any is required;

- (d) taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the prescribed Authority shall give its decision.

CHAPTER-VII

EMPLOYEE'S COMPENSATION

- 14. The amount to be deposited towards the expenditure of the funeral of the employee, with the Competent Authority by the employer under sub-section (7) of section 76.-**

Amount of Funeral.- If the injury of the employee results in his death, the employer shall, in addition to the compensation under sub-section (1) of section 76 of the Code, deposit with the Competent Authority, a sum of not less than Rs. 15,000/- or such amount, as may be notified by the State Government for the payment of the same, to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of such employee or where, the employee did not have a dependent or was not living with his dependent at the time of his death, to the person, who actually incurred such expenditure:

Provided that if the Central Government enhances the amount specified in sub-section (7) of section 76 of the Code, it shall be followed by the State Government.

15. Conditions, when application for review is made with certificate of a medical practitioner under sub section (1) of Section 79.-

(1) **When application may be made without medical certificates.-** Application for review of a half-monthly payment under section 79 of the code may be made without accompanying a medical certificate,-

- (a) by the employer, on the ground that since the right to compensation was determined the workmen's wages have increased;
- (b) by the workmen, on the ground that since the right to compensation was determined his wages have diminished;
- (c) by the workmen, on the ground that the employer, having commenced to pay compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding the fact that there has been no change in the workmen's condition such as two warrant such cessation;
- (d) either by the employer or by the workmen, on the ground, that the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud or undue influence or other improper means;
- (e) either by the employer or by the workman, on the ground, that in the determination of compensation there is a mistake or error apparent on the face of the record.

(2) **Procedure on application for review.**- If, on examining an application for review by an employer, in which the reduction or discontinuance of half-monthly payments is sought, it appears to the Competent Authority, that there is reasonable grounds for believing that the employer has a right to such reduction to discontinuance, he may, at any time, issue an order, after giving the employee, likely to be affected thereby, an opportunity of being heard for withholding the half-monthly payments in whole or in part pending his decision on the application.

(3) **Procedure on application for commutation.**-

(a) Where, an application is made to the Competent Authority under section 7 for redemption of a right to receive half-monthly payments by the payment of a lump-sum, the Competent Authority shall form an estimate of the probable duration of the disablement, and shall not a sum equivalent to the total of half-monthly payments would be payable for the period during which he estimated the disablement shall continue, less one-half per cent of that total for each month comprised in that period:

Provided that fractions of a rupee included in the sum so computed, shall be disregarded;

(b) when, in any case, to which sub-rule (1) applies, the Competent Authority is unable to form an approximate estimate of the probable duration of the disablement, it may, from time to time, postpone a

decision on the application, for a period not exceeding two months at any one time.

16. Class of employers and the form of notice book under sub-section (4) of section 82.- The appropriate Government may require that any class of employers, as may be prescribed by that Government, shall maintain at their premises, at which employees are employed, a notice book, in such form (see Form-XX) prescribed by that Government, which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured employee employed in the premises and to any person acting bonafide on his behalf.

17. The frequent interval for medical examination under the proviso to sub-section (1) of section 84.-

- (1) **Workman not to be required to submit to medical examination save in accordance with rule.-** A workman, who is required by sub-section (1) of section 11 to submit himself for medical examination, shall be bound to do so in accordance with the rules contained in this part and not otherwise.
- (2) **Examination, when workman and medical practitioner both are available at premises.-** When, each workmen is present at the employer's premises and the employer offers to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, who is so present, the workman shall submit himself for examination forthwith.
- (3) **Examination in other cases.-** In cases, to which rule 14 does not apply, the employer may,-

- (a) send the medical practitioner to the place, where the workman is residing for the time being, in that case the workman shall present himself for medical examination on being requested to do so by the medical practitioner; or
- (b) send to the workman any offer in writing to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, in that case the workman shall present himself for medical examination at the employer's premises or at such other place in the vicinity, as is specified in such offer and at such time, as is so specified:

Provided that,-

- (i) the time so specified shall not, save with the express consent of the workman, be between the hours of 7 p.m. and 6 a.m.; and
- (ii) in case, where the workman's condition renders it impossible or inadvisable that he should leave the place, where he is residing for the time being, he shall not be required to present himself for medical examination save at such place.
- (4) **Restriction on number of examination.**- A workman, who is in receipt of a half-monthly payment shall not be required to present himself for medical examination elsewhere, then at the place, where he is residing for the time being more than twice in the first month following the accident or more than once in any subsequent month.

(5) **Examination after suspension of right to compensation.**- If a workman, whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3) of section 84 of the Code, subsequently offers himself for medical examination, his examination shall take place on the employer's premises or at such other place in the vicinity, as may be fixed by the employer and at a time to be fixed by the employer, not being, save with the express consent of the workman more than 72 hours after the workman has so offered himself.

(6) **Examination of women.**-

- (a) No woman shall without her consent, be medically examined by a male practitioner, save in the presence of another woman;
- (b) no woman shall be required to be medically examined by a male practitioner, if she deposits a sum sufficient to cover the expenses of examination by a female practitioner.

18. The statement to be submitted by the employer in the prescribed form under sub-section (1) of section 88.-

- (1) The notice to be sent by a Competent Authority under sub-section (1) of section 88 of the Code, shall be as prescribed in Form-XXI and shall be accompanied by a blank copy of Form-XXII.
- (2) The statement to be submitted by an employer under section 88, shall be as prescribed in Form-XXII.

- (3) The report in respect of an accident under sub-section (1) of section 88, may be sent to the authority, to whom the notice of such accident is required to be given.

19. The manner of recording the memorandum in a register by the Competent Authority under sub-section (1) of section 89.-

- (1) **Form of Memorandum.-** Memorandum of Agreement sent to the Competent Authority under sub-section (1) of section 89 shall, unless the Competent Authority otherwise directs, be in duplicate and shall be in as close conformity as the circumstances of the case admit with Form-XXIII or Form-XXIV or Form-XXV, as the case may be.

(2) **Procedure, where Competent Authority does not consider that it should refuse to record Memorandum.-**

- (a) On receiving a Memorandum of Agreement, the Competent Authority shall, unless it considers that there are grounds for refusing to record the Memorandum, fix a date for recording the same and shall issue a notice in writing, as prescribed in Form-XXVI, to the parties concerned that in default of objections he proposes to record the memorandum on the date so fixed:

Provided that the notice may be communicated orally to any parties, who are present at the time, when notice in writing would otherwise issue;

- (b) on the date so fixed, the Competent Authority shall record the Memorandum unless, after hearing any of the parties, who appear and desire to be heard, it considers that it ought not to be recorded:

Provided that the issue of a notice under sub-rule (1) shall not be deemed to prevent the Competent Authority from refusing to record the Memorandum on the date so fixed, even if no objection be made by any party concerned;

- (c) if on such date, the Competent Authority decides that the Memorandum ought not to be recorded, it shall inform the parties present, of its decision and of the reasons thereof and if any party desiring the Memorandum to be recorded is not present, it shall send information to that party, as prescribed in Form-XXVII.

(3) Procedure, where Competent Authority considers it should refuse to record Memorandum.-

- (a) If, on receiving a Memorandum of Agreement, the Competent Authority considers that there are grounds for refusing to record the same, it shall fix a date for hearing the party or parties desiring the Memorandum to be recorded and shall inform such party or parties and if it thinks fit, any other party concerned of the date, so fixed and of the grounds, on which it considers that the Memorandum should not be recorded;

- (b) if the parties to be informed are not present, a written notice shall be sent to them, as prescribed in Form-XXVIII or Form-XXIX, as the case may be and the date fixed in such notice shall not be less than seven days after the date of the issue of the same;
- (c) if, on the date fixed under sub-rule (1), the party or parties desiring the Memorandum to be recorded show adequate cause for proceeding to record of the same, the Competent Authority may, if information has already been given to all the parties concerned, record the agreement. If information has not been given to all such parties, it shall proceed in accordance with rule 20(2).
- (d) if, on the date so fixed, the Competent Authority refuses to record the Memorandum, it shall send notice, as prescribed in Form-XXVII, to any party, who did not receive information under sub-rule (1).
- (4) Procedure on refusal to record Memorandum.-**
- (a) If, in any case, the Competent Authority refuses to record a Memorandum of Agreement, it shall briefly record its reasons for such refusal;
- (b) if, the Competent Authority refuses to record a Memorandum of Agreement, it shall not pass any order directing the payment of any sum or amount over and above the sum specified in the agreement, unless opportunity has been given to the party liable

to pay such sum, to show-cause, why it should not be paid;

- (c) where, the agreement is for redemption of half-monthly payments by the payment of lump-sum and the Competent Authority considers that the Memorandum of Agreement should not be recorded by reason of the inadequacy of the amount of such sum, as fixed in the agreement, it shall record its estimate of the probable duration of the disablement of the workman.

- (5) **Registration of Memorandum accepted for record.**- In recording a Memorandum of Agreement, the Competent Authority shall cause the same to be entered in a register, as prescribed in Form-XXX and shall cause an endorsement to be entered under his signature, on a copy of the Memorandum to be retained by it in the following terms, namely:-

"This memorandum of agreement bearing serial No.....of.....20..... in the register has been recorded this day.....of.....20....."

Signature of Competent Authority".

20. Experience and qualification for appointment as a Competent Authority under sub-section (1) of section 91:-
Eligibility of the Competent Authority,-

- (a) Member of State Judicial service, who is serving for a period of not less than five years; or

- (b) Advocate with at least five years of practice; or
- (c) Gazetted Officer with service of not less than five years, having educational qualification and experience in personnel management, human resource development, industrial relation and legal affairs; or
- (d) officer of the Labour Department, not below the rank of Assistant Labour Commissioner/Deputy Director, Industrial Health and Safety.

21. The manner of the notice under sub-section (1) and the manner of transmitting money under sub-section (3) of section 92.-

(1) Transfer for report.-

- (a) A Competent Authority transferring any matter to another Competent Authority for report, in accordance with sub-section (2) of section 92 shall, along with the documents referred to in that sub-section, transmit to such other Competent Authority, a concise statement, in the form of questions for answer of the matter, on which report is required;
- (b) a Competent Authority to whom, a case is so transferred for report, shall not be required to report on any question of law.

(2) Transmission of money.- Money transmitted by one Competent Authority to another in accordance with sub-section (2) of section 92, shall be transmitted either by remittance transfer receipt or by money order or by

messenger, as the Competent Authority transmitting the money may direct.

22. The form, manner and fee for application for claim or settlement under sub-section (3) and time limit for disposal of application and cost incidental to the proceedings under sub-section (4) of section 93.-

PROCEDURE

- (1) **Introductory.-** Save as otherwise provided in these rules, the procedure to be followed by Competent Authorities in the disposal of cases under the Code or these rules and by the parties in such cases shall be regulated in accordance with the rules contained in this part.
- (2) **Applications.-** Any application of the nature referred to in section 93, may be sent to the Competent Authority by registered post or may be presented to it or to any of its subordinate authorised by it in this behalf and if so sent or presented, shall unless the Competent Authority otherwise directs, be made in duplicate in the appropriate form, if any and shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by Order VI Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) (see From-XXXI, From-XXXII and From-XXXIII).
- (3) **Production of documents.-**
 - (a) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application;

- (b) any other document, which the applicant desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing;
 - (c) any document which is not produced at or within the time specified in sub-rule (1) or (2), as the case may be, shall not, without the sanction of the Competent Authority, be received in evidence on behalf of the applicant;
 - (d) nothing in this rule applied to any document, which is produced for the purposes of cross-examining a witness or is handed to a witness to refresh his memory.
- (4) **Application presented to wrong Competent Authority.-**
- (a) If it appears to the Competent Authority on receiving the application that it should be presented to another Competent Authority, it shall return it to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and the designation of the Competent Authority, to whom it should be presented;
 - (ii) if it appears to the Competent Authority at any subsequent stage, that an application should have been presented to another Competent Authority, it shall transfer the application to the Competent Authority empowered to deal with it and shall inform the applicant (and the opposite party), if it has

received a copy of the application under rule 8, accordingly;

(iii) the Competent Authority, to whom an application is transferred under sub-clause (ii), may continue the proceedings, as if the previous proceedings or any part of them had been taken before him, if he is satisfied that the interest of the parties shall not thereby be prejudiced.

(5) Examination of applicant.-

(a) On receiving the application of the nature referred to in section 93, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witness and forward the record thereof to the Competent Authority;

(b) the substance of any examination made under clause (a) above shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in section 97.

(6) Summary dismissal of application.-

(a) The Competent Authority may, after considering application and the result of any examination of the applicant under sub-rule (5), summarily dismiss the application, if, for reasons to be recorded, he is of opinion that there are no sufficient grounds for proceeding thereon;

- (b) the dismissal of the application under clause (a) of sub-rule (6), shall not itself preclude the applicant from presenting a fresh application for the settlement of the same matter.
- (7) **Preliminary inquiry into application.**- If the application is not dismissed under sub-rule (6), the Competent Authority may, for reasons to be recorded, call upon the applicant to produce evidence in support of the application, before calling upon any other party and if upon considering such evidence the Competent Authority is of opinion that there is no case for the relief claimed, he may dismiss the application with a brief statement of his reasons for so doing.
- (8) **Notice to opposite party.**- If the Competent Authority does not dismiss the application under sub-rule (6) or sub-rule (7) above, he shall send to the party, from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the opposite party), a copy of the application, together with a notice of date, on which he shall dispose of the application and may call upon the parties to produce upon that date any evidence which they may wish to tender.
- (9) **Appearance and examination of opposite party.**-
- (a) The opposite party may and if so required by the Competent Authority, shall, at or before the first hearing or within such time, as the Competent Authority may permit, file a written statement dealing

with the claim raised in the application and any such written statement shall form part of the record;

- (b) if the opposite party contests the claim, the Competent Authority may, and if no written statement has been filed, shall, proceed to examine him upon the claim and shall reduce the result of the examination to writing.

(10) Framing of issues.-

- (a) After considering the written statement and the result of any examination of the parties, the Competent Authority shall ascertain, upon what material propositions of fact or law the parties are at variance and shall thereupon proceed to frame and record the issues, upon which the right decision of the case appears to him to depend;
- (b) in recording the issues, the Competent Authority shall distinguish between those issues which in its opinion concern points of fact and those which concern points of law.

- (11) Power to postpone trial of issues of fact, where issues of law arise.-** When issues both of law and of fact arise in the same case and the Competent Authority is of opinion that the case may be disposed of on the issues of law only, it may try those issues first and for that purpose may, if it thinks fit, postpone the settlement of the issues of fact until the determination of issue of law.

- (12) **Diary.**- The Competent Authority shall maintain under its hand a brief diary of the proceedings on an application.
- (13) **Judgement.**-
- (a) The Competent Authority in passing orders, shall record concisely a judgement and its finding on each of the issues framed and its reasons for such finding;
- (b) the Competent Authority, at the time of signing and dating its judgement, shall pronounce its decision and thereafter no addition or alteration shall be made to the judgement, other than the correction of a clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission.
- (14) **Summoning of witnesses.**- If an application is presented by any party to the proceedings for the citation of witnesses, the Competent Authority shall, on payment of the prescribed expenses, issue summons for the appearance of such witnesses, unless it considers that their appearance is not necessary for the decision of the case.
- (15) **Right of entry for local inspection.**- A Competent Authority, before whom any proceeding relating to an injury by accident is pending, may at any time enter the place, where the workman was injured or where the workman ordinarily performed his work, for the purpose of making a local inspection or of examining any persons likely to be able to give information relevant to the proceedings:

Provided that the Competent Authority shall not enter any premises of any industrial establishment, except during the ordinary working hours of that establishment save with the permission of the employer or of some person directly responsible to him for the management of the establishment.

(16) Procedure in connection with local inspection.-

- (a) If the Competent Authority proposes to conduct a local inspection with a view of examining the spot and circumstances, in which an accident took place, it shall give the parties or their representative notice of its intention to conduct such inspection, unless in its opinion the urgency of the case renders the giving of such notice impracticable;
- (b) such notice may be given orally or in writing and in the case of an employer, may be given to any person, upon whom notice of a claim may be served under sub-section (2) of section 88 or to the representatives of any such person;
- (c) any party or the representative of any party, may accompany the Competent Authority at a local inspection;
- (d) the Competent Authority, after making local inspection, shall note briefly in a Memorandum any facts observed and shall show the Memorandum to any party, who desires to see the same and on

payment of the prescribed fees, shall supply any party with a copy thereof;

(e) the Memorandum shall form part of the record.

(17) Powers of summary examination.-

- (a) The Competent Authority, during a local inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before it, may examine summarily any person likely to be able to give information relating to such case, whether such person has been or is to be called as a witness in the case or not and whether, any or all of the parties are present or not;
- (b) no oath shall be administered to a person examined under clause (a) of sub-rule 17;
- (c) statements made by persons examined under clause (a), if reduced to writing, shall not be signed by the person making the statement, nor shall they except as hereinafter provided, be incorporated in the record or utilised by the Competent Authority for the purpose of arriving at a decision in the case;
- (d) if a witness, who has been examined under clause (a), makes in evidence any material statement contradicting any statement made by him in such examination and reduced to writing, the Competent Authority may call its attention to such statement and shall in that case direct that the parties be furnished with the relevant part of such statement for the purpose of examining or cross-examining the witness;

- (e) any statement or part of a statement, which is furnished to the parties under clause (d), shall be incorporated in the record;
- (f) where, a case is settled by agreement between the parties, the Competent Authority may incorporate in the record any statement made under clause (a) and may utilise such statement for the purpose of justifying his acceptance of or refusal to accept, the agreement reached.

(18) Agreement to abide by Competent Authority's decision.-

- (a) If a party states in writing his willingness to abide by the decision of the Competent Authority, the Competent Authority shall inquire whether the other party is willing to abide by its decision;
- (b) if the other party agrees to abide by the Competent Authority's decision, the fact of his agreement shall be recorded in writing and signed by him;
- (c) if the other party does not agree to abide by the Competent Authority's decision, the first party shall not remain under an obligation so to abide.

(19) Procedure, where indemnity claimed under subsection (2) of section 85.-

- (a) Where the opposite party claims that if compensation is recovered from him, he shall be entitled under subsection (2) of section 85 to be indemnified by a person not being a party to the case, he shall, when first

called upon to answer the application, present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person, as prescribed in Form-XXXIV;

- (b) if any person served with a notice under clause (a), desires to contest the applicant's claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed for hearing of the case or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings and in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and to admit its own liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms as may be just;

- (c) if any person served with a notice under clause (a), whether or not he desires to contest the applicant's

claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, claims that being a contractor he is himself a principal and is entitled to be indemnified by a person standing to him in relation of a contractor from whom, the workman could have recovered compensation, he shall on or before the date fixed in the notice under clause (a) present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person, as prescribed in Form-XXXV;

- (d) if any person served with a notice under clause (a), desires to contest the applicant's claim for compensation or the claim under clause (c) to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed in the notice, as mentioned in Form-XXXV or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings in default of so appearing, he shall be deemed to admit the validity of any award made against the original opposite party or the person served with a notice under clause (a) and to admit his own liability to indemnify the party against whom such award is made, for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person, so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority

that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after giving notice to all parties on the record, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms, as may be just;

- (e) in any proceeding, in which a notice has been served on any person under clause (a) or (c), the Competent Authority shall, if it awards compensation, record in its judgement a finding in respect of each of such persons, whether he is or is not liable to indemnify any of the opposite parties and shall specify the party, if any, whom he is liable to indemnify.

(20) Procedure in connected cases.-

- (a) Where two or more cases pending before a Competent Authority arise out of the same accident and any issue involved is common to two or more such cases, such cases may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be heard simultaneously;
- (b) where, action is taken under clause (a), the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one case and the Competent Authority shall certify under his hand on the records of any such other case, the extent, to which the evidence so recorded applies to such other case and the fact that the parties to such other case had the

opportunity of being present and if they were present, to cross-examine the witnesses.

(21) Certain provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to apply.- Save as otherwise expressly provided in the Code or these rules, the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), namely, those contained in Order V Rules 9 to 13 and 15 to 30, Order IX, Order XII Rules 3 to 10, Order XVI Rules 2 to 21, Order XVII, Order XVIII Rules 1 and 2, shall apply to proceedings before Competent Authorities, in so far they may be applicable thereto:

Provided that,-

- (a) for the purpose of facilitating the application of the said provisions, the Competent Authority may construe them with such alterations not affecting the substantive, as may be necessary or proper to adopt them to the matter before it;
- (b) the Competent Authority may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provisions, if it is satisfied that the interests of the parties shall not thereby be prejudiced.

(22) Provisions regarding signature of forms.- Any form, other than a receipt for compensation, which is by these rules required to be signed by a Competent Authority, may be signed under its direction and on its behalf by any

officer sub-ordinate to it appointed by it in writing for this purpose.

(23) Apportionment of compensation among dependents.-

The provisions of this part, except those contained in rules 8, 9 and 21 shall, as far as may apply, in the case of any proceedings relating to the apportionment of compensation among dependents of a deceased workman.

(24) Reasons for postponement to be recorded.- If the Competent Authority finds it impossible to dispose of an application at one hearing it shall record the reasons which necessitate a postponement.

(25) Exemption from payment of costs.- If the Competent Authority is satisfied that the applicant is unable, by reason of poverty, to pay the prescribed fees, it may remit any or all of such fees. If the case is decided in favour of the applicant, the prescribed fees, which they had not been remitted, would have been due to be paid, may be added to the cost of the case and recovered in such manner, as the Competent Authority in its order regarding costs, may direct.

. The manner of authentication of Memorandum under section 97.-

Examination of applicant. -

- (1) On receiving the application of the nature referred to in section 93, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf

and direct such officer to examine the applicant and his witness and forward the record thereof to the Competent Authority.

- (2) The substance of any examination made under sub-rule (1) shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in section 97.

CHAPTER-VIII

SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

- 24. Time limit to pay the amount of cess and the rate of interest in case of delayed payment of cess under section 101.-** If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100 of the Code, within such time, as may be specified in the assessment order or 30 days from the date of issue of assessment order, whichever is earlier.
- 25. Fees for appeal under sub-section (2) of section 105.-** Such appeal, inter-alia, shall be accompanied with— a non-refundable fee equivalent to half percent, but not exceeding Rupees Twenty Five Thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal, which shall be deposited in Labour Department, in the account head 0230-00-101-0555, in Cyber Treasury of the State Government.

CHAPTER-IX
SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG
WORKERS AND PLATFORM WORKERS.

CHAPTER-X
FINANCE AND ACCOUNTS

26. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2), terms to raise loans and take measures for discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute, for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of section 120.-

- (1) The Board may, as soon as may be after the commencement of these rules, constitute a fund to be called the Madhya Pradesh Social Security Fund in accordance with the provisions of the Code and these rules. The fund shall be vested in and be administered by the Board.
- (2) All moneys belonging to the fund may be invested in Nationalised Bank or in securities referred to in clause (a) to (d) of section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882).

- (3) According to sub-section (3) of section 120 Board may receive loan/fund in advance form the State Government and return accordingly to terms and condition for the same.
- (4) From time to time, each of the social security organization, with the prior approval of the State Government and on such terms, as may be prescribed by the State Government, constitute for the benefit of its officers and staff or any class of them, such provident or other benefits fund, as it may think fit.

27. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues

under section 121.- Where, the State Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the State Social Security Board has become irrecoverable, the State Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf, with prior approval of Government, may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely:—

- (a) establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;
- (b) decree obtained by State Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or
- (c) claim for contribution is not fully met by,—

- (i) the Official Liquidator, in the event of factories/establishments having gone into liquidation; or
- (ii) the Competent Authority of payments, in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

CHAPTER-XI

AUTHORITIES ASSESSMENT COMPLIANCE AND RECOVERY

28. Other powers of Inspector-cum-facilitator under clause (e) of sub-section (6) of section 122.- The Inspector-cum-Facilitator may exercise such powers, as may be determined by the State Government, from time to time.

29. Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) and the manner and period of filing returns to the officers or authority under clause (d) of section 123.-

(1) Register of Women Employees.—

- (a) The employer of every establishment, in which women are employed, shall prepare and maintain a register of women employees, as prescribed in Form-XXXVI, electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified Inspection Scheme by the Inspector-cum-Facilitator;

- (b) the employer may enter in the register of women employees such other particulars, as may be required for any other purposes of the Code.
- (2) **Records.**— Records kept under the provisions of Chapter V of the Code and the rules framed thereunder, shall be preserved for a period of two years from the date of their preparation.
- (3) The notices shall be displayed at prominent place at the establishment
- (4) **Annual returns.**—
- (a) The employer, to whom the provisions of Chapter V of the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return, as prescribed in Form-XXXVII, online on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour, providing information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same

- meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (b) if the employer, to whom the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the Central Government in the Ministry of Labour and Employment, a further unified return, as prescribed in Form-XXXVII referred to in clause (a) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

CHAPTER-XII

OFFENCES AND PENALTIES

30. Manner of compounding of offences by the authorised officer specified under sub-section (1) of section 138 and the form and manner of making application for the compounding of an offence under sub-section (4) of section 138.-

- (1) The officer authorized by the State Government, by notification, for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138, shall issue electronically a compounding notice, as prescribed in

Form-XXXVIII, for the offences which are compoundable under section 138.

- (2) The person, to whom a notice has been served, may apply, as prescribed in Part-III of Form-XXXVIII, to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.
- (3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate, as prescribed in Part-IV of Form-XXXVIII, within ten days of receipt of the composition amount, to such person, from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.
- (4) If a person, to whom a notice has been served, fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court on the offence, in respect of which the compounding notice was issued against such person.
- (5) **Composition after institution of prosecution. —**
 - (a) The Court may compound any compoundable offence at any time, after filing of a complaint under section 138 of the Code;
 - (b) the provision of section 359 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall apply to such compositions.

CHAPTER-XIII
EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

31. Manner and form of reporting vacancies and form of filing the return by the employer, to the concerned career centre under sub-section (2) of section 139.-

(1) Reporting of vacancies to career centre.-

- (a) After the commencement of the Code in the State or area thereof, the employer, in every establishment in public sector in the State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre, as may be specified in the notification by the State Government;
- (b) the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such career centre from such date, as may be specified in the notification by the State Government;
- (c) the State Government shall provide for mechanism (including digital) for receipt of vacancies reported by the employers. Career centre, to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey

it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately, but in any case, not later than three working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation.-

- (1) "Establishment in public sector" means,-
 - (a) an establishment owned, controlled or managed by the Government or a Department of the Government;
 - (b) a Government company, as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013);
 - (c) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central or State Act, which is owned, controlled or managed by the Government; and
 - (d) a local authority.
- (2) "Establishment in private sector" means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily 20 or more employees or such number of employees, as may be notified by the State Government.
- (3) The State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify by notification, reporting of vacancies by establishments in an area

thereof to the digital portal or to the career centre of the Central Government.

(2) Type of vacancies and respective career centre for reporting of vacancies.-

(a) The following vacancies, namely:-

(i) all vacancies in posts of Technical and Scientific nature, carrying a minimum pay or pay level or both, as notified by the Central Government, occurring in establishments, in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and

(ii) vacancies, which an employer may desire to be circulated to the career centers outside the State or Union Territory, in which the establishment is situated, shall be reported to such career centre (Central), as may be specified by the Central Government through notification;

(b) vacancies, other than those specified in clause (a) of sub-rule (2) above, shall be reported to the concerned career centre (Regional);

(c) vacancies, which have been reported to the career centre (Regional) and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to career centre (Central) or uploaded on a digital portal, as specified by the Central Government by notification.

(3) Form and manner of reporting of vacancies.-

- (a) The vacancies shall be reported in writing or through valid official email or digitally to the career centre specified by the Appropriate Government;
- (b) the vacancies shall be reported in the format, as prescribed in Form-XXXIX, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy;
- (c) any change in the particulars already furnished to the career centre under clause (a) of sub-rule (3), shall be reported in writing or through official email or digitally, as the case may be, to the specified career centre.

(4) Time limit in the reporting of vacancies.-

- (a) Vacancies, required to be reported to the career centre (Regional), shall be reported at least fifteen days prior to the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for the purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported;
- (b) vacancies required to be reported to the career centre (Central) shall be reported at least forty days prior to the last date of receipt of the applications of the prospective candidates, for the purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(5) Maintenance of records.-

- (a) After commencement of the Code in the State or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in the State or area shall maintain records manually or electronically or digitally about,-
- (i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;
 - (ii) persons recruited during the year ending on 31st March;
 - (iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;
 - (iv) vacancies, for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
 - (v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year;
- (b) appropriate Government, may by notification, require that from such date, as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about,-
- (i) total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;

- (ii) persons recruited during the year ending on 31st March;
 - (iii) occupational details of its employees on 31st March of every year;
 - (iv) vacancies, for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and
 - (v) approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.
- (6) **Submission of returns:** An employer shall furnish to the concerned career centre (Regional) yearly returns in form EIR (Employment Information Return), as prescribed in Form-XXXX. Yearly returns shall be furnished manually or electronically or digitally, as the case may be, as specified by the State Government in notification, within thirty days of the due date namely 31st March of the year.
- (7) **Declaration of Executive Officer:**
- (a) The Director of Employment or an officer of his equivalent or above rank, controlling the work of career centres (Regional) of the respective State Government, shall declare in writing an officer looking after the work of career centres (Regional) as "Executive Officer" for each District, for the purpose of enforcement/implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer, who shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139 of

the Code or authorize any person in writing to exercise those rights and perform duties;

- (b) the Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, New Delhi, shall declare in writing an officer looking after the work of career centres (Central) as "Executive Officer" for the purpose of enforcement/implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer, who shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139 of the Code.

(8) Levy of penalty under the Chapter XIII of the Code.-

The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of career centres (Regional) of the respective State, shall be the Competent Authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the Code as mentioned in section 133.

- (9) Issue of guidelines:** For implementation of provisions of the Code relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central Government may issue detailed guidelines, which may be supplemented further by the respective State Government, as per local needs.

CHAPTER-XIV
MISCELLANEOUS

32. Sources of funding and the manner of administering and expending of the Fund under sub-section (5) of section 141.-

- (1) A social security fund shall be established by the State Government for the welfare of the unorganized workers, in which there shall be credited the amount received from,-
- (a) wholly funded by the Central Government;
 - (b) partly funded by the Central Government and partly funded by State Government;
 - (c) partly funded through contributions collected from the beneficiaries of the Scheme or the employers, as may be specified in the Scheme by the Central Government;
 - (d) funded from any source, including corporate social responsibility fund within the meaning of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any other sources, as may be specified in the Scheme;
 - (e) any grant or loan received from the Central Government;
 - (f) funded from State Government through Budget;
 - (g) other sources notified by the State Government.

The State Government may seek financial assistance from the Central Government for the Schemes framed by it.

- (2) The Scheme shall be prepared for the unorganised worker registered as a beneficiary and it's family by the Unorganized Social Security Board, with the prior approval of the State Government and the funds shall be utilised under the notified Scheme.

33. Time, within which the State Board shall forward its view to the appropriate Government under sub-section (1) section 143.-

The State Board, shall forward its views on the application seeking exemption under section 143 of the Code, to the appropriate Government, within six months of receipt of proposal for exemption. If the State Board is unable to provide its views within the said period, the appropriate Government may extend the time limit or take action on the application of exemption, as it may deem fit.

34. Conditions, which the exempted establishment or the class of establishments or an employee or class of employees, as the case may be, shall comply with after such exemption under sub-section (2) of section 143.-

- (1) The establishment, to which exemption has been granted from the provision of Chapter IV of the Code,-
- (a) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation, as may be specified by the Central Government; and
 - (b) in case of change of legal status of an establishment, which has been granted exemption under section 143 of the Code, due to merger, demerger, acquisition,

sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not etc., the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption, to the appropriate Government.

35. Manner of determining the misuse of any benefit by an establishment or by any other person specified under section 148 of the Code.-

(1) **Grounds for identification of misuse.**— The determination of misuse of benefits by an establishment or any other person may be made on one or more of the following grounds, namely:—

- (a) claim or payment of benefit in the name of an ineligible person;
- (b) obtaining benefit on the basis of false or misleading documents;
- (c) willful misstatement of facts relating to employee, wages, period of work or contribution;
- (d) duplicate or multiple claims of the same benefit;
- (e) obtaining benefit in the name of a deceased, retired, resigned or non-existent employee;
- (f) willful violation of the provisions of the Code or the rules made thereunder.

(2) **Sources of information.**— Determination of misuse may be based on information received from the following sources,—

- (a) inspection or inquiry reports;

- (b) complaints made by any employee, worker, organisation or member of the public;
 - (c) analysis of departmental records, digital portals or databases;
 - (d) information received from any other Government department or agency.
- (3) **Preliminary scrutiny.—**
- (a) The authority shall conduct a preliminary scrutiny on the basis of the information received;
 - (b) where such scrutiny reveals a prima facie case of misuse, further inquiry shall be initiated.
- (4) **Inquiry procedure.—**
- (a) The authority may require the establishment or the concerned person to produce such records, details or explanations, as may be necessary;
 - (b) the concerned party shall be given a reasonable opportunity of being heard after due written notice;
 - (c) the inquiry shall be conducted in a fair, transparent and time-bound manner.
- (5) **Determination of misuse.—**
- (a) Where, after inquiry, the authority comes to the conclusion that misuse of benefit has occurred, it shall determine such misuse by a reasoned written order;
 - (b) the order shall clearly specify the nature, period and amount of misuse and the person responsible therefor.
- (6) **Recovery of benefit.—** Upon determination of misuse, the amount of benefit wrongfully obtained shall be recovered in accordance with the provisions of the Code.
- (7) **Other action.—** The determination made under these rules shall be without prejudice to any penal or prosecution proceedings under the Code or any other law for the time being in force.
- (8) **Appeal.—** Any person aggrieved by an order of determination of misuse may prefer an appeal in accordance with the provisions of the Code.
- (9) **Removal of difficulties.—** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these rules, the State Government may issue such directions, as may be necessary for removal of such difficulty.

FORM - I
[see rule 7(10)]

In the Employers Insurance Court

A B (add description and residence)

Applicant

Vs

C D (add description and residence)

Opposite party

Other particulars of the application specified in rule 13

Date

.....
Signature of the applicant

(Verification by the Applicant)

The statement of facts contained in this application is, to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date

.....
Signature of the applicant

FORM - II
[see rule 7(11)]

List of documents produced by Applicant/Opposite party (Title), e.g.,
Description, Subject, Name of the court, No. etc.

No.	Description of document	The date which the document bears	Signature of the party or pleader or any authorized representative
(1)	(2)	(3)	(4)

FORM - IV

[see rule 7(15)]

Summons for disposal of proceedings (Title)

To

.....
(Name, description and place of residence).

Whereas, has instituted proceeding against you for You are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the case or who, shall be accompanied by some person able to answer all such questions at O'clock in the noon on the Day of 20....., to answer the claim and the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the proceedings, you must be prepared to produce on that day all the witnesses, upon whose evidence and all the documents, upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice, that, in default of your appearance on the above mentioned, the case shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, on this Day of20.....

Note:

1. If you apprehend that your witnesses shall not attend of their own accord, you may have summons from this Court to compel the attendance of any witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
2. If you admit the claim, you must pay the money into Court together with the cost of the proceedings, to avoid execution of the decree which may be passed against you in person or property or both.

FORM - V

[see rule 7(15)]

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES

To

.....
(Name, description and place of residence).

Whereas, has instituted proceeding against you for You are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agent duly instructed and able to answer all material questions relating to the proceedings or who, shall be accompanied by some person able to answer such questions at O'clock in the noon on the day of 20....., to answer the claim and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the above mentioned the case shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court on this day of20.....

COURT

Note:-

1. If you apprehend that your witnesses shall not attend of their own accord, you may have summons from this Court to compel the attendance of any witness and production of any document that you have a right to call on the witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.
2. If you admit the claim, you must pay the money into the Court together with the cost of the suit, to avoid execution of the decree, which may be passed against you in person or property or both.

FORM - VI

[see rule 7(23)]

Subject-Application for setting aside the Ex-parte order

The above named states as follow :-

(Ground of Application should be stated)

Date

.....
Signature of the
applicant**(Verification by the Applicant)**

The statement of facts contained in the application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date

Place

.....

Signature

FORM - VII

[see rule 7(23)]

**Central Form
(Title)**

To,

Whereas, the above named has made application to this You are hereby warred to appear in the Court in person or by a pleader duly instructed at O'clock in the noon, on the day of20....., to show cause against the application, failing wherein, the said application shall be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court on this day of 20

COURT

FORM - VIII
[see rule 7(28)]

SUMMONS TO WITNESS
(Title)

Whereas, your attendance is required to on behalf of the in the above proceedings, you are hereby required (personally) to appear before this Court on the Day of 20..... at..... O'clock in the Noon and to bring with you (or to send to this Court)

A sum of Rs..... as your travelling and the other expenses and subsistence allowance for one day, is deposited with this Court and shall be tendered to you on the day you appear before the Court. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you shall be subject to the consequence of non-attendance laid down in Order XVI Rule 12 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

Given under my hand and the seal of the Court, on this day of 20.....

COURT

Note:

1. If you are summoned only to produce a document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this Court on the day and hour aforesaid.
2. If you are detained beyond the day aforesaid, a sum of Rs shall be tendered to you for each day's attendance beyond the day specified.

FORM - IX
[see rule 7(37)]
Decree in case
Claim for

This case coming on this day of final disposal before in the presence of for the applicant and of for the opposite party, it is ordered and decreed the and that the sum of Rs be paid by the to the On account of the costs of this suit with interest thereon at the rate of percent per annum from this date to the date of realization. Given under my hand and the seal of the Court, this day of 20.....

Costs of Suits

Rs. Paise	Rs. Paise
Stamp for application	Stamp for power
Stamp for power	Stamp for written statement
Stamp for exhibits	Pleader's fee
Pleader's fee	Subsistence for witness
Subsistence for witness	Service of summons and Notices
Competent Authority's fee	Competent Authority's fee
Service of summons and Notices	
Total	Total

FORM - X
[see rule 7(39)]
Application for the Execution of Decree

In the Court of Decree Holder, hereby apply for execution of the decree set forth herein below,-

Number of Proceedings	Name/s of Party/Parties	Date of decree	Whether any appeal preferred from decree	Payment of adjustment made, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Pervious application, if any with date and result	Amount with interest due upon the decree or other relief granted thereby together with particulars of any cross decree	Amount of costs if any awarded	Against whom to be executed
(6)	(7)	(8)	(9)

Mode in which the assistance of the Court is required

(10)

I pray that the total amount of Rs..... (together with interest on the principal sum upto date of payment) and the cost of taking out this execution be realized by attachment and sale of the opposite party's movable property as per annexed list and paid to me

I, declare that, what is stated herein, is true to the best of my knowledge and belief .

Date the day of 20.....

Signature
Decreeholder

FORM-XI

[see rule 10(1), (2), (3) and (4)]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination
(Strike out the words not applicable)

To.....

(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Full Name) whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code with effect from the(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Shrimati/Kumari.....(Full Name) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date and recorded under your reference No.....dated..... shall stand modified in the following manner,-

**Strike out unnecessary portion.*

2. I, hereby, certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code.
3. I, hereby, declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the Code.
- 4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
- (b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
5. I have excluded my husband from my family by a notice dated the..... to the Competent Authority in terms of clause (33) of section 2 of the Code.

6. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s)

S. No.	Full Name with full address of nominee(s)	Relationship with the employee	Age of nominee	Proportion by which the gratuity shall be shared
1.				
2.				
3.				
So on				

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

1. Name of employee in full:
2. Sex:
3. Religion:
4. Whether unmarried/married/widow/widower:
5. Department/Branch/Section, where employed:
6. Post held with Ticket No. or Serial No., if any:
7. Date of appointment:
8. Permanent address:

Village..... Thana..... Sub-division

Post-Office Pin-Code District

State E-mail ID

Mobile Number

Place:
Date:

Signature/Thumb-
impression of the
Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any

Date:

Signature of the employer/Officer
authorized Designation

Name and address of the
establishment or rubber stamp
thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XI filed by me and duly certified by the employer.

Date:

Signature of the Employee

FORM-XII

[see rule 11(1)]

Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir
(Strike out the words not applicable)

To,.....
(Give the name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I,(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late.....(Name of the employee)/ as a legal heir of late.....(Name of the employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the Code on account of,-

- (a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the.....;or
- (b) death of the aforesaid employee while in service/superannuation on.....after completion of.....years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the.....;or
- (c) death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on.....(date) without making any nomination after completion ofyears of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from.....

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below,-

1. Name of employee, in full (if, the gratuity is claimed by an employee)
 - (a) Marital status of employee (unmarried/married/widow/widower)
 - (b) Full address of employee
- or
2. Name of nominee/legal heir (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir),-
 - (a) Name of Employee
 - (b) Marital status of nominee/legal heir (unmarried/married/widow/widower)
 - (c) Relationship of nominee/legal heir with the employee
 - (d) Full address of nominee/legal heir
 - (e) Date of death and proof of death of the employee
 - (f) Reference No. of recorded nomination, if available
3. Department/Branch/Section where last employed
4. Post held by employee
5. Date of appointment
6. Date and cause of termination of service
7. Date of death
8. Total period of service of the employee
9. Total wages last drawn by the employee.
10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir
11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my Bank account no.....

Yours faithfully,
Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir

Place:
Date:

FORM-XIII
[see rule 11(2)]
Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity
(Strike out the words not applicable)

To,.....

(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that,

(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35 of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in Form-IV under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons(Here specify the reasons); or

(b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 35 of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 that a sum of Rs.(Rupees.....) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity in terms of nomination made byonand.....recorded in thisas a legal heir of.....an employee of this establishment.

2.*Please call aton..... (Here specify place).....(date) at.....(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.

4. Brief statement of calculation

(a) Date of appointment.

(b) Date of termination/superannuation/resignation/disablement/death.

(c) Total period of service of the employee concerned:years..... months.

(d) Wages last drawn:

(e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:

(f) Amount payable:

**strike out para, if, not applicable*

Place:

Date:

Signature of the
Employer/authorised officer

Name or description of
establishment or
rubber stamp thereof

Copy to:

1. The Competent Authority (in case of denial of gratuity).
2. Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment.

FORM-XIV

[see rule 11(4)]

**Application for Direction before the Competent Authority for
Chapter V under the Code**

Application No.

Date

(Full name of the applicant with full address)

Vs

(Full name of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late..... and employee of the above-mentioned employer and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the Code on account of his own/aforesaid employee's superannuation on.....(date)/his own retirement/aforesaid employees' resignation on.....(date) completion of.....years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on.....

2. The applicant submitted an application under Rule..... of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 on the but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the..... under clause of sub-rule of rule offering an amount of gratuity, which is less than my due/issued a notice dated under clause..... of sub-rule.....of rule..... rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.
3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).
4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.
5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant

ANNEXURE

1. Full Name of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and full address of the employer
6. Department/Branch/Section, where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or S. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation /retirement /resignation /disablement / death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant.

Place:

Date:

Signature/Thumb-
impression of the
applicant

FORM- XV
[see rule 11(5) and (8)]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon
(Strike out the words not applicable)

To,
(Name and address of the employer/applicant)

Whereas, Shrian employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) of Shri an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under sub-rule (4) of rule 35 of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 alleging that-

(A copy of the said application is enclosed, if summon is issued then copy of application is not required)

Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority, at (place) either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the day of 20..... at 'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/ defense.

Take notice that in default of your appearance on the day aforementioned, the application shall be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas, your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of in the case arising out of the claim for gratuity by..... Form..... and referred to this authority by an application under section 56 of the Code, you are hereby summoned to appear personally before this authority on the day of20..... at O'clock in the forenoon/afternoon and to bring with you to send to this authority) the said documents.

List of documents-

- 1.
- 2.
3. so on

Given under my hand and seal, thisday of20.....

Competent Authority
under the Code

Note:

1. Strike out the words and paragraphs if not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.
3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.
4. In case the summon is issued only for producing a document and not given evidence, it shall be sufficient compliance to the summons, if the documents are caused to be produced before the Competent Authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM - XVI

[see rule 11(11) and (12)]

**Notice for Payment of Gratuity as Determined by
Competent/Appellate Authority**
(Strike out the words if not applicable)

To,
(Name and address of employer)

1. Whereas, Shri/Smt./Kumari....., an employee..... (address) under you/a nominee(s)/legal heir(s) of latean employee under you, filed an application under section 56 of the Code, before me; or

Whereas, a notice was given to you onrequiring you to make payment of Rs..... to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity under, 2020.

2. And whereas, the application was heard in your presence on.....and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari..... is entitled to a payment of Rs..... as gratuity under the Code; or

Whereas, you/the applicant went in appeal before the Appellate Authority, who has decided that an amount off..... is due to be paid to Shri/Smt./Kumari.....as gratuity due under the Code.

Now, therefore, I hereby, direct you to pay the said sum of Rs.to Shri/Smt./Kumari within thirty days of the receipt of this notice.

Given under my hand and seal, thisday of.....20.....

Competent Authority
under the Code

Copy to:

1. The Applicant (he is advised to contact the employer for collecting payment).
2. The Appellate Authority, if applicable.

Note.- Strike out paragraphs, if not applicable

FORM - XVII
[see rule 11(13)]

Application for Recovery of Gratuity before the Competent Authority for Chapter V under the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020)

Application No.

Date

(Full Name of the applicant with full address)

Vs

(Full Name of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late..... an employee of the above mentioned employer/a legal heir of latean employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated theunder sub-rule (11) or sub-rule (12) of rule 35 of the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 for payment of a sum of Rs..... as gratuity payable under the Code.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me, as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs.due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-
impression of applicant

Place:

Date:

Note.—Strike out the words if not applicable.

FORM – XVIII
[see rule 13(1)(a)]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator
(under the Code)

Sir,

I..... (Name of woman) employed in..... (name and full address of the establishment) or I..... (name), a person nominated under section 72 by or a legal representative of.....(name of woman) employed in.....(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the Code and the Rules thereunder, is entitled to Rs..... being maternity benefit and/ or Rs..... being the medical bonus and/ or Rs..... being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/ discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of the Chapter VI of the Code.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/
nominee/ legal representative

Date.....

Signature of an attester in case the woman/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.
Full address of the women/nominee/legal representative

FORM-XIX
[see rule 13(2)(b)]
APPEAL

To,

The Authority,
(appointed under the Code)
.....(Address)

Sir,

I....., the undersigned, woman employee of..... (name and full address of the establishment)

*Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator in this behalf is enclosed; or

*Shri....., Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub-section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being..... (nature of amount) to which..... (name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharger dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of Chapter V of the Code (*Strike out unnecessary portion*).

I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith, it is submitted that the woman is not entitled to the maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside.

**Strike out unnecessary portion.*

Signature or thumb impression of the Women/Aggrieved person

Date.....

.....
Signature of an Attester in case the woman is not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative

FORM-XX

[see rule 16]

Notice Book of Accidents

[To be filled up by or on behalf of workman]

Date and time of accident

Date and time of notice

Name of person injured.....

Address.....

Cause of injury.....

.....
Signature or thumb-
impression
of person giving notice

[To be filled up by the employer or his agent]

Rate of wages.....

Place of accident.....

Nature of injuries.....

Names of eye-witnesses.....

Note of circumstances.....

FORM-XXI

[see rule18(1)]

Whereas, I have received information that..... a workman employed by you in has died, as the result of an accident arising out of and in the course of employment. I hereby require you in accordance with sub-section (1) of section 88 of the Code, to submit to me within 30 days of the receipt of this notice the enclosed form with the particulars required in paragraphs 1 and 2 and the particulars required in either paragraph 3 or paragraph 4 duly filled in. In the event of your admitting liability to pay compensation, the necessary deposits must, under sub-section (1) of section 88 of the Code, be made within 30 days of the receipt of this notice.

.....
Competent Authority for
Workmen's
Compensation

FORM-XXII

[see rule18(2)]

1. In reply to your notice, dated....., 20.... which was received by me on the day of, 20....., it is submitted that..... residing at/workmen over/under 15 years of age and I employed inmet with an accident on the.....20....., as a result of which he died on the.....20.....The monthly wages of the deceased amounted to Rs.....
2. The circumstances in which the deceased met his death are as follows,-

.....
.....

3. I admit liability to pay as compensation on account of the deceased's death the amount of Rs. which was/shall be deposited with you on or before the 20....
4. I disclaim liability to pay compensation on account of the deceased's death on the following grounds :-

- (1) Insert name of workman.....
- (2) Insert name of establishment.....

.....
Employer

FORM-XXIII

[see rule 19(1)]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course of old employment in.....The said injury has resulted in temporary disablement to the workman, whereby it is estimated that he shall be prevented for earning more than of his previous wages for a period of.....month. The said workman has been in receipt of half-monthly payment which has continued from the.....day of.....20.....until the day of 20 amounting to Rs.....in all.

The said workmen's monthly wages are estimated at Rs..... The Workman is over the age of 15 years/shall reach the age of 15 years on..... It is further submitted that..... the employer of the said workman has agreed to pay and the said workman has agreed to accept the sum of Rs. in full settlement of all and every claim under the Code, in respect of all disablement of a temporary nature arising out of the said accident, whether now or hereafter to become manifest. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date.....20...

Signature of employer.....

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement may be presented under signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures must be appended, whenever possible (receipt to be filled in when the money has actually been paid). In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....

Date.....20....

Workman.....

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Witness.....

FORM-XXIV

[see rule 19(1)]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course of his employment in The said injury has resulted in permanent disablement to the said workman of the following nature, namely, the said workman's monthly wages are estimated at Rs.....

The workman is over the age of 15 years/shall reach the age of 15 years on.....

It is further submitted that the employer of the said workman, has agreed to pay and the said workman has agreed to accept the sum of Rs..... in full settlement of all and every claim under the Code, in respect of the disablement stated above and all disablement now manifest. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date.....20....

Signature of employer.....

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement may be presented under the signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs..... on

Date.....20...

Workman

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Witness

FORM-XXV
[see rule 19(1)]
Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20.... personal injury was caused to residing at.....by accident arising out of and in the course of employment in.....

The said injury has resulted in temporary disablement to the said workman, who is at present in receipt of wages amounting to Rs..... per month/no wages. The said workman's monthly wages prior to the accident are estimated at Rs.....

The workman is subject to a legal disability by reason of.....

It is further submitted that the employer of the workman has agreed to pay and on behalf of the said workman has agreed to accept half-monthly payments at the rate of the period of the said temporary disablement. This agreement is subject to the condition that the amount of the half-monthly payments may be varied in accordance with the provisions of the said Code on account of an alteration in the earnings of the said workman during disablement. It is further stipulated that all rights of commutation under sub-section (3) of section 93 of the Code, are unaffected by this agreement. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date 20...

Signature of employer.....

Witness

Signature of Workman

Witness.....

Note - An application to register an agreement may be presented under the signature of one party provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have received the sum of Rs..... on Date.....20.....

.....
Workman

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

.....
Witness

FORM-XXVI
[see rule 19(2)(a)]

Whereas, an agreement to pay compensation is said to have been reached between andwhereas..... has/have applied for registration of the agreement under section 89(1) of the Code, notice is hereby given that the said agreement shall be taken into consideration on 20... and that any objections to the registration of the said agreement should be made on that date. In the absence of valid objections, it is my intention to proceed to the registration of the agreement.

.....
Competent Authority.

FORM-XXVII
[see rule 19(2)(c)]

Take notice that registration of the agreement to pay compensation said to have been reached between you and on the 20..... has been refused for the following reasons,-

.....
.....
.....

Date.....20...

.....
Competent Authority

FORM-XXVIII
[see rule 19(3)(b)]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between.....and.....and whereas.....has/have applied for registration of the agreement under section 89(1) of the Code, and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely:-

.....
.....

an opportunity shall be afforded to you of showing cause on why the said agreement should be registered. If no adequate cause is shown on that date the registration of the agreement shall be refused.

Date.....20...

.....
Competent Authority

Form XXIX

[see rule 19(3)(b)]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between..... and..... and whereas has/have applied for registration of the agreement under section 89(1) of the Code and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely :-

.....

an opportunity shall be afforded to the said.....for showing cause on..... 19..... why the said agreement should be registered. Any representation which you have to make with regard to the said agreement should be made on that date. If adequate cause is then shown, the agreement may be registered.

Date..... 19....

.....
 Competent Authority

FORM-XXX

[see rule 19(5)]

Register of Agreements for the Years, 19...

S. No.	Date of agreement	Date of registration

Employer	Workman	Initials of Competent Authority	Reference to orders rectifying the register

Form XXXI

[see rule 22(2)]

Application for Compensation by Workmen

To,

The Competent Authority for Workmen's Compensation

.....

.....

.....Residing at.....

Applicant

versus

.....Residing at.....

Opposite party.

It is hereby submitted that,-

(1) the applicant, a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the day of20..... received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment. The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary languages the cause of the injury).....

(2) The applicant sustained the following injuries, namely :-

(3) The monthly wages of the applicant amount to Rs.... the applicant is over/under the age of 15 years.

* (4) (a) Notice of the accident was served on the day of.....

(b) Notice was served as soon as practicable.....

(c) Notice of the accident was not served (on due time) by reason of.....

(5) The applicant is accordingly entitled to receive-

(a) Half-monthly payments of Rs..... from the.....day of 20.... to.....

(b) A lump-sum payment of Rs.....

(6) The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely but it has proved impossible to settle the question in dispute because.....

*You are therefore, requested to determine the following questions in dispute, namely :-

(a) Whether the applicant is a workman within the meaning of the Code.....

(b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicant's employment.....

(c) Whether the amount of compensation claimed in due, or any part of that amount.....

(d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due.....

(e) etc., (as required)

Date.....20.....

.....

Applicant

*Strike out of the clauses which are not applicable.

FORM-XXXII
[see rule 22(2)]

Application for order to Deposit Compensation

To,
The Competent Authority for Workmen's Compensation
.....
.....Residing at.....

Applicant

versus

.....Residing at.....

Opposite party.

It is hereby submitted that,-

- (1)a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the day of..... 20..... received personal injury by accident arising out of and in the course of the employment resulting in his death on the..... day of20.... The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury).....
 - (2) The applicant(s) is/are dependent(s) of the deceased workman being his.....
 - (3) The majority wages of the deceased amount to Rs.....
The deceased was under/over the age of 15 years at the time of his death.
 - (4) (a) Notice of the accident was served on the.....day of....
(b) Notice was served as soon as practicable
(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.....
 - (5) The deceased before his death received as compensation the total sum of Rs.....
 - (6) The applicant(s) is/are accordingly entitled to receive a lump-sum payment of Rs.....
- You are, therefore, requested to award to the applicant the said compensation or any other compensation to which he may be entitled.
Date.....20.....

.....
Applicant.

*Strike out the clauses which are not applicable.

FORM-XXXIII
[see rule 22(2)]

Application For Commutation

To,
The Competent Authority for Workmen's Compensation
.....
.....Residing at.....

Applicant

versus

.....Residing at.....

Opposite party.

It is hereby submitted that,-

- (1) the applicant/opposite party has been in receipt of half-monthly payments from.....to.....in respect of temporary disablement by accident arising out of and in the course of his employment.
- (2) The applicant is desirous that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
- (3) (a) The opposite party is unwilling to agree to the redemption of the right to receive half-monthly payments.
(b) The parties have been unable to agree regarding the sum for which the right to receive half-monthly payments should be redeemed.

You are therefore requested to pass orders :-

- (a) directing that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.
- (b) fixing a sum for the redemption of the right to receive half-monthly payments.

Date.....20....

.....
Applicant

FORM-XXXIV

[see rule 22(19)]

Notice

Whereas, a claim for compensation has been made by.....applicant, against.....and the saidhas claim that you are liable under sub-section (3) and (4) of section 93 of the Code, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party. In default of your appearance, you would be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and your liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him.

date.....20....

.....
Competent Authority**FORM-XXXV**

[see rule 22(2)]

Notice

Whereas, a claim for compensation has been made by.....applicant, against and the said.....has claimed, that.....is liable under sub-section (3) and (4) of section 93 of the Code, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim and whereas the said.....on notice served has claimed that you.....stated to him in the relation of a contractor from whom the applicant could have recovered compensation you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party.....in default of your appearance you shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party.

.....and your liability to indemnify the opposite party.....for any compensation recovered from him:-

Date.....20....

.....
Competent Authority

FORM - XXXVI

[see rule 29(1)]

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

Name of establishment

1. Serial Number:
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) Name:
3. Date of appointment:
4. Nature of work:
5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed:

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6. Date on which the woman gives notice under section 62:
7. Date of discharge/dismissal, if any:
8. Date of production of proof of pregnancy under section 62:
9. Date of birth of child.
10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child.
11. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) and 65(3).
16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted.
17. Name of the person nominated by the woman under section 62.
18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof and the date of payment.
19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM-XXXVII

[see rule 29(3)]

Unified Annual Return**A. General Part:**

- (a) Name of the establishment.....
 Address of the establishment:
 House No./Flat No..... Street No./ Plot No
 Town District
 State Pin Code
- (b) Name of the employer.....
 Address of the employer:
 House No./Flat No..... Street No./ Plot No
 Town District
 State Pin Code E-mail ID
 Telephone Number Mobile number
- (c) Name of the manager or person responsible for supervision and
 control of establishment:

 Address:
 House No./Flat No.....Street No./Plot No
 Town District.....
 State..... Pin Code.....E-mail ID
 Telephone Number..... Mobile number.....

B. Employer's Registration/License number under the Codes mentioned in column (2) of the table below:

S. No.	Name	Registration	If yes (Registration No.)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	The Occupational Safety Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020)		
02.	The Code on Social Security, 2020 (36 of 2020)		
03.	Any other Law for the time being in force.		

G. (a) Details of Payments:

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

S. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

S. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

I. Maternity Benefit under the Code:**(a) Details of establishment, medical and para-medical staff:**

01.	Date of opening of establishment	
02.	Date of closing, if closed	
03.	Name of Medical Officer	
(i)	Qualification of Medical Officer	
(ii)	Is Medical Officer at (the mines or circus)?	
(iii)	If a part time, how often does he/she pay visit to establishment?	
(iv)	Is there any Hospita!?	
(v)	If so, how many beds are provided?	
(vi)	Is there is a lady Doctor?	
(vii)	If so, what is her qualification?	
(viii)	Is there a qualified mid-wife?	
(ix)	Has any crèche been provided?	

(b) Leave Granted under the Code:

01.	Total number of female employees in the establishment	
02.	Total number days of leave granted	
03.	Number of employees granted maternity leave/benefited by ESI	

Declaration

It is to certify that the above information is true and correct and also, I certify that I have complied with the all provisions of Labour Law applicable to my establishment.

Place:

Date:

Signature

FORM-XXXVIII

[see rule 30(1), (2) and (3)]

Notice to the Employer, who committed an offence for the first time for compounding of offence under sub-section (1) of section 138 of the Code**Notice No.....****Date:**

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment..... (Registration No.....), have committed offence for the violation of provisions of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder, as per the details given below:-

PART - I

1.	Name of the Person:	
2.	Name and Address of the Establishment:	
3.	Registration No. of the Establishment:	
4.	Particulars of the offence:	
5.	Provisions of the Code/Scheme /Rules/Regulations, under which the offence is committed:	
6.	Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:	
7.	Name and details of Account for depositing the Amount specified in point 6:	

PART -II

In view of the above, you have an option to pay the above-mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part - III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time,

necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

PART - III

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No.....

Date:

The undersigned has deposited the entire amount, as specified in point 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

1. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):

2. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:

3. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then full details of the offence:

4. Any other information which the applicant desires to provide.

**Signature of the applicant
(Name and Designation)**

Dated:

Place:

PART - IV

Composition Certificate

Ref: Notice No.....

Date:

This is to certify that the offence under sub-section of section 133 of the Code in respect of which Notice No. Dated was issued to (Applicant), the employer of (name and Registration Number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs (Rupees) towards the composition of offences to the satisfaction of the said Notice.

(Signature)

Name and Designation of the Officer

Date:

Place:

FORM-XXXIX

[see rule 31(3)(b)]

Form for Reporting Vacancies to Career Centres

(Separate forms to be used for each type of posts)

1	<p>Particulars of the employer: Name: Address with Pin Code: Telephone No. : Mobile No.: Email address : Name and Type of Establishment (Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc) Registration No. of establishment under the Code: Economic activity details:</p>		
2.	<p>Particulars of the indenting Officer: Name: Designation: Telephone No.: Mobile No.: Email address :</p>		
3.	<p>Particulars of vacancy(ies): (a) Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled (b) Description of duties of the post (job role/functional role)</p>		
	<p>(c) Qualifications/Skills required (educational, technical, experience)</p>	Essential	Desirable/Preferable
	<p>(i) Educational Qualifications</p>		

	(ii) Technical Qualifications (iii) Skills (iv) Experience		
	(d) Age Limits, if any (Age as on last date of application)		
	(e) Preferences (such as Ex-servicemen, persons with disabilities, women, etc), if any		
	(f) duration of employment (i) 3-6 months (ii) 6-12 months (iii) 12 months and more	Number of posts	
4.	Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference to any category of persons such as Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Economically Weaker Sections (EWS), Other Backward Classes (OBC), Ex-serviceman and persons with disabilities (pwd), etc, in filling up the vacancies: Yes/No (if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed below)		
5.	Category	Number of vacancies to be filled	
	(a) Scheduled Castes (b) Scheduled Tribes (c) OBC (d) EWS (e) Ex-Serviceman (f) Persons with disabilities (pwd) (g) women (h) Others (specify)	Total	*By Priority candidates (Applicable for Central Government vacancies)
6.	Pay and Allowances: For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details, if any For others: Mention minimum total emoluments per month with other details, if any.		

7.	Place of work (Name of the town/village and District, Pin Code, etc., in which it is situated)	
8.	Mode of Application (email, online, in writing, etc.) and Last date for receipt of applications.	
9.	Particulars of officer to whom the applications be sent/ candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address, telephone No., website address in case of online)	
10.	Mode of Recruitment [Through Career Centre, Placement Agency, self-management, any other mode (specify)]	
11.	Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No
12.	Any other relevant information	

Signature, Name and Designation of Authorised Signatory of establishment/ employer with seal and date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13.	Name, address, email id of the Career Centre	
14.	Date of receipt of Vacancies	
15.	NIC Code of the establishment/	
16.	NCO Code of the post	
17.	Unique Vacancy ID (number)	

Signature, Name and Designation of Authorised Signatory of Career Centre with seal and date

NOTE:

1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case, not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.
2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.
3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally (including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

FORM-XXXX

[see rule 31(6)]

Form of EIR (Employment Information Return)**Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Year ending.....**

The following information is required to be submitted under the Code (Chapter XIII – Employment Information and Monitoring)

Name and Address of the Employer		
Whether – Head Office		
Branch Office		
Type of Establishment (Public / Private Sector)		
Nature of business/principal activity		
Establishment Registration No. under the Code		
1. EMPLOYMENT		
Total number of manpower of establishment including working proprietors/partners//contingent paid and contractual workers, outsourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary is paid).		
Category	On the last working day of the previous Year	On the last working day of the Year under report
MEN		
WOMEN		
Other (Transgender)		
TOTAL :		
PWD (persons with disabilities) out of above total		

(EIR-continued)

2. Number of vacancies* occurred and reported to Career Centre during the year and the number of vacancies filled during the year				
Occurred	Reported		Filled	Source (Career Centre/ NCS Portal/ Government Recruiting Agencies/ Private Placement Organisations/ others)
	Career Centre (Regional)	Career Centre (Central)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

*As per provisions of the Code (Chapter XIII) and rules made there under,

3. MANPOWER SHORTAGES:

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/ qualifications (educational /technical/experience) prescribed	Essential	Desirable
(1)	(2)	(3)	(4)

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently)

4. Estimated Manpower requirement by occupational classification during the next calendar year (Please give below the number of employees in each occupation separately)

Occupation	Number of employees				
	Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-organisation.				
Description	Men	Women	Others (transgender)	Total	PWD (persons with disabilities) out of total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*					
Total :					

* In the column(description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical), Assistant Director (Metallurgist), Research Officer (Economist), Supervisor (Tailoring), Inspector (Sanitary), Superintendent (Office), Manager (Sales), Manager (Accounts), Executive (Marketing), Data Entry Operator.....so on.

Signature, Name and Designation of Authorised Signatory
of establishment/employer with seal and date

Note:-

1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30 days after the end of the financial year concerned by

establishments/employers vide their obligation under the Code (Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know,-

(i) the vacancies/employment opportunities available;

(ii) type of personnel who are in short supply; and

(iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the job seekers and connecting them with the employers.

This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रघुराज राजेन्द्रन, सचिव.